शनिवार,
५ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, ५ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

*१०४२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त की गई भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के निर्देश पद ;

(ख) कब तक समिति द्वारा कार्य समाप्त कर लिये जाने की आशा है ;

(ग) क्या समिति ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(घ) यदि ऐसा है तो अब तक समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ; तथा

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्यों तथा केन्द्र को गतिविधियों के सम्बन्ध के लिये क्या राज्यों को भी इस समिति के साथ सम्बद्ध किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति, जिस में एक सभापति, योजना आयोग के सदस्य, संघ के खाद्य तथा कृषि मंत्री हैं, पंचवर्षीय योजना में किये गये भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य क्रम को सुनिश्चित करने के हेतु स्थापित की गई थी।

(ख) से (घ). समिति का कार्य चालू प्रकार का है क्योंकि अन्य बातों के अतिरिक्त उसे राज्य सरकारों की भूमि सुधार सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर भी जब भी वह प्राप्त हों, विचार करना है। समिति ने अपना कार्य मई १९५३ में प्रारम्भ किया था और अब तक उसकी चार बैठकें हो चुकी ह।

(ङ) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को सिद्धान्त रूप से समिति की बैठकों में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया जाता है और विशेषकर उस समय जब कि स्वयं उनकी प्रस्थापनाओं पर विचार होता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस योजना की खास खास बातें क्या हैं और अभी तक इस कमेटी ने क्या काम किया है ?

श्री हाथी : यह समिति सामान्यतः राज्य सरकारों को पंचवर्षीय योजना में रखे गये भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में परामर्श देती है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, उस की चार बैठकें हो चुकी हैं और दिल्ली,

हिमाचल प्रदेश तथा पेप्सू राज्यों के भूमि सुधारों पर विचार किया गया था ।

श्री हेडा : विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि जो कार्य-वाहियां की जा रहीं हैं उनमें कोई एकरूपता नहीं है । यह समिति इन विभिन्न कार्य-वाहियों में किसी प्रकार की एकरूपता लाने अथवा सामंजस्य स्थापित करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हाथी : नीति तो एक समान होगी, संभव है कि आपस में कुछ विभिन्नतायें हों और विशेष रूप से जहां तक अधिकतम सीमा निर्धारित करने अथवा विस्तार का सम्बन्ध है, अन्तर हो सकते हैं यह सम्भव है एक रूप न हों, परन्तु प्रत्येक राज्य विशेष की स्थानीय अवस्था-ओं के कारण उनमें अन्तर है । परन्तु सामान्य नीति एक ही रहेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अब तक क्या क्या काम किया है ?

श्री हाथी : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, यह मामला अभी तक समिति द्वारा उठाया नहीं गया है क्योंकि समिति ने केवल गत मई से ही कार्य करना प्रारम्भ किया है ।

श्री ए० एम० टामस : पंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भूमि सुधार सम्बन्धी अध्ययन के लिये एक विशेष विभाग स्थापित किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस विशेष विभाग को स्थापित कर दिया गया है, और यदि हां, तो उस विभाग का का कर्मचारी वर्ग क्या है ?

श्री हाथी : जी हां, भूमि सुधार सम्बन्धी अध्ययन के लिये स्थापित किया जाने वाला विशेष विभाग गत जून में स्थापित किया जा चुका है ।

श्री ए० एम० टामस : कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री हाथी : समिति के अन्तर्गत नियुक्त किया गया यह एक विशेष विभाग है, और इस में अधिकारी भी हैं ही ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पैप्सू द्वारा जिन सुधारों की सिफारिश की गई थी उन में से कौन से समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचार से एक लंबी सूची होगी ।

श्री हाथी : यह एक लंबी सूची है । मेरे लिये यहां वैसे ही उत्तर देना संभव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह प्रकाशित हुई है ?

श्री हाथी : जी नहीं । मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या भूमि के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भूमि सुधार सम्बन्धी समिति के विषय में है, राष्ट्रीयकरण के विषय में नहीं ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन किन राज्यों ने इन सुधारों को लागू कर दिया है ?

श्री हाथी: जैसे कि मैं ने पहले निवेदन किया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू ने ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह समिति विभिन्न राज्य सरकारों के सुझावों के लिये प्रतीक्षा करती है, अथवा वह विभिन्न राज्यों के सुझावों की प्रतीक्षा किये बिना ही इस विषय पर विचार करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा पेप्सू के अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी परामर्श किया गया है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि समिति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये सुझावों पर विचार करेगी। मैं ज्ञात करना चाहता हुं कि समिति उन की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी या स्वयं ही कार्य करेगी ?

श्री हाथी : साधारणतयः जिन भूमि सुधारों की प्रस्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है उन्हीं पर यह समिति विचार करती है, और चर्चा के समय सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जाता है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमेटी में राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि रखे गये हैं, यदि हां, तो उत्तर प्रदेश से कौन हैं ?

श्री हाथी : जब किसी राज्य विशेष के किसी मामले विशेष पर चर्चा की जाती है, तो सम्बद्ध राज्य के प्रतिनिधियों को चर्चा में भाग लेने के लिये आंमत्रित किया जाता है ।

श्री बी० के० दास : योजना आयोग ने सुझाव दिया है एक राज्य शासन तंत्र स्थापित किया जाय । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समिति की सहायता करने के लिये क्या कोई राज्य शासन तंत्र स्थापित किया गया है ?

श्री हाथी : अभी सभी राज्यों में प्रादेशिक पर्षद् स्थापित नहीं किये गये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों द्वारा भेजी योजनाओं पर इस समिति में विचार किया जाता है। क्या सभी राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं ? यदि नहीं, तो उन राज्यों का क्या बनेगा जिन्होंने अभी तक अपनी योजनायें नहीं भेजी हैं ?

श्री हाथी : जिन राज्यों का मैंने पहले उल्लेख किया, अर्थात दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू, उन्होंने अपनी प्रस्थापनायें भेज दीं हैं। अन्य राज्यों ने अभी तक अपनी प्रस्थापनायें नहीं भेजी हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि जो यह काम कमेटी ने शुरू किया है इस सम्बन्ध में जो लोकल ब्यूज़ (स्थानीय धारणायें) हैं उनको जानने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मेरा विचार यह है कि लोग अभी तक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझे नही हैं। विभिन्न राज्य भूमि सुधार का कार्य कर रहे थे और एक राज्य में क्या हुआ है अथवा अन्य राज्यों में क्या किया गया है इस सम्बन्ध में अतीव मतभेद था। इसी कारण यह समिति नियुक्त की गई थी, और अब वह सभी राज्य जो भूमि सुधार चाहते हैं अपनी प्रस्थापनाओं को अनुमोदन के लिये इस समिति को भेजेंगे ; और समिति के अनुमोदन के बाद उन प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा और विधान बनाया

जायेगा। इसी लिये सभी राज्यों में किसी न किसी प्रकार की एक रूपता लाने के लिये यह समिति स्थापित की गई है। कुछ राज्यों ने पहले ही से सुधारों को लागू कर दिया है। परन्तु बहुत से अन्य राज्य अपनी प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहे हैं। इस समिति को केवल गत मई में ही नियुक्त किया गया था, और उसी समय से यह विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो रही प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है।

पंजाब में हरिजन उद्धार

*१०४३. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री पंजाब के हरिजनों के उद्धार के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न योजनाओं का ब्योरा तथा उन में से प्रत्येक पर पंजाब सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धन राशि को बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): विशिष्ट रूप से पंजाब के हरिजनों के उद्धार के लिये पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था नहीं है। इसी लिये प्रश्न का पिछला भाग उत्पन्न ही नहीं होता है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : संविधान में दिये गये विशेष निदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य में हरिजनों के उद्धार के लिये एक विशिष्ट उपबन्ध किया जाना चाहिये। यदि ऐसा है तो पंजाब में उनके उद्धार के लिय कोई विशिष्ट उपबन्ध क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री हाथी : वह तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये है विशिष्ट रूप से हरिजनों के लिये ही नहीं है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : हरिजनों की बात करते समय, मैं अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की भी बात करता हूं। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि हरिजन उद्धार के लिये, जहां तक कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषिकार्य, सहकारी सुविधाओं इत्यादि का सम्बन्ध है, क्या पंजाब सरकार अथवा पंजाब की जनता की ओर से कोई योजना प्रस्तुत की गई है ?

श्री हाथी : हरिजनों से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी कोई योजना पंजाब सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गणपति राम : क्या सरकार यह समझती है कि संविधान की धाराओं के अनुसार जो सुरक्षा हरिजनों को मिली हुई है और जिस रफ्तार से सरकार चल रही है उस से निश्चित समय के अंदर क्या हरिजनों का काम पूरा कर सकेगी ?

श्री हाथी : आशा तो यही की जाती है।

पंजाब राज्य को सहायता

*१०४४. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या योजना मंत्री पंचवर्षीय **योजना** के अन्तर्गत पंजाब राज्य को केन्द्र द्वारा ऋण, अनुदान अथवा राजकीय सहायता के रूप में दी गई सहायता की धन राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): एक विवरण, जिसमें सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में पंजाब को दी गई केन्द्रीय सहायता दिखाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। इसमें भाखड़ा-नंगल परियोजना के लिये दिया गया ऋण सम्मिलित नहीं है।

विवरण

पंचवर्षीय योजना क अन्तर्गत पंजाब को दी गई केन्द्रीय सहायता

वर्ष	पांच वर्ष के लिये दी जाने वाली सहायता	सहायता किस मद में की गई		छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण	विशिष्ट योजनाओं के लिये ऋण	दी गई सम्पूर्ण सहायता
		अधिक अन्न उपजाओ				
		ऋण	अनुदान			
१९५१-५२		९५·३६	१५·३१	—	—	११०·६७
१९५२-५३	११००·००	१०७·९४	२५·९१	२८·८०	—	१६२·६५

प्रो० डी० सो० शर्मा : विवरण मेरे पास है श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सन् १९५२-५३ के ऋण किन प्रयोजनों के लिये निश्चित किये गये हैं ?

श्री हाथी : विवरण में सन् १९५२-५३ के लिये जिन ऋणों तथा अनुदानों का उल्लेख किया गया है वह 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये, जिसमें छोटी सिंचाई परियोजनायें, भूमिसुधार, उत्तम बीज, खाद इत्यादि शामिल है, दिये गये हैं ।

प्रो० डी० सो० शर्मा : मैं ज्ञात सकता हूं कि श्रीमान्, वह विशिष्ट छोटी सिंचाई योजनायें कौन सी हैं जिन के लिये पंजाब में ऋण दिये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की कठिनाई क्या हैं ? यह एक तालिकाबद्ध विवरण है जो एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। मेरे पास भी इस की एक प्रति है। यह सभी बातें, कि ऋण किन कार्यों के लिये दिये गये हैं इत्यादि बहुत सरलता से मूल प्रश्न में रखी जा सकती थीं। तब एक तालिकाबद्ध विवरण के द्वारा, कि छोटी सिंचाई योजनाओं, उत्तम बीजों, खाद इत्यादि के लिये कितनी कितनी धन राशि रखी गई है, उत्तर बहुत सरलता से दिया जा सकता था। भविष्य में माननीय सदस्य ऐसा ही करें ।

प्रो० डी० सो० शर्मा : म ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि किस विशिष्ट कार्य के लिये, किस विशिष्ट छोटी सिंचाई योजना के लिये सन् १९५२-५३ में यह २८·८० का ऋण दिया गया है ?

श्री हाथी : यह तदर्थ रूप से दिया गया है श्रीमान्। किसी भी छोटी सिंचाई योजना को विशिष्ट रूप से बताया नहीं गया है। इन को प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिये—छोटी सिंचाई योजना—काम में लाने का भार राज्य सरकार पर होगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या राज्यों के लिये विशिष्ट

योजनाओं का सुझाव देना, उनकी लागत का अनुमान बताना, और तदर्थ अनुदान दिये जाने से पूर्व उन्हे स्वीकृत करा लेना एक प्रथागत व्यवहार नहीं है ?

श्री हाथी : ऐसी योजनायें समान्यत: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कपड़े का उत्पादन कार्यक्रम

*१०४५. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने अपनी पंच वर्षीय योजना में कपड़े के सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को अंगीकार करने के सम्बन्ध में सिपारिश की है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कपड़े की कौन कौन सी किस्में खादी में उत्पादन किये जाने के लिये सुरक्षित की जायेंगी ; तथा

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट किस्मों का मिल में वार्षिक उत्पादन का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). स्पष्टत: इसका निर्देश हथकरघा उद्योग, जिसमें खादी भी सम्मिलित है, के लिये किए जाने वाले रक्षण से है । खादी के लिये कोई विशेष रक्षण नहीं किया गया । यदि ऐसा है, तो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादन के लिये कपड़े की कुछ किस्में रक्षित की गई हैं और इस के अतिरिक्त, मिलों द्वारा धोतियों के उत्पादन को उनके द्वारा वर्ष अप्रैल १९५१ से मार्च १९५२ तक तय्यार की गई धोतियों की संख्या के ६० प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि कपड़ा जांच समिति इस प्रश्न की पूरी पूरी जांच न कर ले ।

(ग) इसका केवल अनुमान ही बताया जा सकता है, उत्पादन आंकड़ों पर आधारित यह लगभग ४० करोड़ रुपये प्रति वर्ष है ।

श्री दाभी : मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या केवल खादी में ही बनायें जाने के लिये किन्ही किस्मों को रक्षित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं । यह रक्षण तो केवल हथकरघा उद्योग के लिये है और चूंकि खादी भी हथकरघों से तय्यार की जाती है, इस लिये रक्षण वाली यह बात खादी पर लागू होगी ।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि खादी मिल में बने कपड़े तथा मिल में बने सूत से हथकरघे द्वारा तय्यार किये गये कपड़े, दोनों से ही महंगी है और इस लिये केवल हथकरघे के लिये रक्षण करने से खादी को कोई लाभ नहीं होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही बात है ।

श्री एस० जी० पारिख : मैं जान सकता हूं कि क्या बंगाल की मिलों ने इन प्रतिबन्धों का पालन किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसे कई मामले हुए हैं जिन में मिलों ने इन प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया है ।

श्री एस० जी० पारिख : सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी ओर देखकर अपनी बात कहें इससे सदन के प्रत्येक भाग में उनकी बात सुनी जा सकती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन प्रतिबन्धों के पालन करवाने के समबन्ध में जो कार्यवाही की जा सकती है सरकार उन पर विचार कर रही है ।

श्री ए० एम० टामस : मिलों द्वारा कई किस्मों के उत्पादन पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाई गई है। मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या इसके परिणाम स्वरूप मिलों में मज़दूरों की छंटनी की गई है अथवा मिलें बंद हुई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा नहीं हुआ।

श्री अच्युतन उठे--

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या कपड़ा जांच समिति से इस विषय पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अच्युतन।

श्री अच्युतन : मेरा प्रश्न तो यही था जो कि अभी पूछा गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हो सकता है कि मैं इस बात को दुहरा रही हूं। हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि बंगाल के मामले में मिल में बनने वाली धोतियों के लिये जितना कोटा सुरक्षित किया गया था उसे हटा दिया गया है क्या यह सत्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बंगाल का प्रश्न तो एक विशेष प्रकार का है। हमने इन प्रतिबन्धों में कुछ कमी कर दी है। हम देखते हैं कि मिलें इन कम कर दिये गये प्रतिबन्धों के अनुसार भी काम नहीं कर रही हैं। इस सम्बन्ध में क्या किया जाना है यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि वर्ष १९५२-५३ में मिल में बने कपड़े, हथकरघे के कपड़े तथा खादी का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसे ठीक ठीक बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या खादी के लिये रक्षा करने के प्रश्न पर खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने विचार किया है और क्या इस विषय में सरकार को कोई सुझाव दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इसी के विषय में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खादी के लिये कोई रक्षण नहीं किया गया है। खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने भी ऐसे रक्षण के लिये नहीं कहा, किन्तु उसने खादी उद्योग को आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता देने जैसी अन्य सुविधायें देने के लिये कहा है। वह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल मिल मालिक संघ ने इस सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र दिया है कि पूजा के दिनों में बिक्री के लिये पश्चिमी बंगाल की मिलों को अधिक उत्पादन के लिये विशेष अनुमति दी जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पश्चिमी बंगाल की मिलें तो ज्ञापन देती जाती हैं। विभिन्न स्थानों की मांगों में भेदभाव करना कठिन है। हो सकता है कि हमें ऐसा एक ज्ञापन मिला हो।

श्री सारंगधर दास उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को देर हो गई।

श्री सारंगधर दास : आप दूसरी ओर देख रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो सभी ओर देख रहा हूं।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि धोतियों के ६० प्रतिशत तक उत्पादन

पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण बची हुई उत्पादन क्षमता का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ? क्या यह निर्यात के लिये कुछ विशेष वस्तुओं को बनाने के लिये है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने की बात हम पूरी तरह से मिलों पर छोड़ देते हैं । किन्तु सामान्य रूप से लट्ठे (लोंग क्लाथ) का उत्पादन बढ़ गया है ।

बाबू रामनारायण सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए....

श्री रघुनाथ सिंह : हिंदी में ।

बाबू रामनारायण सिंह : वह केवल अंग्रेजी समझते हैं ।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि अन्य किसी प्रकार के कपड़े के उत्पादन की अपेक्षा खादी के उत्पादन कार्य में अधिक लोग लगे हुए हैं, खादी को विशेष रक्षण क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने बताया तो है कि खादी बोर्ड ने भी, जिसके अधीन इस समय खादी का उत्पादन कार्य हो रहा है, रक्षण के लिये नहीं कहा है । वह समझता है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे खादी की मात्रा तथा किस्म दोनों में ही विकास किया जा सकता है ।

श्री केलप्पन : क्या ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि मिलें अपने निर्धारित कोटे से अधिक उत्पादन करती रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें ऐसी शिकायतें मिली हैं ।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि हथकरघे के कपड़े की कौन कौन सी किस्में रक्षित की गई हैं और ये कपड़े के कुल उत्पादन की कितनी प्रतिशत हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन किस्मों की सूची लम्बी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सूची पहले पढ़ी जा चुकी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कई बार बताई जा चुकी है । मैं माननीय सदस्य को वह सूचना दे सकता हूं । इस समय उसकी प्रतिशतता बताना कठिन है ।

श्री हेडा उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दस से अधिक प्रश्न करने दिये हैं ।

विज्ञापनों का देना

* १०४६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के लिये देने के मामले में किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है ?

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों का भी पथ प्रदर्शन करने के लिये आचरण सम्बन्धी समान नियम हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में भारत सरकार के विज्ञापनों को देने के मामले में इन सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाता है: प्राप्त धन के अनुसार ही सर्वाधिक प्रकाशन करना, उन्हें सभी प्रकार के लोगों को पहुंचाना विशेषकर उन विज्ञापनों को जिनमें जनता के लिये संदेश हो, समाचार पत्रों को चुनने में इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें कितने लोग पढ़ते हैं, प्रकाशन में नियमितता, किस वर्ग के लोग उन्हें पढ़ते हैं, पत्रकारिता सम्बन्धी व्यवहार के स्वीकृत सिद्धान्तों को मानना तथा अन्य बातों, जैसे प्रकाशन स्तर, भाषायें तथा जिन क्षेत्रों में उनको प्रकाशित करवाना, आदि का ध्यान रखना ।

(ख) अपने विज्ञापन समाचार पत्रों को देने के मामले में राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार कार्य करती हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि विगत काल में कुछ समाचार पत्रों ने सरकार की विभेदात्मक तथा 'चाहे जिसको' विज्ञापन देने की नीति के विरुद्ध शिकायत की है ?

डा० केसकर : जी हां, कुछ समाचार पत्रों ने शिकायत की है, कुछ समाचारपत्र शिकायत कर रहे हैं तथा भविष्य में शिकायत करेंगे ।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना कि अंग्रेज़ी के समाचार पत्रों का रखा जाता है ?

डा० केसकर : भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को हमने अभी तक अपने विज्ञापन अधिक नहीं दिये और ऐसा उन सिद्धान्तों के कारण हुआ जिनका हम अभी तक अनुसरण करते रहे हैं । किन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया, अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के बाद हमने देश की भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक अधिमान देने का निश्चय किया है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार की नीति ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की है जिनमें साम्प्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी लेख छपते हैं ?

डा० केसकर : यदि सरकार इस बात को समझती है कि कोई विशेष समाचार पत्र हमेशा ही झूठा तथा बहुत अधिक साम्प्रदायिकता का प्रचार करता है, तो सरकार ऐसे समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं देती ।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या इस आरोप में कोई सचाई है कि कुछ समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन इस लिये नहीं दिये जा सकते क्योंकि वे सदा ही सरकार का समर्थन नहीं करते, उदाहरणार्थ, बम्बई का 'टाइम्स आफ इंडिया' ?

डा० केसकर : यह सत्य है कि उस समाचार पत्र को सबसे अधिक सरकारी विज्ञापन दिये गये थे ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के मामले में इस सिद्धान्त का ध्यान रखा जाता है कि उस विशेष समाचार पत्र की नीति राज्य द्वारा घोषित तथा बरती जाने वाली नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिये ?

डा० केसकर : जैसा कि मैंने बताया कि राज्य सरकारें इस मामले में अपने स्व-विवेक से काम करती हैं । मैं यह नहीं बता सकता कि राज्य सरकारें किन सिद्धान्तों का अनुसरण करती हैं ; किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह बात ऐसी नहीं है । और वास्तव में, सरकार के अधिकांश विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो कि सरकार की बहुत आलोचना करते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस आशय की शिकायत मिली हैं कि अभी तक सरकारी विज्ञापन देने में हिन्दी पत्रों की उपेक्षा की जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई उपाय करने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० केसकर : मैं ने तो आप को बताया कि जो देशी भाषाओं के अखबार हैं उन को काफी तादाद में विज्ञापन नहीं मिलते थे लेकिन जो हमने नई नीति अपनाई है उस में देशी भाषाओं के जो पत्र हैं उन को अधिक विज्ञापन दिये जाते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने कौन से अखबारों को विज्ञापन देने के लिये छांटा है और उन

को एक वर्ष में कौन सी धन राशि दी जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सारे भारत के पत्रों की तालिका चाहती हैं, जिन की संख्या लगभग सौ के होगी ।

कुमारी एनो मस्करीन : मैं उन को दी जाने वाली धन राशि जानना चाहती हूं ?

डा० केसकर : श्रीमान्, धनराशि बताना सम्भव नहीं है ; क्योंकि सरकारी विज्ञापन कोई निश्चित पद नहीं हैं । ऐसे समाचारों के पद आ जाते हैं जैसे राष्ट्रीय बचत योजना इत्यादि और उन को एक निश्चित धन राशि दे दी जाती है । समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भी तालिका बताना संभव नहीं है क्योंकि कुछ समाचार पत्र बन्द होते जाते हैं और कुछ नये निकलते जाते हैं । इस प्रकार तालिका अनिश्चित अवस्था में ही रहती है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : शब्द 'साम्प्रदायिक' की क्या परिभाषा है क्या सरकार द्वारा कहीं पर यह परिभाषा दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस का अर्थ समझते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या बात है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन देती है जो सरकार के आलोचक हैं तथा बम्बई की राज्य सरकार स्पष्ट कहती है कि वह ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं देगी जो उस की आलोचना करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकार नहीं हैं ।

डा० केसकर : जैसा कि मैं कह चुका हूं मैं राज्य सरकारों की ओर से उत्तर नहीं दे सकता हूं । मैं माननीय सदस्या को याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस कार्य का सम्बन्ध है राज्य सरकार अपने अधिकारों की सीमा के अन्दर है । परन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है मैंने बता दिया कि हमारी नीति क्या है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसे समाचारपत्रों की कोई 'काली सूची' रखती है जिन को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं ?

डा० कसकर : समाचारपत्रों की 'काली सूची' जैसी कोई वस्तु नहीं है । यदि सरकार तै कर देती है कि किसी विशेष समाचार पत्र को विज्ञापन न दिये जायं तो उसको विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं । इस के अतिरिक्त इस काम के लिये समाचारपत्रों की कोई काली सूची नहीं रक्खी जाती है

श्रीमती ए० काले : सरकार के द्वारा विज्ञापनों पर कितना रुपया व्यय किया जाता है और कितना रुपया अंग्रेजी समाचार पत्रों पर व्यय किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी अभी इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्रीमती ए० काले : मैं धनराशि जानना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : धनराशि बताना संभव नहीं है क्योंकि यह तो विज्ञापनों पर निर्भर करता है ।

श्री मुनिस्वामी : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि इस सम्बन्ध में विवेकाधीन अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन को अन्तर्निहित रूप से यह अधिकार प्राप्त हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि राज्य सरकारों के विरुद्ध समाचार-

पत्रों द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया जावे तो क्या केन्द्रीय सरकार उस पर ध्यान देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे ध्यान दे सकती है ? माननीय मंत्री कह चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के ऊपर कोई पुनर्वाद न्यायालय के समान नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार विज्ञापनों द्वारा समाचार पत्रों की नीति पर नियंत्रण करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार ऐसा कदापि नहीं करना चाहती है ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह विज्ञापन किन्हीं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा दिये जाते हैं या सरकार स्वयं यह विज्ञापन समाचार पत्रों को देती है ?

डा० केसकर : सामान्य रूप से विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ही दिये जाते हैं ।

श्री फिरोज गांधी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस नीति पर क्यों न चलना चाहिये कि किसी भी समाचार पत्र को कोई भी विज्ञापन न दे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा ।

चल तथा अचल निष्क्राम्य सम्पत्ति

*१०४८. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार को चल तथा अचल निष्क्राम्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में शर्णार्थियों के पाकिस्तानी मंत्री का उत्तर प्राप्त हो चुका है ?

(ख) चल तथा अचल निष्क्राम्य सम्पत्ति तथा अन्य अनिश्चित समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार और कौन से उपाय कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) निष्क्राम्य सम्पत्ति के विषय पर, भारत सरकार तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में, २७ जुलाई से १३ अगस्त १९५३ तक, कराची में, एक वाद विवाद माला चलती रही । कुछ विषयों पर दोनों पक्ष सहमत हुए थे । आशा की जाती है कि २० सितम्बर १९५३ के पूर्व वाद विवाद और आगे बढ़ाया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि पुरुषार्थियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का जल्द तसफिया न होने के कारण पुरुषार्थियों में बहुत ज्यादा असन्तोष फैला हुआ है ?

श्री ए० पी० जैन : सच है ।

सरदार ए० एस० सहगल : इस को दूर करने की जल्द से जल्द क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री ए० पी० जैन : बराबर पाकिस्तान से बात चीत चल रही है और लिखा जा रहा है कि जल्दी फैसला हो ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार अपने पुराने निश्चय पर दृढ़ रहेगी कि पाकिस्तान से कोई बातचीत हो या न हो सरकार इस समस्या को हल करेगी या हाल की बातचीत से उस नीति में कोई अन्तर हो गया है ?

श्री ए० पी० जैन : इस विषय के सम्बन्ध की सारी नीति सरकार के निर्णयों तथा बात चीत दोनों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से निर्धारित की जाती है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को पता है कि इस समस्या को हल करने में होने वाला

विलम्ब विस्थापित व्यक्तियों को बहुत दुख पहुंच रहा है जैसा कि इस बात से प्रकट होता है कि सरकार को अनेक बार शुल्क न दे पाने पर ऐसे बल प्रयोगी उपाय करने पड़ते हैं जैसे व्यवस्थापित व्यक्तियों का उन के निवास स्थानों से निकाला जाना यहां तक कि सरकार को कुर्की भी करना पड़ती है .....

उपाध्यक्ष महोदय : जिस को सम्पत्ति नहीं दी गई है वही दुख उठा रहा है। इस में बहस की क्या आवश्यकता है ?

श्री गिडवानी : श्रीमान् दशा बिगड़ती जा रही है। क्षतिपूर्ति विधेयक इस सत्र में, पुरःस्थापित किया जाने वाला था। परन्तु वह विधेयक और भी आगे टाला जा रहा है। इस का परिणाम यह है कि कष्ट बढ़ रहे हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है और उन के पानी पीने के गिलास तक कुर्क हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सब कहने की आवश्यकता है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैंने माननीय सदस्य का भाषण अच्छी प्रकार सुन लिया है।

श्री गिडवानी : क्या मंत्री के लिये यह कहना उचित है कि 'मैंने माननीय सदस्य का भाषण अच्छी तरह सुन लिया है' ? मैं इस पर कड़े शब्दों में आपत्ति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहता हूं कि यह बहुत ही भावुकता पूर्ण विषय है। माननीय सदस्य जानते हैं कि निष्क्राम्य व्यक्ति किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। सदन भी उन कठिनाइयों को अनुभव कर रहा है। माननीय सदस्य एक सीधा सा प्रश्न पूछ सकते थे कि वह विधेयक कब रक्खा जायगा क्या उस के इस सत्र में रक्खे जाने की कोई संभावना है। उस से सदन की तथा जनता की जानकारी बढ़ती। उस के बजाय माननीय सदस्य उनके कष्टों का ब्योरा दिये चले जा रहे हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि उन्हें इन सारी बातों का ज्ञान है। वे और कह ही क्या सकते हैं ?

श्री गिडवानी : श्रीमान्, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा, 'मैंने माननीय सदस्य का भाषण अच्छी तरह सुन लिया है' क्या उनके लिये ऐसा कहना उचित है, श्रीमान्?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। मैं यही कह सकता हूं कि वही सदस्य जब मंत्री हो जाते हैं तो उन से आशा की जाती है कि वे तनिक और सहनशील हो गये होंगे। उन्हें जल्दी बुरा नहीं मानना चाहिये। केवल उन्हीं से तो प्रश्न पूछे जायेंगे। किसी भी सदस्य से प्रश्न नहीं किये जायेंगे।

कुमारी एनी० मस्करीन : मैं एक औचित्य प्रश्न करना चाहती हूं। इस सदन में ऐसा होता रहा है कि कैबिनेट के मंत्री कटोक्तियों तथा अपमान-जनक शब्दों द्वारा विरोधी दल के सदस्यों का अपमान करते रहे हैं। एक ऐसा नियम होना चाहिये जिस से वह तथा हम दोनों ही नियमित हों। मैं चाहती हूं कि इस विषय पर निर्णय दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय: परिकल्पनात्मक विषय पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। मैं निर्णय दे चुका हूं पर मैं देखता हूं कि उस के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि कभी कभी दोनों ओर से कटोक्तियां कही जाती हैं परन्तु माननीय सदस्य तुरन्त ही अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं। हम सब हंसी खुशी से काम करते आ रहे हैं। कभी कभी ऐसी बातें उठ खड़ी होती हैं और वह तो होती ही रहेंगी।

सरदार हुक्म सिंह : हमें बताया गया है कि दोनों देशों की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं से स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त क्या स्थिति है और उस की प्रतिक्रियायें क्या हो रही हैं?

श्री ए० पी० जैन : एक बार...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। उत्तर सुनने दीजिये। श्री बंसल। दुर्भाग्य से मुझे उन माननीय सदस्यों को सम्बोधित करना पड़ता है जो बातचीत कर रहे हैं। उन्हें बातचीत नहीं करना चाहिये।

श्री ए० पी० जैन : उस वक्त जब हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता होने की संभावना नहीं थी हम एक पार्श्विक रूप से एक विधेयक रखने का विचार कर रहे थे परन्तु बाद में जब यह पता चला कि पाकिस्तान बात चीत करने को तय्यार है तो उस विधेयक का पुरःस्थापन रोक दिया गया। अतः जैसा मैं कह चुका हूं यह हमारे निर्णयों तथा पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत की क्रिया तथा प्रतिक्रिया का प्रश्न है क्योंकि निष्क्राम्य सम्पत्ति का सारा प्रश्न हमारे तथा पाकिस्तान के मध्य लम्बी चौड़ी बातचीत का विषय रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : अब स्थिति क्या है, श्रीमान्? इस का उत्तर नही दिया गया। क्या हमें बातचीत तथा अन्तिम निर्णय की राह देखनी पड़ेगी या सरकार आगे कदम बढ़ायेगी . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बताने की कोई गुंजायश है कि वह विधेयक इस सत्र में या निकट भविष्य में पुरःस्थापित किया जाने वाला है या नहीं?

श्री ए० पी० जैन : कोई तारीख निश्चित करना कठिन है क्योंकि बातचीत चल रही है तथा जब तक बातचीत का परिणाम न मालूम हो जाय, हमारे लिये किसी एक पार्श्विक उपाय की बात सोचना उचित न होगा।

शिक्षात्मक प्रसारण

*१०४९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षात्मक प्रसारणों में तीव्र तथा व्यापक रुचि उत्पन्न करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ; तथा

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा राज्यों के शिक्षा प्राधिकारियों के साथ मिल कर इस प्रयोजन के लिये कोई योजना तैयार की गई है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). अखिल भारतीय रेडियो के ११ केन्द्रों द्वारा विशेष शिक्षात्मक कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि ये प्रसारण कितने-कितने समय बाद किस किस समय तथा कितने-कितने समय के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं, किस आयु वर्ग के लिये अभिप्रेत होते हैं और किस भाषा में होते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]** कुछ अन्य केन्द्रों में भी शिक्षात्मक कार्यक्रम चालू करने की प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं। कुछ क्षेत्रों में ये प्रसारण स्कूल पाठ्य क्रम का एक भाग होते हैं य कार्यक्रम भिन्न भिन्न रूप में प्रसारित किये जाते हैं, यथा, चर्चा, वाद विवाद, वाचन आदि। इसका सम्बन्ध बहुत से विषयों से होता है। कार्यक्रमों की रूपरेखा पर परामर्श मंडलियों के साथ विचार-विनिमय किया जाता है।

परामर्श मंडलियों में शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य ऐसे निकायों के प्रतिनिधि होते हैं जो ऐसे प्रसारणों में दिलचस्पी रखते हों । यह तय किया गया है कि शिक्षात्मक प्रसारण के कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से बनाये जायेंगे । मंत्रालय ने इस सिलसिले में समस्त राज्य सरकारों को लिख कर उनके सुझाव मांगे हैं तथा उनसे कहा है कि जहां कहीं आवश्यक हो वे मंत्रणा समितियां स्थापित करके स्थानीय स्टेशन डायरेक्टरों को सहयोग दें ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : सदन पटल पर रखे गये विवरण से यह पता चलता है कि कुछ रेडियो स्टेशन ऐसे भी हैं जहां शिक्षात्मक प्रसारणों की व्यवस्था नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्टेशनों को क्यों छोड़ दिया गया है और वहां से कब तक शिक्षात्मक कार्यक्रम प्रसारित किये जाने लगेंगे ? यदि वहां से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० केसकर : मैंने अपने उत्तर में कहा था कि कुछ अन्य स्टेशनों में शिक्षात्मक प्रसारण चालू करने की प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं । जहां तक शिक्षात्मक प्रसारणों का प्रश्न है, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब राज्य विशष की शिक्षा संस्थायें तथा शिक्षा विभाग सक्रिय रूप से कुछ सहयोग दें । कुछ राज्यों ने अधिक सक्रिय रूप से सहयोग दिया है जिसके फलस्वरूप वहां शिक्षात्मक कार्यक्रम अन्य राज्यों की अपेक्षा जल्दी प्रसारित किये जाने लगे, परन्तु मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही हम अन्य स्टेशनों से भी, जिनकी ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे थे, शिक्षात्मक कार्यक्रम प्रसारित करने लगेंगे ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या सरकार का इरादा यह है कि ये प्रसारण केवल सामान्य जानकारी के विषयों के संबंध में ही हों, पाठ्यक्रम के संबंध में नहीं ?

डा० केसकर : मैंने कहा था कि कुछ स्थानों पर स्कूल के पाठ्यक्रम भी प्राधिकारियों के परामर्श से प्रसारित किये जा रहे हैं । परन्तु यह सब हमारे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों के साथ विचार-विनिमय पर निर्भर है । कुछ स्थानों पर वे स्कूलों के पाठ्यक्रमों को भी प्रसारित करवाना लाभप्रद समझते हैं क्योंकि जहां सभी स्कूलों में रेडियो सैट मौजूद हैं वहां ऐसा किया जा सकता है । हां, जहां स्कूलों के प्राधिकारी या शिक्षा विभाग उक्त खर्च उठाने को तैयार नहीं है, वहां पाठ्यक्रमों का रेडियो पर प्रसारित किया जाना स्वाभावतः ठीक नहीं है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बारे में हम कोई निश्चित बात नहीं कह सकते । सारी बात हमारे तथा राज्य विशेष के शिक्षा प्राधिकारियों के बीच विचार-विनिमय पर निर्भर करती है ।

श्री वैलायुधन : सरकार का वाणिज्यिक प्रसारणों के सम्बन्ध में, जो कुछ हद तक शिक्षा सम्बन्धी महत्व रखते हैं, क्या करने का इरादा है ।

डा० केसकर : हो सकता है कि मेरे माननीय मित्र जैसे लोगों के लिये वाणिज्यिक प्रसारण कुछ शिक्षा सम्बन्धी महत्व रखते हों, परन्तु सरकार के ख्याल में तो इनका ऐसा कोई महत्व नहीं है ।

श्री वीरस्वामी : क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में शिक्षात्मक कार्यक्रम स्कूल के समय प्रसारित किये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास सारणीबद्ध विवरण मौजूद है। माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं ।

डा० केसकर : मद्रास में मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों के लिये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे स्कूल के समय प्रसारित किये जाते हैं? माननीय सदस्य का प्रश्न यह है । मैं समझता हूं सभी कार्यक्रम स्कूल के समय ही प्रसारित किये जाते हैं ?

डा० केसकर : जी हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इन रेडियो स्टेशनों में कार्यक्रम तैयार करने के लिये स्टेशन डाइरेक्टर के अधीन कोई शिक्षा समिति भी है या यह काम पूर्ण रूप से प्रोग्राम डायरेक्टर के हाथ में ही होता है, जो कि शिक्षा प्राधिकारियों के साथ विचार-विनिमय करके कार्यक्रम बनाता है ?

डा० केसकर : जी नहीं । वहां एक विशेष समिति होती है । सामान्य रूप से इस विशेष समिति में स्टेशन डायरेक्टर की सहायतार्थ उस क्षेत्र के दो-तीन शिक्षाशास्त्री होते हैं और उनके अलावा उसमें राज्य विशेष का शिक्षा निदेशक भी होता है । कुल मिला कर उसमें कोई पांच व्यक्ति होते हैं । यह बात केवल प्रोग्राम डायरेक्टर पर ही नहीं छोड़ी जाती है कि वह जैसा चाहे कार्यक्रम तैयार करे । वस्तुतः हैडक्वार्टर की विशेष अनुमति के बिना तो वे कोई शिक्षात्मक प्रसारण प्रारम्भ भी नहीं कर सकते ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विलायत से बी० बी० सी० ऐक्सपर्ट मिस्टर इस्टीवैंस अगस्त के महीने में आखिरी सप्ताह में आये थे और उन्होंने रेडियो द्वारा शिक्षा देने के सम्बन्ध में प्रदर्शन किये थे, मैं जानना चाहता हूं कि उस पर क्या अमल किया जा रहा है ?

डा० केसकर : मिस्टर इस्टीवैंस को इस तरह के प्रदर्शन देने के लिए हमने बुलाया नहीं था, लेकिन ऐज्यूकेशनल ब्राडकास्ट के बारे में जो कुछ सुझाव हमारे सामने पेश होते हैं, या जो हमको नये नये सुझाव मिलते हैं, उन सब पर हम विचार करते हैं ।

कोसी नियन्त्रण योजना

*१०५०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोसी नियन्त्रणा योजना पर नये सिरे से विचार करने के लिये जून १९५३ में किसी समय दिल्ली में विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन लोगों ने भाग लिया तथा सम्मेलन का प्रयोजन क्या था ; तथा

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में कोई विनिश्चय किये गये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई बेल्का बांध योजना पर चर्चा करने के लिये ६ जून, १९५३ को एक अन्तर्विभागीय बैठक हुई थी । बैठक में सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(ग) यह फैसला किया गया कि इस मामले पर कोसी मंत्रणा समिति के साथ चर्चा की जाये ।

श्री एन० एल० मिश्र : क्या फिर कोसी मंत्रणा समिति के साथ चर्चा की गई थी और यदि की गई थी, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हाथी : मंत्रणा समिति के सदस्यों के साथ गत जुलाई में चर्चा की गई थी। वहां यह तय हुआ कि आगे जांच पड़ताल केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की जाये।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कोसी नदी की बाढ़ के कारण हुई क्षति का तथा निवारक उपायों के फलस्वरूप होने वाले लाभों का विस्तार से पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री हाथी : निवारक उपायों के फलस्वरूप होने वाले लाभों के सम्बन्ध में सामग्री अभी इकट्ठी की जानी है। जहां तक सिंचाई से होने वाले लाभों का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है ?

श्री जो० पी० सिन्हा : क्या कोसी परियोजना की पड़ताल का कार्य आरम्भ हो गया है और क्या यह सच है कि अन्य परियोजनाओं, जिनकी पड़ताल बाद में आरम्भ हुई, का कार्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है ? इस विभेद का क्या कारण है ?

श्री हाथी : कोसी परियोजना की समस्या संसार की सब से अधिक जटिल समस्याओं में से एक है। वहां बाढ़ों के नियन्त्रण का प्रश्न आसान नहीं है। नदी प्राय: रास्ता बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त बांधों की नींव भी बहुत गहरी रखनी पड़ती है। अतएव स्वभावत: इसमें अन्य परियोजनाओं की अपेक्षा अधिक समय लग गया है ?

भ्रष्टाचार का दमन

*१०५१ **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **योजना** मंत्री सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री द्वारा २१ मई, १९५३ को अहमदाबाद दिये गये इस वक्तव्य—कि भारत सरकार प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार का दमन करने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है — की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सेवक समाज की सिफारिशों पर, जिन्हें सरकार सामान्य रूप से मानती है, अमल करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। वह कहते हैं कि मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ?

श्री फीरोज गांधी : यह प्रश्न तो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है; इसका योजना से क्या ताल्लुक है ?

श्री० एम० एल० द्विवेदी : योजना आयोग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार समाप्त करने के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर एक संकल्प के सिलसिले में यहां काफ़ी लम्बा चौड़ा वाद विवाद हो चुका है और सदन इस विषय पर काफ़ी समय व्यतीत कर चुका है। अब मंत्री कहते हैं कि यह विषय विचाराधीन है; हमें उनकी प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

हथकरघा वस्तुएं

*१०५२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में तथा अन्य स्थानों पर भारतीय हथकरघा उद्योग की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है ?

(ख) क्या चार वाणिज्यिक एजेंटों वाले विक्रय संगठन ने समस्त प्रस्ताविक प्रदेशों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

(ग) हथकरघा उद्योग में सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन टेकनीक और डिजाइनों में सुधार करने वाली विक्रय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग में केन्द्रीय हथकरघा डाइरेक्टोरेट की स्थापना के लिए क्या किया गया है ?

(घ) क्या हथकरघा उद्योग को विकास के लिए कोई राशि दी गई है ?

(ङ) यदि हां, तो कितनी और कहां से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या २९]**

(ख) इस सम्बन्ध में व्यवस्था पूरी हो रही है ?

(ग) डाइरेक्टोरेट की स्थापना हो चुकी है।

(घ) और (ङ). हथकरघा उद्योग के विकास की योजनाएं विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई हैं । 'खादी व अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम', १९५३ के अंतर्गत लगाए गए शुल्क से निर्मित 'हथकरघा कोष' में विभिन्न राज्यों को अनुदान दिया जाएगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सदन पर रक्खे गए विवरण के तीसरे मद से उत्पन्न क्या मैं जान सकता हूं कि कितने देशों में हथकरघा वस्त्र के लिए 'शो-रूम' तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उक्त मद में कहा गया है कि व्यापार प्रतिनिधियों से 'शो-रूम' खोलने की प्रार्थना की गई है । स्वभावतः ही प्रार्थना की क्रियान्विति में कुछ समय लगेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि हथकरघा वस्तुओं के लिये अपनाई गई मुक्तरूप से लाइसेंस देने सम्बन्धी उदार नीति का कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : व्यवहार रूप से, सब प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में मुक्तरूप से लाइसेंस दिया जाता है । यह कहना बहुत कठिन है कि कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है । इसके लिये मुझे उपलब्ध आंकड़े देखने होंगे । सामान्यतः, हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार स्वयं अपने विभागों, जैसे मिलिटरी, रेलवे, डाक व तार तथा चिकित्सा, के लिये हथकरघा वस्त्र को खरीद रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि सदन को याद होगा कि तीन चार मास पूर्व निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री ने हथकरघा उद्योग की वस्तुओं के सम्बन्ध में एक परिपत्र सरकारी विभागों को भेजा था ।

श्री गौडिलिंगन गौड़ : क्या यह सच है कि बुनकरों के पास हथकरघा वस्त्र का बहुत सा स्टाक जमा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता करने का विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह नारा हम बहुधा सुनते हैं । सभी नारों में सचाई की कुछ मात्रा रहती है ।

श्री केलप्पन: क्या हम जान सकते हैं कि यह केन्द्रीय डाइरेक्टोरेट कहां स्थित है और इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : डाइरेक्टोरेट के कोई सदस्य नहीं हैं । यह कोई डाइरेक्टरों का बोर्ड नहीं है । यह एक सरकारी प्रशासी संगठन है । इसे मद्रास में स्थापित करने का विचार है ।

श्री रघुरामय्या : अब प्राप्त अनुभव के आधार पर मध्य-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में किन किन प्रकारों का हथकरघा वस्त्र अधिक चलता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुभव प्राप्त करने का अभी समय ही नहीं मिला । अभी माननीय सदस्य को कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी ।

जोंक परियोजना के प्राक्कलन

*१०५३. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री ९ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४० के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस के बाद से मध्य प्रदेश की जोंक नदी घाटी योजना को पूरा करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी इस विषय में क्या प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और क्या यह योजना आरम्भ करने के योग्य है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जोंक नदी के प्रस्तावित बांध के स्थान पर की चट्टानें कोमल, भुरभुरी और अनुपयुक्त पाई गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है । दूसरे भाग के सम्बन्ध में, यह परियोजना असाध्य होने के कारण त्याग दी गई है ।

(ख) जी हां ।

कटक रेडिओ स्टेशन से दोपहर का कार्यक्रम

*१०५४. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कटक रेडिओ स्टेशन से मई, १९५३ के द्वितीय सप्ताह से दोपहर का कार्यक्रम क्यों बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से पहले परामर्श ले लिया गया था ;

(ग) क्या जनता से इस दोपहर के कार्यक्रम को पुनः चालू करने के प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इरादा इस कार्यक्रम को पुनः चालू करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कटक रेडिओ स्टेशन से ३१ मई, १९५३ से दोपहर का कार्यक्रम मितव्ययता लाने के लिये बन्द कर दिया गया था और उसी दिन से दोपहर की उड़िया समाचार बुलेटिन कलकत्ते से हाई पावर शार्ट वेव तथा लो पावर मीडियम वेव ट्रान्समिटरों से प्रसारित की जाने लगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

श्री संगण्णा : क्या 'कार्यक्रम मंत्रणा समिति' से परामर्श कर लिया गया था ?

डा० केसकर : जी नहीं ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

*१०५५. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरबा क्षेत्र में कोरबा कोयला क्षेत्र को खोलने और उसे चम्पा से कोरबा तक की एक नई रेलवे लाइन

द्वारा चम्पा से मिलाने का निर्णय कर लिया गया है ?

(ख) क्या कोरबा क्षेत्र का समुचित पूर्वेक्षण कर लिया गया था और यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(ग) इस कोयला क्षेत्र के पूर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न कोयला की तहों, उनकी स्थिति, मोटाई तथा क़िस्म के बारे में क्या मुख्य बातें विदित हुईं ?

(घ) कोरबा क्षेत्र को खोलने के लिये क्या कोयला आयुक्त से परामर्श लिया गया था और उनका क्या परामर्श था ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, प्राइवेट पार्टियों, विशेष कर मेसर्स डनलप कोसीडाइन तथा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ सीमा तक कोरबा कोयला क्षेत्र का पूर्वेक्षण किया गया था ।

(ग) पूर्वेक्षण के कार्य से यह विदित हुआ कि इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में कोयले की लगभग बीस तहें हैं, जिनकी मोटाई कुछ इंचों से लेकर १५० फीट तक है । इनमें से घोरदेव (५ फीट), राजगमर (६ फ़ीट), सब से आकर्षक तहें हैं किन्तु इस बात की प्रत्येक सम्भावना है कि कोरबा (जतरंग) (७० फ़ीट) तथा सोनपुरी (२६ फ़ीट) को भी कार्य करने योग्य पाया जायगा । गोरदेव तथा राजगमर दोनों तहों के कुछ सेम्पिलों से प्रतीत होता है कि कोयला उच्च क़िस्म का है ।

(घ) जी हां, उनसे परामर्श लिया गया था और कोयला आयुक्त कोरबा क्षेत्र को विकसित करने के पक्ष में थे ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि मेसर्स डनलप कोसीडाइन, एक जर्मन कम्पनी, को कोरबा क्षेत्र के केवल १० मील में खनन का पट्टा दिया गया है जब कि नई लाइन नदी के पूर्व की ओर होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, उक्त कम्पनी को दस वर्ग मील के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि कोरबा क्षेत्र में कोयले की खदानों को खोदने के लिये और ठेका लेने के लिये कितनी दरखास्तें आयीं हैं और कोयला खदानों का काम कब शुरू किया जा रहा है, और क्या यह सच नहीं है कि जो रेल चांप से कोरबा तक जाती है उससे कोयले की खदान कहीं दूर उत्तर की ओर है ?

श्री आर० जी० दुबे : कितनी दरख़ास्तें आयी हैं यह तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन अब तक कोरबा कोलफ़ील्ड के क्षेत्र में क़रीब क़रीब बीस ब्लाक्स बनाये गये हैं और यह प्राइवेट पार्टीज़ को बांटें गये हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सही है कि जो पश्चिमी लोग हैं उन लोगों को कोल माइन्स का ज्यादा ठेका दिया गया है बनिस्बत उन लोगों के जो कि ख़ास हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : वैसी चीज़ कोई नहीं है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या कोयले का समुचित रूप से विश्लेषण किया गया है और यह किस क़िस्म का है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, 'कोल ग्रेडिंग बोर्ड' द्वारा कोयले का विश्लेषण किया गया था तथा परीक्षण के बाद यह पाया गया कि कोल ग्रेड बोर्ड के निर्धारणों को पूरा करता है ।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि मेसर्स डनलप कम्पनी को कितनी अवधि के लिये पट्टा दिया गया है और वह कितनी रायल्टी देगी ?

श्री टी० के० चौधरी: क्या यह सत्य है कि आसपास में कोई बड़े उपभोक्ता केन्द्र नहीं हैं और इस रेलवे लाइन को खोलने का निर्णय करने से पूर्व क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था मध्य भारत, बिहार तथा बंगाल के अन्य कोयला क्षेत्र समुचित यातायात की अनुपलब्धता के कारण लड़खड़ा रहे हैं ? माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से प्रतीत होता है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं बतला दूं कि समस्त मामले पर अनेक महत्वपूर्ण निकायों द्वारा विचार किया जा चुका है । उससे पूर्व भी 'कोयला-खदान जांच समिति' द्वारा समस्त मामले पर विचार किया गया था और उसकी निश्चित मुख्य सिफ़ारिश यह थी कि कोरबा कोयला क्षेत्र को खोला जाये । योजना आयोग ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि कोरबा कोयला क्षेत्र को खोला जाये । समस्त प्रश्न पर तथा माननीय सदस्य द्वारा ज़िक्र की गई बातों, नामतः कोयले की उपलब्धता, क़िस्म आदि पर पूरा पूरा विचार करने के बाद ही इस कोयला क्षेत्र को खोलने का निर्णय किया गया था । और दीर्घ-कालीन दृष्टिकोण से यह समझा गया कि यह राष्ट्र के लिये अत्यन्त लाभदायक होगा तथा इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया कि इस कोयला क्षेत्र का विकास करना ठीक होगा ।

सदन के सूचनार्थ, मैं इस विषय पर एक नोट परिचारित करने को तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री के० सी० रेड्डी: मेरा सुझाव है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी से सम्बन्धित तीनों प्रश्न १०५६, १०५७ और १०५८ एक साथ ले लिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय: हां ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी

*१०५६. **श्री मात्तन**: (क) क्या **उत्पादन** मंत्री १७ जनवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४ का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड (भूतपूर्व सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी) ने अपनी फ़ैक्टरी का भार लेने के समय से अब तक कितनी प्रगति की है ?

(ख) क्या उक्त फ़ैक्टरी की बसाखा सिंह वैलेनबर्ग लिमिटेड फ़र्म अब भी प्रबन्ध-एजेण्ट है ?

(ग) क्या इस प्रबन्ध एजेन्सी फ़र्म के विधान या सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है ?

(घ) क्या प्रबन्ध-एजेण्टों के साथ अब भी स्वीडिश फ़र्म सहयोग कर रही है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या मेसर्स बसाखा सिंह की फ़र्म उसके स्थान पर और कोई टेकनिकल सलाहकार प्राप्त करने में सफल हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) दी हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड ने सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी की इमारत, प्लांट और मशीनें १ अप्रैल, १९५३ को अपने हाथ में लीं थीं । इस समय वह इन मशीनों और इमारतों की देखभाल और मरम्मत में लगी हुई है तथा इस सम्बन्ध में काफ़ी प्रगति हुई है । जहां कहीं भी आवश्यकता होती है वह और इमारत बना रही

है तथा मेसर्स बसाखा सिंह वैलेनवर्ग लिमिटेड से पट्टे पर मशीनें ले रही है तथा लगभग अक्तूबर, १९५३ तक समस्त विभागों में उत्पादन आरम्भ करने का प्रबन्ध कर रही है ।

(ख) से (ङ). प्रबन्ध-एजेण्ट नियुक्त करने का कभी प्रस्ताव या इरादा नहीं था । मेसर्स बसाखा सिंह वैलनबर्ग लिमिटेड की फ़र्म हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड में भारत सरकार के साथ बराबर बराबर के भागीदार हैं । यह एक निजी लिमिटेड कम्पनी है जो फ़ैक्टरी की देखभाल करने के लिये बनाई गई है । मेसर्स बसाखा सिंह वैलेनबर्ग लिमिटेड की फ़र्म के विधान या सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उस फ़र्म के विदेशी भागीदार अपना सहयोग दे रहे हैं ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी के लिये मशीनें

*१०५७. **श्री मातन**: (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह मशीनें हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के लिये आ गई हैं जिनका उल्लेख १७ फ़रवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के सम्बन्ध में उत्तर देते समय किया गया था ?

(ख) क्या कम्मनी 'प्रिस्ट्रैस' कांक्रीट की वस्तुयें बनाने में सफल हुई है ?

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा मूल्य कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) निम्नलिखित मशीनें पहले ही आ चकी हैं :—

(१) बम्बे बनाने वाला प्लांट ।

(२) लकड़ी के काम से सम्बन्ध रखने वाला प्लांट ।

'प्रि-स्ट्रेस्ड' कांक्रीट की वस्तुएं बनाने की मशीनें योरुप से जहाज़ में लाद दी गई हैं ।

इस्पात के ढांचे बनाने वाली मशीनें तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी कुछ छोटी छोटी अन्य वस्तुएं तथा अन्य उपकरण, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं, विदेशों से आर्डर देकर प्राप्त किये जा रहे हैं ;

(ख) तथा (ग). नवम्बर, १९५३ तक कम्पनी 'प्रि-स्ट्रैस्ड' काक्रीट की वस्तुएं तैयार करने की आशा रखती है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा किराया देना

*१०५८. **श्री मातन**: (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या समझौते में दी हुई शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी ने किराये का कोई भाग दिया है ?

(ख) पुरानी सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी में जमा सामान के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा वह किसके हाथ में है ?

(ग) क्या उसमें से कोई सामान नई कम्पनी के हाथ में है ?

(घ) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) अभी तक नहीं । ६ दिसम्बर, १९५२ को भारत सरकार तथा मेसर्स बसाखा सिंह वैलनबर्ग लिमिटेड, की फ़र्म के बीच हुए समझौते के खण्ड ११ के अनुसार हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड को यह रियायत दे दी गई है कि यदि पर्याप्त लाभ न हो तो कम्पनी पहले तीन वर्षों तक किराये का भुगतान रोक सकती है ।

(ख) १·७५ लाख रुपये का फ़ालतू सामान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है । बचा हुआ सामान सप्लाई और उत्सर्जन के महानिदेशालय द्वारा बेचा जा रहा है । गृह-निर्माण फ़ैक्टरी, जंगपुरा में एक छोटा सा सरकारी दफ्तर खोल दिया गया है जो सामान की उस समय तक देख-भाल करेगा जब तक कि वह बेच नहीं दिया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मात्तन: क्या स्टोर में एलमोनियम का सामान, जिसकी क़ीमत ३० लाख रुपये है, बेच दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: कुल फ़ालतू सामान की क़ीमत ३५ लाख रुपये है । मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि अलमोनियम वाले सामान की क्या क़ीमत है । जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं इस सारे सामान को सप्लाई तथा उत्सर्जन के महानिर्देशालय द्वारा बिकवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । म माननीय सदस्य को यह बताल दूं कि अगले कुछ दिनों में ही एक विशेष बैठक होने वाली है जिस में इस बात पर विचार किया जायेगा कि सामान को अच्छे दामों में शीघ्र कैसे बेचा जा सकता है ।

श्री मात्तन: क्या माननीय मंत्री इस प्रबन्ध से प्रसन्न हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो अपनी अपनी राय है ।

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, इस विषय में कोई भी व्यक्ति उतना ही प्रसन्न हो सकता है जितना उसकी परिस्थितियां उसे होने दे सकती हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या सरकार फिर इस कम्पनी में कोई रुपया लगा रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी नहीं । कम्पनी तथा सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों में से एक मुख्य शर्त यह भी है कि समस्त अतिरिक्त मशीनें हमारे भागीदार मेसर्स बसाखा सिंह वैलेनबर्ग लिमिटेड की फ़र्म आयात करेगी तथा वही उनकी क़ीमत भी चुकायेगी ।

श्री के० के० बसु: पट्टे पर देने के लिये क्या सरकार को अधिशुल्क प्राप्त हो गया है तथा क्या किराया लाभ पर निर्भर करता है ?

श्री के० सी० रेड्डी: आयकर विधि के अनुसार अवक्षयण के लिये जितनी छट दी जाती है उसके हिसाब से ही किराया लगाया जाता है । कुछ सीमा तक छोड़ कर यह लाभ पर निर्भर नहीं करता है । जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं हम किराया पहले तीन वर्ष तक लेना स्थगित कर सकते हैं किन्तु छोड़ नहीं सकते ।

सरदार ए० एस० सहगल: फ़ालतू सामान की जो क़ीमत ३५ लाख रुपये बताई गई है वह पुस्त क़ीमत है जो कि सरकार ने पहले दी थी या उसकी वर्तमान बाज़ार क़ीमत है ?

श्री क० सी० रेड्डी: यह पुस्त क़ीमत है ।

श्री राधा रमण: इस सम्बन्ध में जो हानि हुई है उसके बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जहां तक नई कम्पनी का सवाल है उसने अभी तक कोई हानि नहीं उठाई है । कदाचित् माननीय

सदस्य पुरानी गृह-निर्माण कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि का निर्देश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री उसका अभी उत्तर दे सकते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : उसका हिसाब नहीं लगाया गया है। अभी अन्तिम रूप से हिसाब लगाना बाक़ी है।

श्री नटेशन : मेसर्स बसाखा सिंह वैलेनबर्ग लिमिटेड की फ़र्म ने वास्तव में कितनी राशि लगाई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं उन्होंने पहले ही कुछ मशीनें आयात कर ली हैं। उन्होंने अब तक ठीक ठीक कितनी राशि लगाई है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। किन्तु अनुमान लगाया जाता है कि यह कम्पनी अतिरिक्त मशीनें खरीदने में १७ लाख रुपये तथा कार्यवाहक पूंजी के रूप में १० लाख रुपये लगायेगी।

श्री मात्तन : बसाखा सिंह वैलेनबर्ग लिमिटेड की फ़र्म ने कितनी क़ीमत की मशीनें आयात की हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : अनुमान किया जाता है कि कुल लागत लगभग १७ लाख रुपये होगी। मैं यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि अब तक उसने ठीक ठीक कितनी पूंजी व्यय की है।

विशाखापटनम् का जहाज का कारखाना

*१०६०. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह बतलाया है कि योजना की अवधि में अर्थात् १९५५२ से १९५५-५६ तक लगभग २० जहाज़, जिनका औसतन वज़न १,००,००० टन जी० आर० टी० होगा, विशाखापटनम् के जहाज़ के कारख़ाने में बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि योजना अवधि के आरम्भ से अभी तक पांच जहाज़ों के पेंदे रख दिये गये हैं ; तथा

(ग) विशाखापटनम् में १५ और जहाज़ों के पेंदे कब तक रखने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां, योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "औद्योगिक विकास कार्यक्रम १९५१-५६" में इस प्रकार के प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है।

(ख) योजना अवधि के आरम्भ से ६ जहाज़ों के पेंदे रख दिये गये हैं। वे दो जहाज़ बन कर तैयार हो गये हैं जिनके पेंदे योजना अवधि से पूर्व रखे गये थे।

(ग) योजना अवधि में पहले दिये गये पांच जहाज़ों के अलावा, तीन जहाज़, जिनके पेंदे रक्खे जा चुके हैं, तैयार किये जा रहे हैं। १९५४-१९५५ के अन्त से पहले कारख़ाने में ७ और जहाज़ों के पेंदे रख देने का विचार है। इस अवस्था पर निश्चित रूप से यह नहीं बतलाया जा सकता कि भविष्य में प्रोग्राम क्या होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मनीपुर में विस्थापित व्यक्ति

*१०५९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के देहाती क्षेत्रों में बसे विस्थापित व्यक्तियों को फ़स्ल उगाने, डाक्टरी सहायता तथा उनके बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) क्या मनीपुर में विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि वर्ष १९४९ से बराबर व्ययगत होती रही है ; तथा

(ग) यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों को और आगे वित्तीय सहायता न दिये जाने का कारण क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :—

(१) खेती तथा तार घर बनाने के लिये ज़मीन ;

(२) घर बनाने, बीज, मवेशी तथा खेती के उपकरण खरीदने के लिये ऋण ;

(३) अगली फ़स्ल तक गुज़ारे के लिये खाद्य ऋण ;

(४) सब से समीप वाले औषधालयों के डाक्टरी अधिकारियों को प्रति सप्ताह दो बार वहां जाना पड़ता है ;

(५) विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिये चार स्कूल खोले गये हैं । उन्हें मुफ्त में किताबें, लेखन सामग्री दी जाती है तथा उन्हें फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है ।

(६) सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये उपयुक्त नाले और बांध बनाने की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) तथा (ग). पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता सम्बन्धी सामान्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे स्वीकृत स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे सकते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मनीपुर सरकार ने अभी तक योजना को कार्यान्वित नहीं किया है । उससे कहा जा रहा है कि वह पात्र विद्यार्थियों को यह सुविधायें दे ।

सेंधा नमक (आयात)

*१०६१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में सेंधा नमक के आयात को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में क्या कोई शर्तें और निर्बन्धन हैं ?

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार भारत को वस्तु-विनिमय या और किसी आधार पर सेंधा नमक निर्यात करने के लिये तैयार है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार उसके सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से बात-चीत करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). भारतवर्ष १९५१ में नमक के बारे में आत्म-निर्भर हो गया । तब से हमारा उत्पादन बराबर बढ़ रहा है तथा अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम अपने फालतू नमक के वास्ते, जिसकी इस वर्ष मात्रा लगभग दो करोड़ मन होने की आशा है, विदेशों में किस प्रकार बाज़ार ढूंढें । अनावश्यक आयात पर विदेशी मुद्रा नष्ट करने के अतिरिक्त इन परिस्थितियों में नमक के आयात की अनुमति देने से देशी नमक उद्योग को भारी धक्का पहुंचने की सम्भावना है । जहां तक सेंधा नमक का सम्बन्ध है सरकार विशेषज्ञ सलाह से सन्तुष्ट है कि साफ किया हुआ नमक, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, समस्त कार्यों के लिये सेंधा नमक के समान ही अच्छा है । इसीलिये सरकार ने निश्चय किया है कि किसी भी देश से किसी भी

प्रकार के नमक के लिये आयात का परमिट देना न तो आवश्यक ही है और न ही राष्ट्रीय हित में है ।

मैसर्स लिवर ब्रदर्स (भारत) लिमिटेड

*१०६२. **श्री के० के० बसु**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैसर्स लिवर ब्रदर्स (भारत) लिमिटेड, को अपने निर्माण एकक को विकसित करने तथा अपने उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है ?

(ख) सम्पूर्ण बढ़ा हुआ उत्पादन कितना होगा ?

(ग) वर्तमान उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक निरन्तर उत्पादन संयत्र की प्रतिष्ठापना के लिये सन् १९५१ के मध्य में इस सार्थ से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, इस प्रतिष्ठापना से गिलसरीन का और अधिक उत्पादन होने लगता । इस आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं ।

लंका में भारतीय

*१०६४. **श्री एस० एन० दास**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों को लंका में हाल ही में हुए उपद्रवों में किसी प्रकार के कोई कष्ट झेलने पड़े हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उन को जो हानि हुई है वह किस प्रकार की है तथा कितनी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कोलम्बो में भारतीयों की तीन दुकानें लूट ली गई थीं ।

(ख) हानि का अनुमान मोटे तौर पर कोई एक लाख रुपये लगाया जाता है ।

रुई (आयात)

*१०६५. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीकी रुई की आयात के लिये सन् १९५३-५४ के लिये पहले से अधिक अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सन् १९५३-५४ में अमरीकन रुई को आयात करने के लिये इस समय कोई अनुज्ञप्तियां नहीं जारी की जा रही हैं ।

राष्ट्रीय वितति केन्द्र

*१०६६. **श्री अच्युतन** : (क) क्या **योजना** मंत्री त्रावनकोर-कोचीन राज्य में खोले जाने वाले राष्ट्रीय वितति केन्द्रों तथा विकास गुटों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) वह कब खोले जायेंगे ?

(ग) क्या सरकार ने सामुदायिक योजनाओं के विशेष अधिकारी श्री डे द्वारा दिये गये उन भाषणों को देखा है जो उन्होंने मई, १९५३ में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के दौरे के समय दिये थे तथा जिनमें उन्होंने त्रावणकोर-कोचीन राज्य की विशिष्ट बातों तथा विशिष्ट उपायों की परिभाषा की है ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में श्री डे ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यदि हां, तो कब ?

(ङ) क्या यह विकास परियोजनायें (सामुदायिक योजनायें, राष्ट्रीय विततिसेवा तथा विकास ब्लाक) समस्त देश भर में एक ही आकार प्रकार के होंगे अथवा राज्य की विशेषताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार उन में अन्तर होगा ?

(च) यदि ऐसा है, तो त्रावणकोर-कोचीन में क्या विशिष्टता होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तीन राष्ट्रीय विततिसेवा ब्लाक तथा एक समुदाय विकास ब्लाक।

(ख) २ अक्तूबर, १९५३ ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां, जून, १९५३ में ।

(ङ) और (च). मार्ग प्रदर्शन के लिये एक सामान्य प्रतिरूप बता दिया गया है । विकास कार्यक्रमों में अन्तर होगा अथवा स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार उनका समनुनय किया जायेगा ।

नारियल की जटा

*१०६७. **श्री अच्युतन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५२ की तुलना में नारियल की जटा से बनी वस्तुओं के भारत से निर्यात किये जाने का नवीनतम झुकाव बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) सन् १९५२ की तुलना में नारियल की जटा की बनी वस्तुओं की नवीनतम स्टाक स्थिति क्या है ?

(ग) सन् १९५३ के दूसरे अर्ध वर्ष में इस वस्तु के मूल्य बढ़े हैं अथवा कम हुए हैं ?

(घ) क्या सरकार को इस उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या का कोई अनुमान है ?

(ङ) यदि है, तो अनुमानित संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) निर्यात बढ़ रहे हैं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बढ़े हैं ।

(घ) और (ङ). कोई ६,००,००० ।

स्टील संयंत्र परियोजना

*१०६८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **उत्पादन** मंत्री उन तीन विदेशी परामर्शक सार्थों पर, जिन को राज्य उद्यमों के रूप में दस-लाख-टन क्षमता वाली एक अथवा पांच-लाख-टन क्षमता वाली दो स्टील फ़ैक्टरियों की परियोजित स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने के लिये सन् १९४८ में आमंत्रित किया गया था, व्यय हुई धन राशि को बतलाने की कृपा करेंगे ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : १०,७०,००० रुपये जिस में यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, की कुल रक़म इन तीन परामर्शक सार्थों को दी गई ।

विज्ञप्तियों इत्यादि के हिन्दी भाषान्तर

*१०६९. **डा० एम० एम० दास** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि महत्वपूर्ण वक्तव्यों, घोषणाओं, विज्ञप्तियों इत्यादि को प्रेस के अंगरेज़ी सम्वाददाताओं को बहुत पहले दे दिया जाता है जब कि उन के राष्ट्रभाषा भाषान्तरों के सम्बन्ध में कई घण्टों की देर हो जाती है जिस के परिणामस्वरूप प्रेस के उस भाग को बहुत अधिक असुविधा होती है ?

(ख) प्रेस सूचना विभाग के अंगरेज़ी उपविभाग में तथा हिन्दी उपविभाग में सेवायुक्त कर्मचारिवर्ग की संख्या क्या है ।

और क्या पिछला उपविभाग कार्य को पूरा करने के लिये सुसज्जित है ?

(ग) यदि नहीं, तो प्रेस सूचना विभाग द्वारा सेवा को और विशेष रूप से हिन्दी उपविभाग को और अधिक कार्य-कुशल बनाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) महत्वपूर्ण वक्तव्यों, घोषणाओं, विज्ञप्तियों इत्यादि की अंगरेज़ी प्रतियां प्रेस सूचना विभाग द्वारा प्रेस सम्वाददातओं को उन की अपेक्षित संख्या में प्रतियां साईक्लोस्टाइल होते ही बांट दी जाती हैं । वक्तव्यों, घोषणाओं, विज्ञप्तियों इत्यादि की हिन्दी प्रतियां उन का अनुवाद होते ही तथा अपेक्षित संख्या में प्रतियां साइक्लोस्टाइल होते ही प्रेस सम्वाददाताओं को बांट दी जाती है । हिन्दी तथा अंगरेज़ी दोनों भाषान्तरों को एक साथ ही वितरित करना सदैव ही सम्भव नहीं होता है ।

(ख) और (ग). प्रेस सूचना विभाग के कर्मचारियों के किसी भी समानुपात को केवल अंगरेज़ी का ही कार्य करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सूचना का एकत्रित करना तथा प्रेस के लिये समाचार तैयार करने का सारा कार्य विभिन्न मंत्रालयों से संलग्न सूचना अधिकारियों का दायित्व है । प्रेस सूचना विभाग के हिन्दी उपविभाग में एक सूचना अधिकारी, दो सहायक सूचना अधिकारी, दो सूचना सहायक, दो अनुवादक तथा तीन हिन्दी टायपिस्ट हैं । यह उपविभाग, एकत्रित सूचना का हिन्दी में अनुवाद करने के अतिरिक्त, हिन्दी प्रेस की आवश्यकताओं का भी अध्ययन करता है और इन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई मुख्य सम्पादकीय टिप्पणियों तथा व्यक्त किये गये विचारों से विभिन्न मंत्रालयों को सूचित रखता है । यह प्रश्न कि क्या वर्तमान कर्मचारिवर्ग अपर्याप्त है, अभी विचाराधीन है । उन अवस्थाओं में जब कि विज्ञप्तियां, प्रेस टिप्पणियां, वक्तव्य, घोषणाएं, इत्यादि पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं तो उनके हिन्दी पाठकों अंगरेज़ी पाठ के साथ साथ उपलब्ध कराने तथा अन्य मामलों में जितना शीघ्र सम्भव हो सके उन को देने के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं । हिन्दी उपविभाग में दो पालियां चालू की गई हैं और विशिष्ट रूप से हिन्दी प्रेस सेवा के लिये एक विशेष सन्ध्याकालीन डिलिवरी दोपहर बाद प्राप्त हुई घोषणाओं के वितरण के लिये चालू की गई है ?

बेत

५४२. **श्री वी० पो० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बेत तथा बेत की छड़ी से भारत में बनाई गई वस्तुओं का वार्षिक मूल्य ;

(ख) इस समय भारत की बेत तथा बेत की छड़ी सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकतायें ;

(ग) सिंगापुर तथा अन्य स्थानों से आयात किये गये बेत तथा बेत की छड़ी का कुल मूल्य ;

(घ) क्या भारत सरकार ने भारतीय बेत तथा बेत की छड़ी को फ़र्नीचर बनाने तथा अन्य निर्माण कार्यों में काम में लाये जाने के अधिक योग्य बनाने के लिये ठीक करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की है ; तथा

(ङ) बेत तथा बेत की छड़ी को काम में लाने वाले उद्योगों में लगे कारीगरों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) अनुमान से कोई ५,४३,००० हंडरवेट ।

(ग) गत तीन वर्षों में औसतन ११,१५,३६० रुपये ।

(घ) भारत में सिंगापुर बेत को उगाने की योजना के साथ साथ देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था ने इस जांच कार्य को भी हाल ही में प्रारम्भ किया है ।

(ङ) हमें कोई सूचना नहीं है ।

शिल्पिक संस्था कर्मचारी संघ, फरीदाबाद

५४३. **श्री बी० पी० नायर**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या शिल्पिक संस्था कर्मचारी संघ, फ़रीदाबाद ने अपनी मांगें फ़रीदाबाद के प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत कर दीं हैं ;

(ख) क्या सरकार उन मांगों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि कर्मचारी संघ ने ३० जुलाई, १९५३ को एक औज़ार डालो तथा भूख-हड़ताल नोटिस जारी किया था ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). शिल्पिक संस्था कर्मचारी संघ की मांगों और उन मांगों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]

(ग) जी हां ।

(घ) कर्मचारी संघ की सभी मांगों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार उत्तर भेज दिये गये थे । औजार-डालो तथा भूख-हड़ताल की निरर्थकता भी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बता दी गई थी तथा उन को सूचित कर दिया गया था कि ऐसी कार्यवाहियां अवैध होंगी ।

शिल्पिक संस्था, फरीदाबाद

५४४. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि शिल्पिक संस्था फ़रीदाबाद के कर्मचारी संघ ने प्रशासक महोदय से संस्था द्वारा उठाई गई हानियों के सम्बन्ध में एक जांच करने की प्रार्थना की है ; तथा

(ख) क्या सरकार इस विषय में प्रशासक की ओर से संघ को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं की गई थी, परन्तु कर्मचारी संघ ने कुप्रबन्ध सम्बन्धी सामान्य प्रश्न उठाया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

शिल्पिक संस्था, फरीदाबाद का प्रबन्धक

*५४५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार सदन पटल पर शिल्पिक संस्था, फरीदाबाद के प्रबन्धक के कर्तव्यों और शक्तियों के सम्बन्ध में सविस्तर जानकारी रखेगी ?

(ख) वह अपने से उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कितना रुपया मंजूर कर सकता है ?

(ग) वह अपने पास कितना सरकारी रुपया रख सकता है ?

(घ) क्या उससे कोई जमानत रखवाई गई है ?

(ड.) यदि हां, तो कितनी रकम ?

(च) यदि उसके काम पर लगने के बाद कोई कारखाने बन्द हुए हैं, तो कितने ?

(छ) उसकी शिल्पिक और सामान्य योग्यतायें क्या हैं ?

(ज) किस अधिकारी ने उसे इस वर्तमान पद पर नियुक्त किया है ?

(झ) क्या उसके पद की पूर्ति के लिये संघ-लोक-सेवा-आयोग या किसी चुनाव समिति को निर्देश किया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा गया है। **[देखो परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) तथा (ग) शून्य ।

(घ) तथा (ड.) जी हां, । उसन १०,००० रुपये का विश्वेस्तंता बंध प्रस्तुत किया है ।

एक रुपया प्रति मास और अपने अधीक उद्योग के शुद्ध लाभ का ३३ १/३ प्रतिशत भाग ।

(च) शून्य ।

(छ) मशीनों के बनाने और वितरण का कार्य करने वाली गैर सरकारी फ़र्मों के मैनेजिंग डारैक्टर के रूप में उन्हे बहुत अनुभव है ।

(ज) फरीदा बाद विकास मण्डल ।

(झ) जी, नहीं ।

फरीदाबाद विकास मण्डल के प्रबन्धकर्ता

५४६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि फरीदाबाद विकास मण्डल के प्रबन्धकर्ता को अभी कुल कितनी रकम वेतन आदि के रूप में मिलती है, और

(ख) उसे इस पद के लिये चुनते समय सरकार के ध्यान में क्या बातें थीं जिनके कारण इसे इस पद के लिये चुना गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २१०० रुपये । परन्तु पेंशन नहीं मिलती ।

(ख) प्रबन्ध की योग्यता और अनुभव । निवृत्ति के समय जो उसका वेतन था, उस को भी ध्यान में रखा गया था ।

फरीदाबाद टाउनशिप

५४७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये फरीदाबाद टाउनशिप पर १५ अगस्त १९५३ तक भारत सरकार का कुल कितना खर्चा आया है ?

(ख) टाउन शिप में कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है ?

(ग) १९४९-५० से १९५२-५३ तक की अवधि में टाउनशिप में कितने व्यक्ति पंजीबद्ध और अपंजीबद्ध कारोबार में लगे हुए थे ?

(घ) बस्ती में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति कितना खर्च आया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क) ३,२४,२०,१२०, रुपये ।

(ख) २४,८४६

(ग) १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ } जानकारी प्राप्त नहीं है ।

१९५२-५३ (१) पंजी बद्ध विस्थापित व्यक्ति कारोबार में ४०२८ लगायें।

(२) अपंजीबद्ध विस्थापित व्यक्ति कारोबार में लगाय ७३१।

(घ) प्रति परिवार बसाने का खर्चा ७,९८१ रुपये। प्रति व्यक्ति पुनर्वास का खर्चा १,४९५ रुपये ।

निर्यात व्यापार

५४८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई १९५३ के अन्त तक देश में कितनी मूल्य का निर्यात व्यापार हुआ ?

(ख) निर्यात किए गए निर्मित तथा अनिर्मित पदार्थों में क्या अनुपात है ?

(ग) इस वर्ष के पिछले आधे भाग में क्या निर्यात नीति में कोई परिवर्तन होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) २८,४४८ लाख रुपये

(ख) जनवरी - जून १९५३ के बीच कुल निर्यात की लागत में प्रत्येक प्रकार के पदार्थों का प्रतिशत भाग निम्न प्रकार से था :

वर्ग	लाख रुपयों में लागत निर्यात की कुल लागत	प्रतिशत भाग
१. भोजन, पेय और तम्बाकू	६२,०९	२५·३
२. कच्चा माल और मुख्यतया अनिर्मित वस्तुऐं तथा उत्पाद	६७,२६	२७·४
३. पूर्णतया या मुख्यतया निर्मित वस्तुऐं	१,१३,६४	४६·५
४. जीवित पशु	४९	०·२
५. डाक की वस्तुऐं	१,५२	०·६

जुलाई १९५३ में विभिन्न पदार्थ के कितने निर्यात किए गए इस की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) लगभग ९० प्रतिशत निर्यात व्यापार वास्तव में ही पाबन्दियों से रहित है। समय समय की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक उदारता के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

समाचार पत्रों का कागज़

५४९. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में स्वीडन से आयात किये गये समाचार पत्रों के कागज की कितनी लागत थी ? और

(ख) उसी समय में दूसरे देशों से मंगवाये गये समाचारपत्रों की कुल लागत ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ४५,४६,९७९ रुपये ।

(ख) ४,५५,८८,९३७ रुपये ।

कारखानों में काम करने वालों के लिए मकान

५५०. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को आधे ऋण पर अथवा अर्ध सहायता के आधार पर कारखानों में काम करने वाले कर्मकरों को मकान बनाने के लिये कुछ अनुदान दिये हैं ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो किन राज्य सरकारों को ऐसे अनुदान दिये गये हैं ?

(ग) ऐसे अनुदान कितनी रकम के हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां । भारत सरकार की साहाय्य औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अधीन ऐसे अनुदान दिये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). सदन पटल पर विवरण पत्र रखा गया है । **[देखो परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]** ।

विस्थापित व्यक्तियों के आभूषण

५५१. **बाबू राम नारायण सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के पश्चात् दोनों देशों में पाकिस्तान स्थित इम्पीरियल बैंक की शाखाओं के लौकर्ज़ में जिन विस्थापित व्यक्तियों ने आभूषण और गहने रखे, वे कितने व्यक्ति हैं ।

(ख) इस प्रकार जमा करवाये गये सामान की लगभग कितनी लागत है ?

(ग) भारत से गये हुए ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है, जिन्होंने इम्पीरिल बैंक की भारत स्थित शाखाओं में ऐसी मूल्यवान वस्तुएं रखीं ?

(घ) और भारत में उन लोगों द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान वस्तुओं की कुल लागत कितनी है ?

(ङ) क्या सरकार इन विस्थापित व्यक्तियों को अपनी मूल्यवान वस्तुओं को पुन: प्राप्त करने में सहायता करने का विचार रखती है ? और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ङ) से (च). जी, हां । छुड़ाने, लौकर्ज़ और सेफ़ डिपौज़िट्स स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

मनिपुर में विस्थापित व्यक्ति

५५२. **श्री रिशाग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में पाकिस्तान से विस्थापित मध्य श्रेणी परिवारों को (१) व्यवसायिक ऋण, (२) व्यापारिक ऋण, (३) और मकान बनाने के लिये दिये गये ऋण की कुल कितनी रकम है ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर में विस्थापित मध्य श्रेणी के परिवारों को रहने के मकान बनाने के लिए ज़मीन देरी से दी गई ? और

(ग) क्या सरकार इस दशा में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). मनीपुर राज्य सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की मध्य श्रेणी को बसाने के लिये कोई ऋण नहीं दिया है, जैसा कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि मध्य श्रेणी के सब परिवार लाभ वाले धंधों में लगे हुए हैं । अस्तु राज्य सरकार मकान बनाने के लिये ज़मीन और ऋण देने की योजना पर विचार कर रही है ।

मनीपुर के विस्थापित व्यक्ति

५५३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान से आए हुए उन विस्थापित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या जो मनीपुर राज्य में ठहरे हुए हैं ;

(ख) वर्ष १९४९, १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास करने के कार्य के लिये नियत धनराशि;

(ग) क्या १९४९ से अब तक प्रत्येक वर्ष इस कार्य के लिये जितनी राशि नियत

की गई थी, इसी कार्य में व्यय हुई है ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पूर्वी पाकिस्तान के ५१५ परिवार तथा पश्चिमी पाकिस्तान के ३१ परिवार ठहरे हुए हैं ।

(ख)

वर्ष	पुनर्वास ऋण (रुपयों में)	पुनर्वास सहायता (रुपयों में)	(ोग रुपयों में)
१९४९-५०	—	—	—
१९५०-५१	१,००,०००	—	१,००,०००
१९५१-५२	१,८६,७८४	१५,०००	२,०१,७८४
१९५२-५३	१.३३,०००	१५,०००	१,४८,०००
१९५३-५४ (३१-७-५३ तक)	३८,५२०	१०,०००	४८,५२०
योग :	४,५८,३०४	४०,०००	४,९८,३०४

(ग) और (घ). लगभग सभी नियत राशि व्यय की जा चुकी है। ४,९८,३०४ रु० में से ३१ जुलाई १९५३ तक ४,२७,१५८ रु० व्यय किया जा चुका है। ७१,१४६ रु० के न उपयोग किये जा सकने का कारण यह है कि यह निधि अनुमान द्वारा कुछ समय अग्रिम ही नियत कर ली गई है और कभी कभी कार्यान्वित किये जाने पर लक्ष्य सिद्धि नहीं हो पाती है।

सेंधा नमक

५५४. **श्री एम० एस० अग्रवाल**: क्या **उत्पादन** मंत्री पश्चिमी पाकिस्तान से १९४८ से १९५३ तक प्रति वर्ष भारत में आयात किये सेंधा नमक की मात्रा तथा उसकी दर बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : एक तालिका सदन पटल पर रखी है [**देखिये अनुबन्ध ५, परिशिष्ट संख्या ३३**]

फिल्में

५५५. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री फिल्म सेंसर के मंडल द्वारा जनवरी से जुलाई १९५३ में निरीक्षित नवीन फिल्मों की योग संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उनमें से कितनी 'क' प्रमाण पत्र के अन्तर्गत, आती है ?

(ग) इस बात की जांच कौन सी एजेंसी करती है कि जब ऐसी फिल्में दिखलाई जाती हैं तो केवल वयस्क ही प्रवेश पा सकते हैं ?

(घ) फिल्म सेंसर के मंडल के निर्णयों के विरुद्ध सरकार को कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ङ) कितने मामलों में इन प्रतिवेदनों को सफलता प्राप्त हुई हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) १३९० ।

(ख) १७ ।

(ग) यह देखना विभिन्न राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है कि केवल वयस्क ही प्रवेश पा सकें ।

(घ) जनवरी से जुलाई १९५३ के समय के बीच ७ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ङ) ५ प्रतिवेदन असफल रहे, २ विचाराधीन हैं ।

नई देहली म्यूनिसिपल समिति को अनुदान

५५६. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५२-५३ के बीच नई देहली म्यूनिसिपल समिति को दिये गये अनुदान अथवा चन्दे की कुल राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) वे विशेष अलाभकारी सेवायें कौन सी हैं जिनके लिये ये चन्दे दिये गए थे ?

(ग) इस वर्ष में म्यूनिसिपैलिटी द्वारा निर्मित सरकारी इमारतों पर लगाया गया कुल कर कितना है ?

(घ) सरकार द्वारा म्यूनिसिपैलिटी को दी जाने वाली कर-राशि क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५२ ५३ में नई देहली म्यूनिसिपैल समिति को सरकारी सुधार निर्माण से संबंधित विशेष अलाभकारी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी अनुदान अथवा चन्दा नहीं दिया गया है । ऐसे सरकारी सुधार निर्माण पर १९५२-५३ में दी गई कुल राशि लगभग ४६·५ लाख रुपये थी ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिए अनुबन्ध ५, परिशिष्ट संख्या ३४**]

(ग) २०.३ लाख रुपये ।

(घ) १७.८ लाख रुपये ।

खादी शिक्षा संस्थाओं अथवा उत्पादन केन्द्रों को सहायक अनुदान

५५७. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री विभिन्न राज्यों की उन खादी शिक्षा संस्थाओं अथवा उत्पादन केन्द्रों को बताने की कृपा करेंगे जिनको अनुदान, ऋण अथवा आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

(ख) उनको दी जाने वाली राशियां क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिए अनुबन्ध ५, परिशिष्ट संख्या ३५**]

रेडियो पर बच्चों का कार्यक्रम

५५८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री रेडियो पर होने वाले बच्चों के कार्यक्रम की लोकप्रियता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों को बताने की कृपा करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रमों की लोकप्रियता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के निम्न मद प्रचलित किये गए हैं ।

लोकप्रियता

(१) पहेलियां तथा रेडियो पत्रिका कार्यक्रम

(२) कविता, लेख तथा छोटी कहानी प्रतिद्वंदिता ;

(३) प्रसारण के समय स्टूडियो में दर्शकगण ;

(४) बच्चों के त्यौहार मनाना ;

(५) बच्चों के संघों अथवा क्लबों का निर्माण ।

उपयोगिता

(१) शिक्षा तथा सूचना के साथ मनोरंजन का संयोजन,

(२) ऐतिहासिक नाटकों, एवं रूपकों, जीवनी संबंधी स्केचों तथा यात्रा आदि के सव्याख्या वर्णनों का लगातार प्रसारण करना,

(३) ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों से भेंट,

(४) जानवरों के जीवन तथा वैज्ञानिक विषयों पर मनोरंजक वार्ता,

(५) बच्चों की अभिरुचियां,

(६) खेल-कूद ;

(७) संगीत पाठ ;

(८) किसी कारखाना अथवा शिक्षा संस्था आदि को देखने जाने पर उसका बाह्य प्रसारण ।

शनिवार,
५ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, ५ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ पू० म०

सदन पटल पर रखे गए पत्र

(१) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ आला मिल्कियत अधिकार उत्सादन अधिनियम ।

(२) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ दखीलकार कृषक (स्वामित्व के अधिकार देने वाला) अधिनियम।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, मैं निम्न लिखित अधिनियमों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्यसंघ विधान मंडल (शक्ति प्रत्यायोजन) अधिनियम १९५३ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, सदन पटल पर रख रहा हूं :—

(१) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ आला मिल्कियत अधिकार उत्सादन अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का अधिनियम २, १९५३) [पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या एस०-११८/५३] ; तथा

(२) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ दखीलकार कृषक (स्वामित्व के अधिकार देने वाला) अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का अधिनियम ३, १९५३) [पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या एस०-११९/५३]

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

खंड ९—(मृत्यु के पूर्व निश्चित काल के भीतर दिए जाने वाले दान)

उपाध्यक्ष महोदय : संपदा शुल्क के लगाने तथा एकत्रित करने के उपबन्ध बनाने के लिये सदन अब विधेयक पर और आगे विचार करेगा। खंड ९ विचाराधीन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने साथी की अनुपस्थिति में मैं इस विधेयक का कार्यवाहक रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिवेदी। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि यथासंभव संक्षेप में बोलें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : खंड ९ में शब्द "सद्भाव" सब से अधिक आपत्तिजनक है। इस खंड की भाषा ऐसी है कि कुछ भी हो समझा यही जायगा कि जिसने भी दान दिया है उस ने सद्भाव से नहीं दिया है। इस से आभास होता है कि हम सभी बेईमान हैं आप का कहना है कि कोई भी दान हो सब से पहले देखने की बात यह है कि वह मृत्यु से दो वर्ष पूर्व के भीतर दिया गया है या नहीं। यदि दो वर्ष के अन्दर ही का दिया हुआ दान है तो वह मान्य नहीं होगा, सद्भाव से

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

दिया गया हो या सद्भाव से न दिया गया हो। परन्तु यदि वह दो वर्ष की कालावधि से पहले का दिया हुआ है तो यह देखा जायगा कि वह सद्भाव से दिया गया है या नहीं। प्रश्न केवल दो वर्ष पूर्व का ही नहीं है, दो वर्ष के स्थान पर दस वर्ष भी हो सकते हैं और प्रत्येक दशा में यह प्रश्न उठाया जायगा कि दान सद्भाव से दिया गया था या नहीं। ऐसा उपबन्ध बनाकर हमने प्रत्येक दशा में दान ग्रहीता पर सद्भावना प्रमाणित करने का भार रखा है। किसी मृतक के कार्यों के संबंध में कोई बात प्रमाणित करना, विशेषकर ऐसी दशा में जब सद्भावना के अभाव का दोष लगाया गया हो, बहुत ही कठिन कार्य है। साक्ष्य विधि का यह साधारण नियम है कि मृतक के कथन या कार्य, सत्य माने जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ३२ (३) के अनुसार यदि किसी मृतक ने अपने ही आर्थिक हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो साधारण रूप से समझा यही जाता है कि वह सत्य है तथा सद्भावना से किया गया था।

मैंने सुझाव दिया था कि दो साल का उपबन्ध हटा देना चाहिये। दो मास का प्रतिबन्ध पर्याप्त होगा। मैं ने एक और सुझाव यह भी दिया था कि यदि मृत्यु दुर्घटना या किसी दैवी घटना के कारण हुई हो तो इस खंड का प्रयोग न किया जाय।

यदि यह खंड ऐसा ही रहा तो इस उपबन्ध का वास्तव में प्रभाव यह होगा कि लोगों में बेईमानी करने की इच्छा उत्पन्न होगी। दान के रूप में जाली विक्रय किये जायेंगे और कितनी ही कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। तथा 'सद्भाव' शब्द से ही तत्संबंधी अधिकारियों को इतनी शक्ति मिल जायगी कि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार आरम्भ हो जायेंगे। जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य आयकर के संबंध में एक घटना बता रहे थे कि केवल इसलिये कि एक व्यक्ति ने अपनी मोटर चालीस मील ले जाने के लिये नहीं दी उसका कर निर्धारण ४७,००० रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपया कर दिया गया और उसको तत्काल ही इतनी बड़ी धन राशि देनी पड़ी। इसी प्रकार की घटनायें होंगी। अतः मेरा सुझाव है कि शब्द 'सद्भाव' निकाल दिया जाय। जब आपने दो वर्ष का प्रतिबन्ध लगा ही दिया है तो फिर इस शब्द की क्या आवश्यकता है। दो वर्ष की कालावधि ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगी कि दान सद्भावना से दिया गया है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य); 'सद्भाव' शब्द के संबंध में, मैं इस तर्क से तो सहमत नहीं हूं कि इस के द्वारा सब को बेईमान समझा गया है तथा यदि ऐसा हो भी और बेईमानों को पकड़ने में इस के द्वारा कोई सुविधा हो तो मैं इस की भी परवाह न करूंगा; परन्तु मेरा तो कहना यह है कि इस शब्द के रखने का तात्पर्य क्या है यही समझ में नहीं आता है। संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार किये जाने वाले प्रत्येक दान के संबंध में यही विचार किया जाता है कि वह सद्भावना से किया गया है। यदि कोई दान संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की परिभाषा में न आता हो या उस में कोई दोष हो तो उस के संबंध में यह विचार किया जा सकता है कि वह दान सद्भावना से नहीं किया गया है। परन्तु इस शब्द 'सद्भाव' से अनेकानेक सन्देह उत्पन्न होते हैं। इसका तत्काल ही अर्थ यह लगाया जायगा कि मनुष्य दान तभी करता है जब उसे कर से बचना हो। माननीय वित्त मंत्री ने, इस विधेयक को, प्रवर समिति को सौंपते हुए, अपने व्याख्यान में कहा था कि दान करने वाले के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। मेरे विचार से इस स्थान पर शब्द 'सद्भाव' की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस शर्त के संबंध में, कि लोकोपयोगी धर्मार्थ के लिये दिये जाने वाले सभी दानों के लिये यह कालाविधि केवल ६ मास की रहेगी, मेरा निवेदन है कि छै मास का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि यदि, किसी को संपत्ति बुढ़ापे में प्राप्त हो और वह उसे लोकोपयोगी धर्मार्थ के लिये दान करना चाहे और उसके पश्चात् छै मास के भीतर ही मर जाये तो जो जायदाद उस ने दान में दे दी है उस पर भी कर लिया जायगा जो उचित नहीं है ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : सरकार की नीति यह रही है कि निजी रूप से दिये जाने वाले दान को प्रोत्साहित किया जाय। तथा इसी कारण आयकर में कुछ प्रकार के दान मान्य घोषित किये गये हैं और वे कर से मुक्त हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अनुभव किया होगा कि इस प्रकार दिये गये दान से जनता को बहुत लाभ हुआ है । मैं अनुभव करता हूं कि छै मास का जो उपबन्ध इस खंड में रक्खा गया है वह सरकार की इस नीति को बदल देगा। दान देने वालों को सदा ही यह खटका रहेगा कहीं ऐसा न हो कि वह छै मास के अन्दर ही मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों को न केवल उस संपत्ति पर संपदा शुल्क देना पड़े जो उनको प्राप्त होगी वरन् उस पर भी जो वह दान में दे चुका है। कहा जाता है कि जिसे दान करना है वह बुढ़ापे तक राह क्यों देखता रहे। मैं पूछता हूं कि इस का क्या भरोसा है कि ३०,४०, या ५० वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् ही अगर वह दान करे तो वह छै महीने के अन्दर नहीं मर सकता है। साधारण-तया धारणा ऐसी है कि लोग बुढ़ापे में ही दान करते हैं। कहा जाता है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य असमानता को दूर करना है । दान पर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाने से असमानता दूर करने से कैसे सहायता मलेगी

कहा जाता है कि यदि छै मास का यह प्रतिबन्ध न रखा गया तो कर देने में टालमटोल करने को प्रोत्साहन मिलेगा । आयकर अधि-नियम में यदि व्यक्तियों तथा कम्पनियों ने एक निश्चित मात्रा के भीतर धन राशि दान में दी हो तो उन से उस पर कर नहीं लिया जाता है । क्या इस छट का अनुचित लाभ उठाने वालों की संख्या काफ़ी है। क्या इस प्रकार के करापवंचन को रोकने के उपाय नहीं किये जा सकते हैं ? मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस खंड के अर्थ पर ध्यानपूर्वक विचार करें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे धर्मार्थ दिये जाने वाले दान के अबाध प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : माननीय वित्त मंत्री अपने संशोधन संख्या ५०९ द्वारा शब्द "या अधिक" निकाल देना चाहते हैं । यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इसका अर्थ होगा ठीक दो वर्ष पूर्व, न एक सैकिंड कम, न एक सैकिंड अधिक ! अत: शब्द 'दो वर्ष' के पहले शब्द 'पूर्व' बढ़ा देना अधिक उचित होगा ।

अन्य संशोधनों का जहां तक संबंध है मैं उन व्यक्तियों से सहमत हूं जो यह कहते हैं शब्द 'सद्भाव' हटा दिया जाय ।

माननीय वित्त मंत्री के तथा श्री गाडगील के संशोधन में केवल इतना ही अन्तर है कि श्री गाडगिल ने सुझाव दिया है कि ५,००० रुपये की सीमा निर्धारित कर दी जाय जो वित्त मंत्री के संशोधन में नहीं है। यह संशोधन इस प्रकार है :

". . . . . ऐसे धन पर लागू न होगा, जो विवाह के विषय में दिया गया हो, या जिस के मृतक के साधारण व्यय का एक भाग होने का ऐसा प्रमाण हो जिस से नियंत्रक को संतोष हो जावे. . . . . "

[श्री राघवाचारी]

जब उसे विवाह के विषय में दान करने की स्वतंत्रता दी जा रही है तो उसे साधारण व्यय का एक भाग प्रमाणित करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका अर्थ है कि दान ग्रहीता दान देने वाले का हिसाब किताब संभाल कर रखे जिससे यह प्रमाणित कर सके कि इसी प्रकार का व्यय उसने इसी प्रकार के अवसरों पर अपने जीवन में भी किया था। दूसरी कठिनाई है कि प्रमाण ऐसा हो जिससे नियंत्रक को संतोष हो जावे। अतः मैं समझता हूं कि यह वाक्य व्यर्थ की तथा अकारण कठिनाईयां उत्पन्न करेगा।

मुझे ५००० रुपये की सीमा निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसकी भाषा अच्छी नहीं है और न स्पष्ट है। मेरा निवेदन है कि शब्द 'साधारण व्यय' तथा 'जिस से नियंत्रक को संतोष हो जावे' निकाल दिये जायें। अन्यथा ५,००० रुपये की सीमा निर्धारित करने का कोई अर्थ नहीं है। या फिर कोई सीमा निर्धारित न की जाय और यही नियम रहने दिया जाय कि शर्त यह होगी कि वह मृतक का साधारण व्यय प्रमाणित किया जाय।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : खंड ९ के लिये अनेक संशोधन रखे गए हैं। कोई समय बढ़ाने के लिये है तो कोई घटाने के लिये। यदि हमारे देश में सम्पदा शुल्क के संबंध में अन्य देशों की भांति उपहारों आदि को स्थान दिया जाय तो हम उन परिणामों से बच सकते हैं जिन की ओर श्री गांधी ने कल निर्देश किया।

इंगलेंड में पहले मूल समय दो वर्ष था जो अब बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है। यहां भी कुछ संशोधन द्वारा पांच वर्ष का समय रखना चाहते हैं और कुछ इस समय को घटा कर एक वर्ष करना चाहते हैं और धार्मिक मामलों में कुछ भी सीमा निर्धारित नहीं करना चाहते। प्रवर समिति का निर्णय इस संबंध में सभी को मान्य होना चाहिये।

इस संबंध में दूसरा पूर्वोपाय यह है कि समय दो ही वर्ष का है किन्तु हस्तान्तरण में संदेह को दूर करने के लिये सद्भावना का प्रमाण देना पड़ेगा। मेरा मत यह है कि इच्छा की सद्भावना का होना प्रमुख है, गौण नहीं। यदि सपम्दा शुल्क को बचाने के विचार से ऐसा किया गया है, तो स्पष्टतः उसका दान यथार्थ न समझकर अमान्य होगा और उसको इस खंड में दिया गया लाभ न हो सकेगा।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली-उत्तर) : शुल्क को बचाना अनुमति योग्य है, किन्तु सद्भावना इस अर्थ में होनी चाहिये कि हस्तान्तरण निरंकुश तथा यथार्थ है।

श्री गाडगिल : मैं 'सद्भावना' का अर्थ पहले ही बता चुका हूं।

श्री सी० डी० पांडे : वित्त मंत्री ने कुछ और बताया था।

श्री गाडगिल : मैं समझता हूं कि दान के मामलों में भी अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दान में देना चाहता है तो वह मृत्यु से छः मास पूर्व दे सकता है। अधिक समय देने से विधान भी अधिकार से बाहर जा सकता है और इससे आयकर में भी छूट देनी पड़ेगी जिससे सदैव ही जाति की हानि ही होगी।

श्री धुलेकर : (ज़िला झांसी-दक्षिण) : लोक दान से जाति का लाभ होता है।

श्री गाडगिल : भूदान में छूटों का मांगना उसके उच्चादर्श को गिरा देना है।

यह एक प्रकार का सच्चा और सीधा-सादा यज्ञ है । अतः इसमें पूर्णतया छूट देने के पक्ष में मैं नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि भूदान के साथ कुछ दक्षिणा देना भी आवश्यक है ।

श्री गाडगिल : यह दक्षिणा मारवाड़ी तथा गुजराती लोग ब्राह्मणों को देते हैं । सम्पदा शुल्क सम्पूर्ण जाति के लिये दान का काम करता है जब कि भूदान केवल किसी एक वर्ग के लिये होगा । अतः इसमें किसी भी प्रकार की छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं । किन्हीं कठिन मामलों में किसी दूर के संबंधी से एक अनुपात में राशि देने के लिये कहा जा सकता है उस दशा में सरकार खंड ३२ के अधीन उसको मुक्त कर सकती है ।

श्री चटर्जी ने बताया था कि छोटे छोटे दान जो किसी ने मृत्यु से दो वर्ष पूर्व या मृत्यु के समय दिये हों और जो प्रथात्मक दान हैं और जो 'सामान्य' तथा 'युक्तियुक्त' हैं उनका क्या किया जायगा । उनकी विमुक्ति के विषय में मैंने संशोधन रखा है । युक्तियुक्त से तात्पर्य व्यक्ति के साधनों से है और सामान्य से प्रथात्मक । किसी भी व्यक्ति को समाज में रहकर अनेक कार्य रीतियों के कारण करने पड़ते हैं । अतः सामान्य क्या है इसका निर्णय जाति के व्यक्ति की स्थिति एवं रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है और युक्तियुक्त क्या है इसका निर्णय उसके साधनों से किया जाता है । अतः इन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए ५,००० रु० की सीमा निश्चित की गई है जो सामान्य तथा युक्तियुक्त है । अतः मेरा संशोधन परिस्थितियों को देखते हुए सर्वथा उपयुक्त है और श्री देशमुख के संशोधन के साथ ही रखने योग्य है ।

श्री एस० एस० मोरे : इस हिसाब से तो उप-धारा (१) के उपबन्ध विवाह में दिये गये दान आदि के संबंध में लागू न होंगे । क्या इससे दहेज़ की कुप्रथा को विधिक स्वरूप नहीं मिलेगा ?

श्री गाडगिल : सीमा ५,००० रु० है । वास्तव में मैं सामाजिक प्रगति के लिये कुछ कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हीरे तथा अन्य दान के विषय में क्या होगा ?

श्री एस० एस० मोरे : वे कुल ५,००० रु० से अधिक की बात नहीं कह रहे हैं । संभव है कि निश्चित उच्चतम सीमा अन्य दानों के संबंध में हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह विचार विवाह के विषय में नहीं था ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसका तात्पर्य विवाह संबंधी तथा अन्य दानों से है ? यह तो बताया नहीं गया । संभव है कि यह खंड केवल अन्य दानों के लिये ही हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ५,००० रु० अन्य दानों तथा विवाह के लिये भी होगा ।

श्री एन० पी० नाथवानी (सोरठ) : क्या यह ५,००० रु० दोनों प्रकार के दानों के लिये अथवा केवल एक के लिये ।

श्री गाडगिल : दोनों के लिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : सभी प्रकार के दानों के लिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : श्री गाडगिल ने बताया था कि खंड ३२ के भविष्य में होने वाले विवाहों के लिये उपबन्ध हैं । इससे बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है । अतः इस में उपबन्ध बनाने की आवश्यकता है ।

खंड ९ में दो प्रकार के दानों का उल्लेख है । पहला है संबंधियों तथा अन्य लोगों को

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

दान। उसके लिये शर्तें हैं कि वह प्रामाणिक हो तथा दो वर्ष से अधिक आयु का हो। दूसरी श्रेणी लोक धार्मिक संस्थाओं को दान देने की है। पहले में ये जो दो शर्तें लगाई गई हैं उनसे कई मामलों में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि 'यदि मैं दो वर्ष के अन्दर मर जाऊं तो मेरी मृत्यु के पश्चात् अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति को दे दी जाय'। किंतु यदि दस्तावेज़ में इस बात की ओर कोई निर्देश नहीं किया गया है, और हस्तांतरण पूरा हो चुका है तो उस समय क्या स्थिति होगी?

कभी कभी दान दो वर्ष से अधिक के हो सकते हैं यानी पांच या दस वर्ष के और नियंत्रक यह समझता है कि वे प्रामाणिक नहीं हैं, तो उनके लिये फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि कर देने से कोई बचने न पाये और न व्यर्थ ही किसी को तंग किया जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार कार्यकारिणी को कुछ एसे अनुदेश जारी करे कि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक समय वाले मामलों को फिर से न उठाना पड़े जब तक कि इसकी पुष्टि का प्रमाण न मिल जाय कि इसको प्रामाणिक दान का विचार नहीं था।

दूसरे दान के विषय में मुझे कहना यह है कि इससे दान देना बन्द नहीं हो जायगा कुछ कमी भलेही हो जाय। मैं इस मत का समर्थक हूं कि सरकार की अपेक्षा धार्मिक संस्थाओं द्वारा धन का अधिक सदुपयोग किया जाता है। सरकार इन संस्थाओं के समान मितव्ययता से भी धन व्यय नहीं कर सकती, यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। अतः धर्मार्थ संस्थाओं को उचित सहायता मिलनी चाहिये। श्री गाडगिल ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं से जनता की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं किन्तु सरकार ने योजना आयोग का आधार, समाज सेवा संस्थाओं को ही रखा है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्हीं संस्थाओं द्वारा ही जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। (श्री गाडगिल द्वारा अन्तर्बाधा)

[तब उन्होंने पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों को सुनाकर अपने कथन की पुष्टि की।]

मेरे अपने राज्य के विभिन्न स्कूलों की कुल संख्या में से आधे से अधिक सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क, व्यक्तिगत प्यार तथा सेवा की भावना बहुत हद तक वैयक्तिक संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। मैं तो चाहता हूं कि कुछ भी कानून बनाये जायं किन्तु समाज सेवा को प्रधानता दी जाये और उसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को दान दिये जांय ताकि देश की वास्तविक उन्नति हो सके। अब भी मान्य धर्मार्थ दान के रूप में दिये गए धन पर आय के ५ प्रतिशत तक कर नहीं लगता।

सम्पदा शुल्क ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि सभी प्रकार के दानों पर चाहे वे धार्मिक संस्थाओं के लिये हों अथवा अन्य किसी के लिये यदि छः माह के अन्दर दिये जाते हैं तो कर मुक्त न होंगे। इस प्रकार न जाने कितनी धार्मिक संस्थाओं तथा कालेजों आदि को कर देना पड़ेगा। ऐसा करना उचित नहीं। इस कालावधि को हटाने के लिये संशोधन रखे गए हैं तथा यह कालावधि लोक संस्थाओं में लागू भी नहीं की जानी चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

देश में कई विमान दुर्घटनाऐं होती हैं। अब तो इसका प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

एक माननीय सदस्य : और भी अधिक दुर्घटनाऐं होंगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : ईश्वर न करे ऐसा हो क्योंकि कोई भी कर बचाने के लिये इन की कामना नहीं कर सकता । मैं चाहूंगा कि सरकार दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के मामलों को इस धारा के अधीन न रखे ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : खण्ड ९ का विशेष उद्देश्य मृत्यु से पूर्व के दो वर्ष में दिये गये दानों तथा मृत्यु से छः माह पूर्व धार्मिक कृत्यों के लिये दिये गये दानों पर शुल्क लगाना है ।

भारत में यह शुल्क प्रथम बार लगाया जा रहा है अतः यह युक्तियुक्त एवं आवश्यक है कि साधारण दानों में समय दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दिया जाय ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि धार्मिक संस्थाओं पर किसी प्रकार की कालावधि नहीं लागू की जानी चाहिये । आस्ट्रेलिया में जो अधिनियम है उसी तरह यहां भी यह होना चाहिये कि किसी भी शिक्षा संबधी संस्था अथवा स्कूल कालेज या अस्पताल के लिये दान पर बिल्कुल कर नहीं लिया जाना चाहिये ।

तीसरी बात मुझे "सद्भाव" के संबंध में यह कहनी है कि इस में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है ।

यह अंग्रेज़ी वित्त अधिनियम, १८९४ की नकल हो सकती है । यदि श्री गाडगिल का सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायगी जिस भार का वहन करना सम्भव न होगा । इस के पश्चात् हम को यह सिद्ध करना होगा कि यह दान सद्भावनापूर्ण है । फिर कठिनाई यह होगी कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह कब मरेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रवर समिति ने कहा था श्री गाडगिल ने नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : प्रवर समिति ने ऐसा कभी नहीं कहा उस ने तो अंग्रेज़ी विधि का केवल अर्थ लिया है । श्री ग्रीन ने अपनी 'डेथ ड्यूटीज' में बताया है कि सद्-भावनापूर्ण हस्तान्तरण पर विचार किया जाना चाहिये । यह वह सौदा है जो बनावटी न हो कर सच्चा तथा यथार्थ हो । यह कोई बड़ी बात नहीं कि प्रयोजन सम्पदा शुल्क कम करना होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गाडगिल की सम्मति सरकार की सम्मति नहीं है । सरकार तथा न्यायालयों की सम्मतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : यद्यपि हम लोगों की चर्चा न्यायालयों के लिये मान्य नहीं फिर भी कभी कभी इन को स्थान दिया ही जाता है । एक समिति में वित्त मंत्री ने कहा था कि उन को श्री चटर्जी की व्याख्या स्वीकार थी और यह भी कहा कि वह अंग्रेज़ी व्याख्या भी देखेंगे । परन्तु हम स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : लार्ड एटकिन्सन ने अपनी पुस्तक में बताया कि यदि सौदे यथार्थ हों तो सम्पदा शुल्क से प्रयोजन का सहारा ले कर मुक्त नहीं हो सकता । ऐसे सौदे प्रामाणिक व्यावसायिक सौदे के अन्दर नहीं आते किन्तु धारा ९ के अन्तर्गत यह प्रामाणिक दान कहलायेगा । इंगलैण्ड में कोई भी कालावधि निश्चित नहीं है । ५,००० रु० की राशि भी लड़कियों के विवाह आदि के लिये आप किस प्रकार निश्चित कर रहे हैं । या तो यह राशि युक्तियुक्त रखिये अथवा बिल्कुल ही हटा दीजिये । अंग्रेज़ी विधि इस विषय में संबंधित व्यक्ति की आय को ध्यान में रखते हुए सामान्य एवं युक्तियुक्त राशि के लिये अनुमति देता है । ऐसा ही यहां भी होना चाहिये ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आप ५,००० रु० ही क्यों निश्चित करते हैं और फिर नियंत्रक के ऊपर छोड़ देते हैं। आप इस प्रकार के नियमों से सभी सामाजिक सुधार नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति समाजकार्य में कुछ धन लगाना चाहता है तो उस के लिये अनुमति दी जानी चाहिये। यदि कोई मुसलमान मृत्यु से दो वर्ष पूर्व हज करने जाता है तो उस के लिये भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। अतः वे शब्द निकाल दिये जाने चाहियें जिन से इन पर प्रतिबन्ध लगता है।

श्रीमती सुषुमा सेन (भागलपुर-दक्षिण) : खण्ड ९ के विषय में मेरा संशोधन यह है कि यदि मृत्यु का कारण दुर्घटना है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। मैं इस संबध में श्री गाडगिल से सहमत हूं कि हमारे देश के लिये यह शुल्क लगाना एक बिल्कुल ही नई चीज़ है। और इसलिये हमें तेज़ी नहीं करनी चाहिये। म समझती हूं कि दुर्घटनाओं के विषय में यह विमोचन बहुत आवश्यक है।

श्री कृष्ण चन्द्र : श्रीमान्, मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। इस का क्षेत्र कुछ अधिक सीमित है।

माननीय वित्त मंत्री उन संशोधनों को स्वीकार करने में कुछ उदार रहे हैं जिन का उद्देश्य इस विधेयक के प्रभाव को कुछ कम करना था। शायद उन की धारणा यह हो कि सदन सामान्यतः इन उन्मुक्तियों के पक्ष में है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं। यदि हम संशोधनों को अच्छी तरह देखगे तो हमें पता चलेगा कि सदस्यों की एक बड़ी सख्या इस पक्ष में है कि यह विधेयक एक प्रभावी विधान के रूप में परिणत हो जिस से कि हमारा वह उद्देश्य पूर्ण हो सके जिस की कि वित्त मंत्री जी ने कई बार घोषणा की है। इस विधान का उद्देश्य एक सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति है। तथा यह दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों की आवाज़ कुछ प्रबल रही है जोकि इस के प्रभाव को कम हुआ देखना चाहते हैं।

शब्द *"bona fide"* "सद्भाव" को हटाने के लिये कहा गया है। मैं समझता हूं कि यदि इस शब्द को हटाया गया तो वह दान जो कि परिवार के उत्तराधिकारियों को केवल इसलिये दिया गया हो कि वह सम्पदा शुल्क से बच जाये, सम्पत्ति से निकाल लिया जायगा, भारत में प्रायः ऐसा हुआ करता है कि यदि कोई पिता अथवा पितामह अपने उत्तराधिकारियों को दान के रूप में कुछ देता है, तो उस दान का लाभ सारा परिवार संयुक्त रूप से उठाता है। यदि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकृत करने की कृपा करेंगे तो इस प्रकार के दान इस खंड के अन्तर्गत नहीं आ जायेंगे। और यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कम से कम इस में से शब्द *"bona fide"* "सद्भाव" नहीं हटाना चाहिये। ऐसा करने से मेरे संशोधन का उद्देश्य किसी हद तक पूर्ण होगा।

और भी एक बात है। जब हम यहां अर्जित आय पर कर ले लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि क्यों न उस धन पर भी कर लगाया जाये जोकि किसी के हाथ में मुफ्त आ जाये। एक व्यक्ति को 'लाटरी' में अच्छी खासी रकम मिलती है, उस पर क्यों न आय-कर लगाया जाये ? यदि हम इस प्रकार के दानों पर सम्पदा शुल्क विधेयक के अन्तर्गत कर न लगायें तो वह एक अनुचित बात होगी।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे सशोधन में जो सिद्धान्त अन्तर्निहित है वह प्रवर समिति की रिपोर्ट की विमति टिप्पणी में व्यक्त किया गया है। हम ने

उस में यह सुझाव दिया है कि अवधि केवल पांच वर्ष की होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं परन्तु मेरा विचार है कि श्री गाडगिल ने शब्द 'प्रमाणिकता' की जो परिभाषा की है वह न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। मुस्लिम विधि के अनुसार केवल क़ब्ज़ा होना ही काफ़ी है। एक बार हस्तान्तरण की अनुमति दिये जाने का यह अर्थ होगा। दान देने वालों को ऐसा करने की अनुमति है। इस से प्रमाणिकता का प्रश्न कुछ जमता नहीं है।

मैं श्री गाडगिल के संशोधन संख्या ५८३ में कुछ संशोधन करना चाहता हूं। यदि आप रकम को ५,००० रुपये तक सीमित कर देना चाहते हैं तो आप नियंत्रक द्वारा यह क्यों निश्चित कराना चाहते हैं कि मृत व्यक्ति की आय और उस की सामाजिक स्थिति को देखे हुए यह रक़म ठीक थी? यदि किसी व्यक्ति को ५,००० रुपये तक का अधिकतम दान देने की अनुमति हो तो राज्यकोष को अधिक से अधिक १,८०० रुपये की हानि होगी। यदि इस खंड को ऐसे ही रहने दिया गया तो इस में विवाद उठेंगे; नियंत्रक की संभव है कोई अन्य सम्मति हो; मुकदमे बाज़ी होगी और अन्त में अपील। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मामले को उलझाने के बदले, और ऐसी अवस्था में विशेष रूप से जब कि आप एक अधिकतम सीमा निश्चित कर देने का विचार रखते हैं, इस उपबन्ध को निकाल ही दिया जाना चाहिये। संभव है कि हमारे मध्य वर्ग समाज के किसी व्यक्ति को ४,५०० रुपये के मूल्य के आभूषणादि अपने किसी कुटुम्बी से उत्तराधिकार में मिले हों और उस की स्वयंकी आय २०० रुपये हो तो ऐसी अवस्था में यदि वह इन आभूषणादि को अपने पुत्र या पुत्री को दान में देना चाहता हो तो इस खंड के अनुसार उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मेरा यह कहना नहीं है कि नियंत्रक सदैव ही अनुचित धारणा बनायेगा परन्तु तो भी उलझनों को दूर करने के लिए इस का निकाल दिया जाना ही वांछनीय है।

श्री धुलेकर : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि श्री गाडगिल के संशोधन में से यह शब्द 'जो समिष्ट रूप से पांच हजार रुपये से अधिक न हो', निकाल दिये जायें। जब कि नियंत्रक को यह देखने के पूरे अधिकार दे दिये गये हैं कि किया गया व्यय परिस्थितियों को देखे हुए समुचित है अथवा नहीं तो फिर उस के विवेक को ५,००० रुपये की सीमा तक सीमित कर देने का कोई अर्थ नहीं है। इस रक़म से दस रुपये अधिक होने पर वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। मुझे आशा है कि श्री गाडगिल इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग—पश्चिम) : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल दो, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी क्लैरीफिकेशन करना चाहते हैं, अच्छा कर लीजिये।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि कोई सम्पत्ति वाला व्यक्ति अगर मर गया और उस के पास पांच लाख रुपये के क़रीब की सम्पत्ति थी, तो उस का दो लाख तो दान में गया और तीन लाख उस के उत्तराधिकारी पाते हैं, तो जो कर लगेगा वह केवल उत्तराधिकारी से वसूल किया जायगा या जिन लोगों को दान दिया गया है, उन लोगों से भी यह कर लिया जायगा?

उपाध्यक्ष महोदय : दान पाने वाले से भी वसूल किया जायगा।

श्री सी० डी० देशमुख : पहले उत्तराधिकारी से वसूल किया जायगा फिर जिस को दान दिया गया है, उस से वसूल किया जायगा ।

बाबू राम नारायण सिंह : मेरा निवेदन है कि सारी सभा इस बारे में खूब ठीक से सोचे कि यह तो कहा जा रहा है कि दान जो बोनाफाइडी हो, तो उस पर कर नहीं लगेगा, लेकिन मैं सरकार से कहूंगा, संसद् के सदस्यों से कहूंगा कि यह तो हो कि दान बोनाफ़ाइडी हो, लेकिन साथ ही इस विषय पर बहस भी बोनाफ़ाइडी हो, बोनाफ़ाइडी वोटिंग हो और बोनाफ़ाइडी तरीक़े से यह पास भी हो । यह हमारे देश की संस्कृति है कि मरे हुए व्यक्ति की नीयत पर हम कोई बात नहीं करते, उस की निन्दा नहीं करते । एक आदमी दान दे कर मर गया, अब चार वर्ष के बाद कहना कि उस ने बेईमानी से दान दिया, ठीक से दान नहीं दिया, यह हमारी संस्कृति के प्रतिकूल बात हो रही है ।

एक तो इस तरह का क़ानून हमारे देश में कभी नहीं था, नये नये क़ानून बना कर उन का पहाड़ हमारे देश और लोगों के ऊपर लादा जा रहा है । अब बतलाइये यह कैसे साबित हो कि यह दान ठीक से किया गया, बोनाफ़ाइडी दान किया गया, उस के लिये बोनाफ़ाइडी सबूत हो, उस के लिए दो वर्ष उस को जीना पड़ेगा । यदि इस सरकार के हाथ में, वित्त मंत्री के हाथ में अथवा हमारे भाई गाडगिल के हाथ में हो कि बोनाफ़ाइडी दान होने के बाद दाता दो वर्ष जरूर जिये अगर वह दान व्यक्तिगत दान है और अगर वह सार्वजनिक कार्य के हेतु दान है, तो कम से कम छै महीने तक जिये, ऐसा कोई उपाय यदि सरकार के पास हो, तब तो यह धारा स्वीकृत होनी चाहिये । लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है । इस लिये मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि दान करने का कोई ऐसा उपाय करें कि ठीक दान करने पर आदमी कम से कम छै महीने जिये । अगर इस का वह कोई उपाय कर सकते हों, तब तो यह धारा रहे नहीं तो यह धारा नहीं पास होनी चाहिये । मैं इस का विरोध करता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे कुछ मित्रों ने इस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ संशय प्रकट किये हैं । मुझे ज्ञात है कि खंड ११ में मैं ने इस जैसा कोई संशोधन नहीं किया है अतः मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

अन्य सभी संशोधनों का, मेरे अपने संशोधन तथा संशोधन संख्या ५८३ के अतिरिक्त, मैं विरोध करता हूं । श्री बसु ने जो सुझाव दिया है वह समुचित है क्योंकि अधिकतम सीमा का निश्चित किया जाना ही एक समुचित प्रणाली है । मैं उन से इस बात में सहमत हूं कि यह निर्धारित करने में कितनी परिमात्रा 'समुचित' कही जा सकती है बहुत झंझट उठाना पड़ेगा । यदि संशोधन के प्रस्तावक को स्वीकार्य हो तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं ।

अब मैं उन बातों को लेता हूं जो चर्चा के दौरान में उठाये गये हैं । पहला प्रश्न दान की अवधि के सम्बन्ध में उठाया गया है । संसार के प्रायः सभी देशों में यह अनुभव किया गया है कि मृत्यु से कुछ ही पहले किया गया दान कर अपवंचन का सब से सरल तरीक़ा है । इसलिये किसी न किसी समय सीमा का निश्चित किया जाना आवश्यक है । आस्ट्रेलिया में तो दान पर भी कर लगता है । अतः सब से सरल तरीक़ा यह है कि एक समय सीमा निश्चित कर दी जाये जिस में दिये गये दान कर मुक्त न हों । इंगलैंड में यह सीमा एक वर्ष थी, परन्तु कटु अनुभव

होने के बाद अब उसे बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है। हम तो यहां दो वर्ष की अवधि रख रहे हैं। प्रवर समिति ने भी इस अवधि के सम्बन्ध में सहमति प्रकट की थी और मेरे विचार से सदन भी हम से सहमत होगा। यदि अनुभव से यह पाया गया कि यह अपर्याप्त है तो संशोधन विधेयक के द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है।

धर्मार्थ कार्यों के लिये दिये गये दानों के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निश्चित करने के विषय में मैं ने अनेकों बार सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। स्थिति यह है, कि दायक को अपनी पसन्द के धर्मार्थ कार्यों को दान देने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अन्य देशों के विपरीत हम इस देश के संसाधनों को कुछ प्राथमिकताओं के अनुसार काम में लाना चाहते हैं। इसलिये हम उन दिशाओं में, जिस पर केवल किसी व्यक्ति मात्र का ही नियंत्रण हो, देश की धन सम्पत्ति के चले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यह बात देश की परम्पराओं के किसी प्रकार भी विरुद्ध नहीं है। जो माननीय सदस्य इस समय सीमा के हटा दिये जाने अथवा कम कर दिये जाने का आग्रह करते हैं वह समाज के प्रति एक अयुक्त बात करते हैं। एक तर्क दिया गया था कि राजकोष में धन देना उसे नष्ट कर देने के बराबर है। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम इस निधि से, जोकि दान में दी जाती है, हज़ारों गुना अधिक बड़ी निधियां सरकारी व्यय के लिए स्वीकृत करते हैं। और इस की भी क्या प्रत्याभूति है कि व्यक्तिगत दान का अपव्यय नहीं होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि इस निधि का कोई लेखा परीक्षण नहीं होता है।

कुछ और भी कठिनाइयां हैं। यदि दान मृत्यु से तुरन्त पहले ही दिये जायेंगे तो संभव है कि वह समुचित रूप में न हों, केवल मौखिक ही हों और इस प्रकार उन की प्रमाणिकता सिद्ध करने में बड़ी कठिनाई होगी। इन कारणों से मैं विधेयक के उपबन्धों का पालन किया जाना आवश्यक समझता हूं। एक सुझाव उत्तराधिकारी को किसी भी प्रकार का दान दिये जाने की मनाही करने के सम्बन्ध में दिया गया था। कर उगाहने वाला होने के नाते तो मैं इस का स्वागत करता हूं परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है संसार के किसी भी देश के विधान में इस प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। अनुभव यह बताता है कि इस प्रकार के दानों की संख्या अन्य प्रकार के दानों की संख्या से अधिक नहीं है। यदि हमारा अनुभव इस से कुछ भिन्न हो और यह देखा जाये कि इसी कारण बहुत सा राजस्व सरकार को नहीं मिल पाता है तो हमें स्थिति का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। कुछ भी हो, यह कोई उत्तराधिकार शुल्क नहीं है यद्यपि हम ने उत्तराधिकार सम्बन्धी खंडों में यह उपबन्ध किया हुआ है।

मुझे खेद है कि मैं इस सुझाव को कि दुर्घटना के कारण हुई मृत्युओं के लिए कोई विशेष उपबन्ध रखा जाये स्वीकार नहीं कर सकता हूं। प्रशासनिक दृष्टि से मृत्यु का कारण निर्धारित करने में बहुत कठिनाई होगी। वैसे भी मेरे विचार से दुर्घटना वाले मामलों की संख्या दूसरी संख्या के मुक़ाबिले में बहुत कम होगी और इसलिये एक संभावना मात्र के लिए विधान बनाना वांछनीय नहीं है।

अब हम प्रामाणिक रूप से दिये गये दान के विवादास्पद प्रश्न को लेते हैं। इस के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। प्रमाणिकता के सम्बन्ध में जो विचार मैं प्रकट कर चुका हूं उसी पर मैं अब भी स्थिर

[श्री सी० डी० देशमुख]

हूं । सारांश यह है कि कोई गुप्त व्यवस्था अथवा संकोच न किया जाये ।

यहां मैं कुछ उद्धरणों की ओर निर्देश करूंगा । ब्रे ने १९०७ में कहा था :

> "अभिप्राय यह है कि निष्पादन वास्तविक हो..मेरी राय में नीयत का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता..एक बार जब यह सिद्ध हो गया कि निष्पादन वास्तविक था तो मैं समझता हूं भेंट देने वाले की नीयत —जिस से प्रेरित हो कर उस ने भेंट दी हो—का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है ।"

जहां तक मैं समझता हूं, ये उपरोक्त निर्णय अभी रद्द नहीं हुए हैं । यदि ऐसा कोई मामला न्यायालय में जाता है, तो इन निर्णयों की भी सहायता ली जा सकती है । मैं यहां कोई अपना निर्वचन नहीं दे रहा हूं । मैं तो केवल उन निर्वचनों की ओर निर्देश कर रहा हूं जो इस सम्बन्ध में संयुक्त राजतंत्र में किये गये हैं ।

अब मैं भूदान यज्ञ में दी जाने वाली भेंटों का प्रश्न लेता हूं । निस्सन्देह, ये भेंट पूर्त प्रयोजनों के लिये दी गई भेंटों में सम्मिलित होंगी । परन्तु ऐसी भेंटों पर सम्पदा शुल्क केवल उसी दशा में नहीं लग सकता जबकि वे मृत्यु के कम से कम छै मास पूर्व दी गई हों । इस भूदान आन्दोलन के प्रति हम चाहे कितने भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हों, हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि वैधानिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति अभी अस्पष्ट है । अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि भूमि का वितरण किस प्रकार किया जायेगा, वितरण का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, अर्थात, क्या यह भूमिविहीनों की सहकारी समितियों को दी जायेगी या अलग अलग व्यक्तियों को । अतएव मेरा ख्याल है कि जब तक उन ज़मीनों की वैध स्थिति तथा स्वामित्व के प्राधिकार पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो जायें, तब तक इस विषय पर विचार करना उचित नहीं होगा । पूर्त प्रयोजनों में परस्पर भेद-भाव करना हमारे लिये खतरनाक होगा । इस सम्बन्ध में हमें आयकर अधिनियम की पुरानी धारा १५-क के बारे में पहले ही कटु अनुभव रहा है जिसे हम ने हाल ही में संशोधित किया है । हो सकता है कि भविष्य में ऐसा समय आये कि यह अमुक भेंट अन्य भेंटों से भिन्न समझी जाये, परन्तु इस समय स्थिति दूसरी है ।

मैं समझता हूं कि 'बोना फ़ाइडीज़' का हिन्दी रूपान्तर "सद्हेतुपूर्ण' नहीं बल्कि 'वास्तव में' होगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : अच्छी नीयत ।

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं नीयत का सवाल नहीं उठता ।

मुझ से यह कहा गया है कि मैं अब इस स्थिति पर भी इस की कोई सीमा न रखे जाने पर तैयार हो जाऊं । परन्तु मुझे अफ़सोस है कि मैं यह बात नहीं मान सकता क्योंकि वास्तव में ये सब बातें किसी न किसी रूप में रियायतें ही हैं और कहीं न कहीं तो आप को यह कहना ही पड़ेगा कि "मैं इस प्रकार की चीज़ चाहता हूं ।" दूसरे शब्दों में, प्रत्येक चीज़, यदि उसे पृथक् रूप में देखा जाये, अच्छी लग सकती है, परन्तु यदि सब चीज़ों को एक साथ देखा जाये तो आप इस से सन्तुष्ट ही होंगे, चाहे कुछ अलग-अलग उपबन्धों से आप पूर्णतः सन्तुष्ट न हों । और यह उपबन्ध तो मैं ने सामने बैठे माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात का सम्मान करते हुए रखा है । जसा कि मैं ने कल कहा था, अभी तो हमें कुछ अन्य बातों पर भी

विचार करना है जो खंड ३४ के अन्तर्गत उठती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सीमा के हटाये जाने पर आग्रह न करें। मेरे ख्याल में ५,००० की सीमा सभी साधारण परिवारों के लिये पर्याप्त होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात ज्ञात करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद प्रत्येक लड़की के विवाह में भेंट के रूप में दिये जाने के लिये पांच हजार रुपये अलग रख सकता है; परन्तु मृत्यु के पहले वह प्रत्येक लड़की के विवाह में ५,००० रुपये भेंट में नहीं दे सकता। यदि वह अपनी लड़कियों का विवाह मृत्यु के पहले कर जाता है तो वह कुल मिला कर ५,००० से अधिक नहीं दे सकता, चाहे कितनी ही लड़कियां क्यों न हों। यह भेद क्यों है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अधिक संभावना यही है कि मृत्यु के पूर्व इस दो वर्ष की कालावधि में कोई व्यक्ति एक ही लड़की का विवाह कर सकेगा। मृत्यु के बाद तो अलग अलग लड़की की शादी काफ़ी काफ़ी समय बाद होगी। परन्तु यहां तो मृत्यु के पूर्व दो वर्ष की कालावधि का ही प्रश्न है।

११ म० पू०

श्री ए० एम० टामस : श्री राघवाचारी ने "नियंत्रक के सन्तोषानुसार" शब्दों का जो ज़िक्र किया था, उस के बारे में क्या रहा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, न्यायालयों में न ले जाई जायें। जब यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या चीज़ भेंट समझी जायेगी, किसे विवाह सम्बन्धी भेंट समझा जायेगा, किसे सामान्य भेंट समझा जायेगा आदि, तो हमारा कहना यह है कि "ये सब चीज़ें इस ढंग से प्रमाणित की जानी होंगी कि नियंत्रक इस से सन्तुष्ट हो जाये। यह तो एक साधारण कानूनी अनुभव की बात है। बहुत से अधिनियमों में हम यह उपबन्ध देखते हैं : "अमुक-अमक की राय में"। परन्तु वकीलों ने उस से भी बचने की तरकीबें निकाल ली हैं, परन्तु हम बराबर यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक सम्भव हो, स्थिति को सम्भाले रहें।

श्री ए० एम० टामस : क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उस मान की जांच कर सकता है जो इस सम्बन्ध में नियंत्रक द्वारा स्थापित किया गया हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं : विधेयक के निर्माताओं की मंशा तो यह प्रतीत होती है कि यदि कोई भेंट दो वर्ष पहले दी गई हो ——चाहे वह किसी भी प्रकार की भेंट क्यों न हो——, तो उस पर इस का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ; परन्तु संशोधन के वर्तमान शब्दों से यह अर्थ भी निकल सकता है कि उपधारा (१) उन भेंटों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो विवाह में दी जायें। इस का यह अर्थ निकल सकता है कि चाहे विवाह हुए दस वर्ष हो गये हों, परन्तु यदि भेंट ५ हज़ार से अधिक है तो वह निषिद्ध होगी।

श्री सी० डी० देशमुख : लेकिन वास्तव में अभिप्राय यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है; परन्तु हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि इस का गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकेगा। क्या हम यह नहीं कह सकते : "उपधारा (१) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, विवाह के सम्बन्ध में दी गई भेंटों पर...यदि वे मृत्यु के पूर्व दो वर्ष के अन्दर दी गई हों ..." ऐसी भेंटों पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा। मैं समझता

[उपाध्यक्ष महोदय]

हूं कि ऐसा किये जाने पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : एक तरीका यह भी है । परन्तु मैं इन शब्दों के रखे जाने के लिये कह रहा था : "उपधारा (१) के उपबन्ध मृत्यु के पूर्व दो वर्ष के अन्दर दी गई भेंटों पर लागू नहीं होंगे ...."

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि ऐसा किया जाता है तो फिर यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि वहां "वास्तव में" शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : विवाह के सम्बन्ध में दी जाने वाली भेंटों के बारे में तो "वास्तव में" का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । हां, जहां तक अन्य भेंटों का प्रश्न है, हम पहले ही यह उपबन्ध कर चुके हैं कि उन से नियंत्रक को यह सन्तोष हो जाना चाहिये कि वे सामान्य व्यय के ही एक भाग के रूप में दी गई हैं । विवाह का व्यय तो वैसे ही सामान्य व्यय है और उस की वास्तविकता सिद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्री देशमुख का मूल संशोधन बिल्कुल ठीक था । सारी गड़बड़ी सीमा रखे जाने के फलस्वरूप पैदा हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ५,००० की सीमा को हटाने के लिये तो माननीय वित्त मंत्री तैयार नहीं हैं । अब वह यह चाहते हैं कि इस से यह अर्थ न निकाला जाये कि वे इस दो वर्ष की कालावधि के अन्दर दी जाने वाली भेंटों पर भी पाबन्दी लगा रहे हैं । अतएव वह इस संशोधन को केवल दो वर्ष से परे की कालावधि तक ही सीमित रखना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : स्थिति यह है कि यदि खंड ९ न हो, तो कोई भी भेंट सम्पत्ति का भाग नहीं समझी जायेगी । परन्तु खंड ९ द्वारा हम यह बतला रहे हैं कि अमुक अमुक प्रकार की भेंट मृत्यु होने पर दी गई समझी जायेंगी । फिर, यदि हम यह कह देते हैं कि यह उपबन्ध इन विशेष भेंटों पर लागू नहीं होगा तो ये भेंट सामान्य भेंट रही आयेंगी । उस दशा में वे सम्पत्ति का भाग नहीं समझी जायेंगी । अतएव जिस संशोधन का सुझाव दिया गया है उस की यहां आवश्यकता नहीं है । जब हम यह कह रहे हैं कि खंड ९ के उपबन्ध अमुक अमुक प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली भेंटों पर लागू नहीं होंगे, तो फिर इसे अपवाद में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गाडगील का संशोधन संख्या ५८३ रखता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप श्री गाडगील के संशोधन के दोनों भाग रख रहे हैं ? यदि आप संशोधन संख्या के दोनों भाग रख रहे हैं तो मुझे अपना संशोधन संख्या ५११ वापस लेना पड़ेगा । श्री गाडगील ने तो कहा था कि वह केवल दूसरा भाग रखेंगे ; परन्तु आप दोनों भाग रख रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो इस में हर्ज़ क्या है ? मैं समझता हूं कि श्री गाडगील के संशोधन का पहला भाग और संशोधन संख्या ५११ एक जैसे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राघवाचारी : बात यह है कि श्री देशमुख ने अपने संशोधन संख्या ५११ का केवल पहला भाग प्रस्तुत किया था और श्री गाडगील ने अपने संशोधन संख्या ५८३

का दूसरा भाग । ये दोनों मिल कर पूरे संशोधन संख्या ५८३ के समान ही हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय ने श्री गाडगिल का संशोधन अर्थात संशोधन नम्बर ५८३ का द्वितीय भाग सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

सदन ने श्री सी० डी० देशमुख का यह संशोधन स्वीकृत किया कि पृष्ठ ५ की पंक्ति १२ में शब्द "property" ("सम्पत्ति") से पहले " " "(१)" निविष्ट किया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख ने सदन की अनुमति से संशोधन नम्बर ५०९ वापस ले लिया ।

डा० कृष्णास्वामी ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने खंड ९ से संबंधित शेष सारे संशोधन सदन के समक्ष रखे तथा सदन ने उन्हें अस्वीकृत किया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मुझे खेद है कि सरकार श्रीमती सुषमा सेन के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती । ये शब्द ऐसे दानों के परिहार करने के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं जो वास्तविकता में दान न हों किन्तु वह व्यक्ति पत्र (डीड) लिख सकता है और कब्जा अपने पास रख सकता है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री बर्मन ने सदन की अनुमति से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।

खंड १० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ११—(सीमित भागों का विन्यास आदि)

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ३१०, ३११, ४६ और ४९ स्वीकार कर लिए जाएं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ४७ स्वीकार कर लिया जाए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) In page 6,—

(i) *after* line 16, *insert* :

"Provided that where *bona fide* possession and enjoyment of the property referred in clause (a) was not assumed immediately after the disposition or determination of the interest limited to cease on death, the disposition or determination shall be expected by this sub-section, if by means of the surrender of the reserved benefit or otherwise, the property is subsequently enjoyed for at least two years before the death, to the entire exclusion of the person who immediately before the disposition or determination had the interest and of any benefit to him by contract or otherwise,"

(ii) line 17, *after* "provided" *insert* "further".

(2) in page 6, lines 39 and 40, *for* "of the proviso to section 10" *substitute* "of the first proviso to sub-section (2)"

[श्री एम० सी० शाह]

[(१) पृष्ठ ६ में—

(i) लाइन १६ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाए :

"बशर्ते कि जहां खण्ड १ में निर्दिष्ट सम्पत्ति का निर्व्याज कब्जा और भोग मृत्यु पर समाप्त हो जाने वाले भाग के विन्यास के शीघ्र पश्चात नहीं किया गया था वहां इस उप-धारा द्वारा वह विन्यास अपवादित हो जाएगा, यदि रश्मि अथवा अन्य लाभ के समर्पण के द्वारा सम्पत्ति का भोग मृत्यु के कम से कम दो वर्ष पूर्व तक किया गया हो जिस में वह व्यक्ति कतई सम्मिलित न हो जिस का कि उस की मृत्यु से ठीक पूर्व उस में संविदे से अथवा अन्य प्रकार से कोई भाग था अथवा कोई अन्य हित था।"

(ii) लाइन १७ में "बशर्ते" के पश्चात "अग्रेतर" निविष्ट किया जाए ।

(२) पृष्ठ ६, लाइन ३९ and ४० में, "of the proviso to section 10" ("धारा १० के परन्तुक के") के स्थान पर "of the proviso to sub-section (२) ('उपं-धारा (२) के प्रथम परन्तुक के") आदिष्ट किया जाए ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ सशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १२—(रक्षण सहित संविधाकरण)

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(i) In page 6, line 49, *before* "Property" *insert* "1" ; and

(ii) In page 7, for lines 6 to 9, *substitute* :

"Provided that the property shall not be deemed to pass on the settler's death by reason only that any such interest or right was so reserved if by means of the surrender of such interest or right the property is subsequently enjoyed to the entire exclusion of the settler and of any benefit to him by contract or otherwise, for at least two years before his death.

Explanation :— A settler reserving an interest in the settled property for the maintenance of himself and any of his relatives (as defined in section 26) shall be deemed to reserve an interest for himself within the meaning of this section.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), where property is settled by a person on one or more other persons for their respective lives and after death, on the settler for life and thereafter on other persons and the settler dies before his interest in the property becomes an interest in possession, the property shall not be deemed to pass on the settler's death within the meaning of this section."

[(i) पृष्ठ ६, लाइन ४९ में, "सम्पत्ति" के पूर्व "(१)" निविष्ट किया जाए ।

(ii) पृष्ठ ७ में, लाइन ६ से ९ तक के स्थान पर यह निविष्ट किया जाए :

"बशर्तेकि संविधाकर्ता की मृत्यु पर सम्पत्ति केवल इसी कारण

उत्तराधिकारी को नहीं मिल जाएगी कि ऐसा हित अथवा अधिकार रक्षित था, यदि ऐसे हित अथवा अधिकार के समर्पण के द्वारा सम्पत्ति का भोग मृत्यु से कम से कम दो वर्ष पूर्व तक किया गया हो जिस में वह संविधाकर्ता कतई सम्मिलित न हो और जिस में उस का कोई हित, संविदे से अथवा अन्य प्रकार से, न हो ।

व्याख्या : अपने अथवा अपने किसी सम्बन्धी के (जैसा कि खण्ड २६ में परिभाषित है) पोषण के लिए, संविधाकृत सम्पत्ति में कोई हित रक्षित रखने वाला संविधाकर्त्ता, इस धारा के अर्थों में, अपने लिए हित रक्षित रखने वाला समझा जाएगा ।

(२) उपधारा (१) में सम्मिलित किसी भी बात के बावजूद, जहां कि सम्पत्ति का निबटारा किसी व्यक्ति द्वारा एक अथवा अधिक व्यक्तियों के जीवन-काल में अथवा उन की मृत्यु के बाद किया जाए, संविधाकर्त्ता के लिए जीवन-काल में अथवा उस की मृत्यु के बाद किया जाए, तथा संविधाकर्त्ता की मृत्यु सम्पत्ति के अपने भाग पर कब्जा होने से पूर्व ही हो जाती है, तो संविधाकर्त्ता की मृत्यु पर सम्पत्ति इस धारा के अर्थों में उत्तराधिकारी को गई नहीं समझी जाएगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ३१२ और ३१३ स्वीकार कर लिए जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड–सोरठ): जहां तक श्री चटर्जी के संशोधन संख्या ३१२ का सम्बन्ध है उस का पहला भाग सरकार द्वारा संशोधन संख्या ५१७ के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई उपधारा (२) से पूरा हो जाता है तथा दूसरा भाग मेरे संशोधन संख्या ४१० के स्पष्टीकरण (३) से पूरा हो जाता है और इसीलिए मैं ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है मेरे विचार में यदि संविधाकर्त्ता की छः वर्ष की अवधि के अन्दर मृत्यु हो जाती है तो संविधा को अपरावर्त्य ही समझना चाहिये क्योंकि इस अवधि में उसे संविधा का प्रत्याहरण करने का अधिकार नहीं होता । परन्तु सरकार के वर्तमान स्पष्टीकरण के अनुसार यह संविधा प्रत्याहरणीय समझी जायगी । इसीलिये मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री एम० सी० शाह : जब हम ने पहले इस पर चर्चा की थी तब भी यह बात उठाई गई थी । भारतीय आयकर की धारा १६ (१) (ग) के अन्तर्गत अपरावर्त्य न्यास छः वर्ष के लिये किए जा सकते हैं और तभी उन को छूट मिलती है । बाद में इस पर चर्चा हुई और हमें पता लगा है कि उन न्यासों को हमेशा के लिये अपरावर्त्य किया जा सकता है । इसीलिये, इस का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा गया और हम ने यह मार्ग अपनाया ।

श्री सी० डी० देशमुख का संशोधन संख्या ५१७ प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गय संशोधन संख्या ३१२ तथा ३१३ अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १२, संशोधित रूप म, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२, संशोधित रूप म, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १३ और १४ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खण्ड १५, (वार्षिकी या अन्य हित आदि)

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पृष्ठ ७, पंक्ति ५२ और ५३, में से यह निकाल दिया जाय :

"including moneys payable under a policy of life assurance."

(जिस में जीवन बीमापत्र के अन्तर्गत देय राशि भी शामिल है)

[श्री एम० सी० शाह]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १७—(हस्तान्तरित सम्पत्ति आदि)

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) ने अपने संशोधन संख्या ४३२ तथा ४३३ प्रस्तुत किये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ११ और १२ में से क्रमश: पंक्ति ३४ से ५० तक तथा पंक्ति १ से ५ तक निकाल दी जाय ।

मैं यह इस लिये कर रहा हूं क्योंकि हम १८ क को एक अलग खण्ड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस में यह पंक्तियां मौजूद हैं ।

श्री तुलसीदास : यद्यपि प्रवर समिति ने इग्लैण्ड के अधिनियम में दी गई नियन्त्रित कम्पनी की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है किन्तु यह कहीं पर भी नहीं बतलाया गया है कि "नियन्त्रित कम्पनी को हस्तान्तरण" का क्या अर्थ होता है । यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि किसी नियन्त्रित कम्पनी के शेयर या निक्षेप रखना 'हस्तान्तरण' नहीं समझा जायगा ।

वर्तमान खण्ड के अनुसार दोहरा करारोपण हो जाने की सम्भावना है । मान लीजिये चार भाइयों के हाथों में एक वैयक्तिक कम्पनी के शेयर हैं । कुछ कारणों वश वे अपने शेयर अन्य सम्पत्ति के साथ या बिना अन्य सम्पत्ति के साथ एक नियन्त्रित कम्पनी को हस्तान्तरित कर देते हैं । ऐसा भय है कि एक भाई की मृत्यु हो जाने पर नियन्त्रित कम्पनी में उस के शेयरों तथा नियन्त्रित कम्पनी की परिसम्पत् के अंश पर शुल्क लगाया जायेगा । परन्तु नियन्त्रित कम्पनी में शेयर और नियन्त्रित कम्पनी में परिसम्पत् का अंश तो एक ही "सम्पत्ति" नहीं है । कठिनाई इस बात की है कि जब कि इंग्लैण्ड में स्वयं संविधि में समस्त अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है हमारे इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । नियम बनाने का अधिकार सरकार पर ही छोड़ दिया गया है । स्वाभाविक ही है कि सरकार तथा राजस्व का केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों में संशोधन करता रहेगा । इस का परिणाम यह होगा कि कम्पनियां कभी भी निश्चित रूप से यह न जान पायेंगी कि उन का दायित्व क्या होगा । मैं सरकार की कठिनाई को समझता हूं किन्तु भावी संशोधी विधेयक में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा इसे सरकार की च्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये । ऐसा कर देने से कम्पनियां अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित रूप से समझ जायेंगी ।

एक दूसरी बात जिस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस बात का निश्चय कर दिया जाय कि अपनी मृत्यु से पूर्व तीन वर्ष में सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर देने से किसी व्यक्ति को क्या क्या लाभ होंगे । यदि मृत्यु से पूर्व तीन वर्ष के अन्दर कोई व्यक्ति किसी कम्पनी से कोई लाभ उठाता है तो उस पर शुल्क नहीं लगना चाहिये जब तक कि यह तय न हो जाय कि हस्तान्तरण और होने वाले लाभ के बीच क्या सम्बन्ध है ।

दूसरे, यह कि राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उस व्यक्ति को कोई छूट दे सके जो किसी कम्पनी में किसी पद पर कार्य करने के फलस्वरूप अपनी सेवाओं के लिये उचित पारिश्रमिक पाता है। इंग्लैण्ड के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित सुरक्षणों की भारतीय अधिनियम में भी व्यवस्था की जाय :—

(१) खण्ड १७ का विस्तार सीमित हो। खण्ड में केवल इतनी व्यवस्था हो जिस से वह गड़बड़ी दूर की जा सके जिस की आप आशा करते हैं।

(२) स्वयं अधिनियम में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि कम्पनी की शुद्ध आय क्या है, कम्पनी की परिसम्पत् को निश्चय करने का तरीका क्या है आदि।

(३) अधिनियम में उन सुरक्षणों की भी व्यवस्था होनी चाहिये जो इंग्लैण्ड के अधिनियम में दिये हुए हैं अर्थात्, उस मामले में छूट दी जायेगी जिस में लाभ सम्पत्ति के मूल्य से अधिक हो जाता है तथा किसी कम्पनी में काम करने पर मृत व्यक्ति को मिलने वाला पारिश्रमिक कम्पनी से होने वाला लाभ न समझा जायेगा।

'सम्बन्धी' की परिभाषा में पति, पत्नी, पूर्वज, कुलवंशज, भाई और बहन शामिल किये गये हैं। 'भागिता के व्यक्ति' शब्दों को ही ले लीजिये। हो सकता है एक व्यक्ति किसी अन्य फर्म में भागीदार हो। इस का यह अर्थ नहीं है कि वह एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति में यह सब लोग भी शामिल हैं। हो सकता है वह बिल्कुल ही अलग भागीदार हो, हो सकता है वह किसी अन्य कम्पनी में भागीदार हो। यद्यपि वह बिल्कुल अलग हो और उस का उस व्यक्ति से कोई सम्बन्ध न हो जिस ने वह कम्पनी चलाई हो, फिर भी, यदि वह उस कम्पनी का अंशधारी हो जाता है तो उसे एक ही व्यक्ति समझा जायगा। मेरे विचार में यह इस बात को बहुत अधिक बढ़ाना है। वर्तमान खण्ड के अनुसार तो भागीदारों को भी एक ही व्यक्ति का रूप दिया गया है। मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिये।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड है तथा इस को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिये जिस से नियन्त्रित कम्पनियों में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति यह समझ सकें कि उन से क्या आशा की जाती है। जब कम्पनी वालों को यही मालूम न होगा कि कम्पनी चलाने पर उन की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी तो वे कम्पनी किस प्रकार खोलेंगे। मेरा तो केवल इतना ही निवेदन है कि क्यों कि यह अधिनियम नया है इसलिये यदि किसी मामले में जानबझ कर गलती नहीं की जाती है तो उस के सम्बन्ध में उदारता तथा सहानुभूति से काम लिया जाना चाहिये।

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया था। इस विषय पर अनेकों उपबन्ध हैं। अब दो उपाय हैं : या तो इस उपबन्ध को संविहित किया जाए या आनम्यता रखने के लिए इसे नियमों में रखा जाए। फ्रांस, इंगलैंड के अधिनियमों से पता चलता है कि इन उपबन्धों में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। यदि आनम्यता रही, तो हम जान सकेंगे कि क्या करापवंचन के और भी तरीके हैं। और तब अपवंचन के ये नये तरीके जानने के बाद नियम बनाना और अपवंचन रोकना सरल हो जाएगा। अतः धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति हम ने अधिक अच्छी समझी है। वस्तुतः आगे आने वाले खण्ड १९-क में हम ने उपबन्ध किया है कि ये सारे नियम प्रकाशित होने के १५ दिन के अन्दर ही सदन-पटल पर रख दिये जाएं। ये नियम प्रकाशित होंगे,

[श्री एम० सी० शाह]

और कठिनाइयों के होने पर इन को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वे हमारे पास आकर इन विषयों की जांच करा सकते हैं। अतः अभी इन नियमों का संविहित होना ठीक नहीं है। क्योंकि हम इन नियमों को काम करते हुए देखना चाहते हैं और नियंत्रित कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले संपदा-शुल्क के अपवंचन के तरीकों का अध्ययन करना चाहते हैं। अतः खूब सोच-समझ कर ही हम ने यह तरीका ठीक समझा है।

श्री तुलसीदास नियम बनाने की शक्तियों की तो खूब चर्चा करते रहे पर उन्होंने अपने संशोधनों का निर्देश कम किया है। उन का संशोधन संख्या ४३२ 'कम्पनी' शब्द के बाद 'ऐसे हस्तांतरण के फलस्वरूप' निविष्ट करना चाहता है। दो बातें और हैं, जो खण्ड १७ के उपबन्धों पर प्रभाव डालती हैं। पहली यह कि हस्तांतरण कंपनी को किया गया हो और दूसरी यह कि कोई लाभ उस की मृत्यु के बाद तीन वर्ष में हुआ हो। वह संशोधन द्वारा कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम यह आवश्यक नहीं समझते कि हस्तांतरण से यह लाभ हुआ ही हो। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हस्तांतरण होते ही उस से होने वाले लाभ पर शुल्क लगेगा। इस बात को मान लेने से गुत्थियां पैदा हो जाएंगी। हम यह नहीं मान सकते कि लाभ का हस्तांतरण से सदैव सम्बन्ध रहे। इस से विधि का क्षेत्र सीमित हो जाएगा, और दोनों को परस्पर संबद्ध करना प्रशासन की दृष्टि से भी असंभव हो जाएगा और उन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस धारा का अभीष्ट प्रवर्तन असंभव हो जाएगा। अतः हम यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते।

दूसरा संशोधन संख्या ४३३ है। हस्तांतरण की परिभाषा अधिनियम के अधीन बनने वाले नियमों में दे दी जाएगी। श्री तुलसीदास द्वारा सुझाए गए शब्द में अति-व्याप्ति है। यदि कोई चीज़ उस व्यक्ति द्वारा किए गए विन्यास के फलस्वरूप, या उस की स्वीकृति से या ऐसे किसी संगठित कृत्य के फलस्वरूप, जिस का ऐसा विन्यास भी एक अंग है, किसी कम्पनी का संसाधन बन जाती है, तो यह उस व्यक्ति द्वारा किया गया संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। यह बात इंगलैंड के १९४० के वित्तीय अधिनियम की धारा ५८ (२) में देखी जा सकती है। हस्तांतरण के सामान्य रूप अंशों के निर्गम या नगदी या ऋणपत्रों का ध्यान रखते हुए व्यापार या सम्पत्ति का किसी कम्पनी को किया जाने वाला विक्रय है। इस संशोधन को स्वीकार करने से खंड का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है, अतः हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री दोनों संशोधनों के विरोध में हैं। दोनों पक्ष इस पर खूब बोल चुके हैं। अब मैं मत लिए लेता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ११ और १२ में, क्रमश :

पंक्तियां ३४ से ५० और १ से ५ लुप्त करिए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १८ और १९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन मोटर-गाड़ी-उद्योग पर एक घंटे की चर्चा को लेगा। माननीय मंत्री ४ बजे फिर जारी रखेंगे।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

मोटरगाड़ी उद्योग का भविष्य

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : सरकारी नीति की आलोचना से पहले मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। मोटर-गाड़ी उद्योग को मिलने वाले सरकारी प्रोत्साहन विशेषत: तटकर-आयोग के प्रोत्साहन का खूब प्रचार किया गया है। पर प्रश्न यह है कि क्या हम गाड़ियों का उत्पादन बचतपूर्वक करने के लिए भारी लागत पर एक विशाल संयंत्र लगा सकते हैं। १९४८ में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने कहा था कि ३–४ वर्षों में ६–७ हजार रुपए में कार मिलने लगेगी और देश में निर्माण शुरू हो जाएगा। पर आशाएं सफल न हुईं। न दिखाई पड़ता है कि कभी सफल हो सकेंगी जब तक २०–२५ हजार कारों की बिक्री न होने लगे और वे भारी पैमाने पर न बनाई जाएं, उन का बचत पूर्वक निर्माण असंभव है। पर आय-स्तर के निरन्तर परिवर्तित होते रहने के कारण मोटर-गाड़ियों का बाज़ार सदैव अस्थिर रहता है। इस प्रश्न की जांच करने के बाद तटकर-आयोग ने जो कुछ कहा है, वह मुझे सर्वथा तर्कहीन प्रतीत होता है। उस ने निर्माताओं से जो आंकड़े एकत्र किए थे, उन में किसी ने २०–२५ हज़ार, किसी ने दस किसी ने पांच और एक ने दो हज़ार गाड़ियों के न्यूनतम उत्पादन को बचतपूर्वक उत्पादन की दृष्टि से पर्याप्त माना था। पर इस पर तटकर-आयोग का विचार है कि "या तो ३०,००० का न्यूनतम उत्पादन करना होगा या सहायक-उद्योगों के समुचित उपयोग और प्रबन्ध के कार्यक्षम और बचतपूर्ण होने पर थोड़ी गाड़ियों का भी उत्पादन पर्याप्त होगा।" हमें तटकर-आयोग से आशा थी कि अपने विशेषज्ञों की सहायता से वह बचतपूर्ण-उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर देगा और सरकारी नीति का दिग्दर्शन करेगा। पर वह इस पर गंभीर विचार ही नहीं कर रहा है। १९४८ की आशाएं फलीभूत नहीं हुईं। तटकर-आयोग ने भी माना है कि आयात-शुल्क के वर्तमान स्तर ने देश में मोटर-गाड़ियों की मांग बढ़ाई नहीं है, और उन को कम करने के लिए उस ने जो सिफारिश की है, उसे सरकार ने मान लिया है। पर इतना ही काफी नहीं है।

रक्षा और यांत्रिक-कृषि—दो बातों की दृष्टि से हमें मोटर-गाड़ियों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ऐसी संभावना नहीं है कि अभी हाल ही में हमें अपनी खेती के विकास के लिए ट्रैक्टरों की विशेष आवश्यकता हो। पर रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और तटकर-आयोग ने हमारी अर्थव्यवस्था में इस समरोपयोगी उद्योग की विशेष आवश्यकता बताई है। मैं भी इसे आवश्यक मानता हूं। पर अब तक जो नीति अपनाई गई है, क्या वह उपभोक्ता और देश के लिए उचित रही है? एक मांग रक्षा की मांग होने से अत्यन्त महत्वपूर्ण है; दूसरी मांग उपभोक्ताओं की है, और हमें उस का भी सावधानीपूर्वक पोषण करना है।

आज हमारी आय कम है। तटकर-आयोग भी सुझाता है कि रक्षा विभाग और उपभोक्ताओं के हाथ १६–१८ हजार से अधिक गाड़ियों की खपत असंभव है। अर्थात् एक कारखाना भी यदि इन सब का उत्पादन करे, तो भी पूरी बचत न होगी। विचित्र दुविधा है: बहुमूल्य होने के कारण कारें बिकती नहीं और मांग न होने से काफ़ी उत्पादन कर के दाम कम नहीं किए जा सकते।

रक्षा सम्बन्धी मांग के विषय में तो मेरा सुझाव है कि इस अंग का राष्ट्रीयकरण

[डा० कृष्णस्वामी]

कर दिया जाए। चितरंजन लोकोमोटिव की भांति रक्षा के लिए उपयोगी ट्रकें आदि बनाना कठिन न होगा। इन दो भिन्न मांगों को अलग-अलग करने से ही समस्या का समाधान होगा। रक्षासम्बन्धी मांग की पूर्ति तो किसी भी कीमत पर करनी होगी और उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए बाजार और आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना होगा। एक बात और है कि जैसा तटकर-आयोग ने बताया है कि मोटर निर्माता अपनी-अपनी खोज की प्रगति एक-दूसरे को नहीं बताते और परस्पर जलते हैं। पर रक्षा के लिए ट्रकें बनाने पर सरकार अपने अर्जित अनुभव को पुरजे जोड़ने वाली कम्पनियों को भी बता सकेगी और इस प्रकार अन्त में उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

तटकर-आयोग को यह भी शिकायत है कि ये उद्योग ठीक होने पर भी अन्य कारणों से सहायक-उद्योगों से पुरजे नहीं खरीदते। मोटर निर्माताओं द्वारा दिखाई गई इस असद्-भावना के कारण सहायक-उद्योग को भी भारी हानि पहुंची है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य दस मिनट बोल चुके हैं। पांच मिनट और ले लें। यह घंटे भर की ही चर्चा है। अन्य कई सदस्य भी बोलना चाहते हैं। माननीय मंत्री को भी मैं कम से कम बीस मिनट दूंगा।

डा० कृष्णस्वामी : अच्छा मैं संक्षिप्त कर दूंगा। पर कठिनाई यह है कि बड़े शक्ति शाली स्वार्थ इस उद्योग में लगे हुए हैं और अपनी बात स्पष्ट करने में कुछ समय लग जाता है। अतः मेरे ऊपर थोड़ा सा अनुग्रह दिखाएं।

देश में मांग इतनी अधिक नहीं है कि एक कम्पनी भी बचतपूर्वक चल सके। तटकर-आयोग के हिसाब से ८४,००० के उत्पादन में से १६ से १९ हजार गाड़ियां ही बिक सकी हैं। अतः हम जानते हैं कि हमारा मोटर-उद्योग तत्काल निर्माता-उद्योग नहीं बन सकता। हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। हम पहले सहायक-उद्योग को प्रोत्साहन दें, तब मोटर-उद्योग जन्म ले सकेगा। अन्यथा उलटी बात होगी। पर तटकर-आयोग यह उलटी बात ही सोच रहा है। जब मोटर उद्योग ही कारों को बचतपूर्वक बनाकर बेच नहीं पाता, तो सहायक उद्योग उस के सहारे कैसे पनप सकते हैं? हमें यह मानना होगा कि बहुमूल्यता के कारण कारें मध्य वित्त लोगों की पहुंच से बाहर रहती हैं। देश की यातायात-सुविधाओं में सुधार करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। यदि कारों, बसों या लारियों के मूल्य बहुत ऊंचे बने रहेंगे, तो उन की मांग निश्चय ही कम बनी रहेगी।

पूंजी-लागत के बाद संचालन-लागत का प्रश्न है। राज्यों की कर-नीति के कारण बसों और लारियों के चलाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। विभिन्न सरकारों की गड़बड़ नीति के ही कारण सहायक-उद्योग भी विनष्ट हो रहे हैं। मेरा भारत-सरकार से अनुरोध है कि पूंजी लागत के साथ संचालन लागत भी आधी के लगभग कर दे, इस से यातायात-सुविधाओं का विस्तार होगा और देश में रोज़गार बढ़ेगा। गाड़ियों पर लगने वाले कर को कम करवा के संचालन-लागत कम की जा सकती है। इन समस्याओं के अनेकों पहलुओं का रोज़गार से सीधा सम्बन्ध है। आज इस उद्योग में बहुत रोज़गार नहीं मिलता। हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड तक में लगे हुए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कुल १,७३३ ही है। अन्य देशों की तुलना में यह कुछ नहीं है। हम सहायक-उद्योगों में रोज़गार बढ़ा सकते हैं और तभी निर्माता-संयंत्र भी लग सकेगा। कारों की मांग बढ़ाने

के लिए उन पर केवल राजस्व-शुल्क लो जाए। आशा है, सरकार मेरे सुझावों पर उचित ध्यान देगी । तटकर-आयोग की सिफारिशें बिलकुल निरर्थक सिद्ध हुई हैं और इन मूल बातों पर, जो हमारे मोटरगाड़ी-उद्योग के विकास के लिए अत्यन्त अपेक्षित हैं, उस ने कोई ध्यान नहीं दिया है ।

सभापति महोदय : यह चर्चा १२–२० म० प० पर शुरू हुई है औरह म इसे १–२० म० प० तक चलाएंगे । सब बातों का उत्तर देते हुए आवश्यक जानकारी देने के लिए माननीय मंत्री भी २० मिनट चाहेंगे । आशा है, माननीय सदस्यगण विवरणों को न लेकर केवल महत्वपूर्ण सुझाव रखते हुए इस घंटे का पूरा-पूरा सदुपयोग करेंगे ।

श्री एच० एन मुकर्जी (कलकता उत्तर-पूर्व) : १९५१–५२ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में हम ने मोटर गाड़ियों पर ५५ करोड़ रुपये तक का विदेशी विनिमय मोटरों पर और ३७ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय मोटर के पुर्जों पर व्यय किया । इसी से इस उद्योग का महत्व पता लगता है । १९४८ में सरकार ने इस उद्योग की नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य निकाला था और ऐसी आशा थी कि देश के लिये आवश्यक मोटर गाड़ियां पर्याप्त संख्या में बनायी जायेंगी जिन में प्रत्येक मोटर गाड़ी का मूल्य ८,००० या ९,००० रुपये होगा । सरकार ने कहा था कि वह इस उद्योग को विनियमित तथा नियंत्रित करेगी । किन्तु यह सब इस प्रकार किया गया है कि इस उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है और हमें इस के कारण जानने चाहियें ।

इस का एक कारण यह है कि मोटर गाड़ी उद्योग में कुछ ऐसे एकाधिकारी पूंजीपति हैं जिन के विदेशी पूंजीपतियों से सम्बन्ध हैं और जिन के विदेशों में मोटर गाड़ियों की उद्योग-कम्पनियों से सम्बन्ध हैं । जब ऐसी स्थिति है तो यह बहुत आवश्यक है कि सरकार मोटर गाड़ी उद्योग पर नियंत्रण रखे और इसे विनियमित करे । इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता ८४,०१४ मोटर गाड़ियां है । १९५१ में २२,३९३ तथा १९५२ में १५,७२३ मोटर गाड़ियां इस देश में बनाई गईं । इन दो वर्षों का औसत १९,७८८ है । यह बहुत असंतोष-जनक स्थिति है । सरकार अभी तक यह नहीं पता लगा सकी कि मोटर गाड़ी उद्योग तथा इस के सहायक उद्योग के बीच क्या सम्बन्ध होने चाहियें ।

हम देश में इस्पात के गोल शलाखायें नहीं बना सकते । हम यहां पैट्रोल टैंक की टर्नप्लेट भी नहीं बना सकते । एल्यूमीनियम, तांबा तथा पीतल जैसे अलौह पदार्थों पर विदेशी पूंजीपतियों का नियंत्रण है । यदि यह स्थिति ऐसी ही रही तो इस उद्योग को नुकसान होगा ।

हम कारों के दाम भी कम नहीं कर सकते और पैट्रोल के दामों के तथा अन्य कारणों से हम उत्पादन में वृद्धि भी नहीं कर सकते । माननीय निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री ने यह बताया था कि आसाम ऑयल कम्पनी को एक सौ से तीन सौ प्रतिशत तक प्रतिवर्ष लाभ होता है और यह कम्पनी तथा अन्य विदेशी कम्पनियां सरकार को अपना लेखा नहीं देखने देतीं जिस से हम सरकारी स्तर पर इन विदेशी कम्पनियों का नियंत्रण नहीं कर सकते । पैट्रोल के दामों के कारण हमारे देश में मोटर गाड़ी के खरीदारी का संख्या बढ़ नहीं पाती ।

रबड़ पर भी विदेशियों का एकाधिकार है । माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि भारत में बने टायर और ट्यूब भारत में इंग्लैंड में वहीं के बन टायर और ट्यूब के मुकाबले में महंगे हैं । अपनी आवश्यकता के लिये हमें रबड़ विदेशों से मंगानी पड़ती है । रबड़ एक बहुत बड़ा

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सहायक उद्योग है जिस से हमारी मोटर गाड़ियों के उत्पादन के विकास में बाधा पड़ती है। फिर हम इन एकाधिकार रखने वाली कम्पनियों को अपने देश में रहने देते हैं जिन का विदेशी पूंजीपतियों से सम्बन्ध है। इस विषय में तटकर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन के सम्बन्ध में मुझे शंका है। उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान मोटर्स ने निर्यात शुल्क के बारे में कुछ रियायतें मांगी थीं। हमारे सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी की इनवोयस देखने के लिये कहा किन्तु उस ने किन्हीं कारणों से वे इनवोयस नहीं दिखाये। तटकर आयोग की यह सिफारिश है कि प्रोफोर्मा इनवोयस देखना ही पर्याप्त है और उस के बाद निर्यात शुल्क में आवश्यक छूट दी जानी चाहिये।

मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी का मालिक कौन है। अभी कुछ दिन पूर्व मैं ने 'मिस्ट्री ऑफ बिड़ला हाउस किताब देखी जिस के सम्बन्ध में एक विदेशी लेखक ने "न्यू वर्ल्ड आराइज़िंग" नामक किताब में यह लिखा है कि यदि ऐसी किताब किसी अन्य देश में छपती तो या तो मैसर्स बिड़लाज़ पर मुकदमा चलाया जाता अथवा उस के इस देश में ऐसी कम्पनी चलाने के सम्बन्ध में कुछ किया जाता। किन्तु इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जब ऐसी बात होती है तो हमें तटकर आयोग द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स तथा ऐसी अन्य कम्पनियों के साथ किये जाने वाले पक्षपात के सम्बन्ध में शंका अवश्य ही होगी।

हमारे लिये कारों तथा सामान्य मोटर गाड़ियों का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मोटर गाड़ी उद्योग तथा अन्य सभी सहायक उद्योगों के बीच सन्तुलन का पता लगाना भी बहुत आवश्यक है। हमें यह भी अवश्य पता लगाना चाहिये कि सहायक उद्योग विकसित क्यों नहीं हो रहे हैं। तटकर आयोग में इस मामले में यह कहा है कि इन भारतीय मोटर गाड़ी उद्योगों से सम्बन्धित ऐसे कुछ विदेशी उद्योग हैं जो ठीक नीति चलाने में बाधक हैं। रबड़, रंगरोगन तथा तैल के ऐसे व्यापारी हैं जो हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं। रंगरोगन के मामले में इम्पीरियल कैमिकल्स, अल्काली कैमिकल कॉर्पोरेशन, जेंसन एण्ड निकल्सन, शालीमार पेंट्स आदि ऐसी कम्पनियां हैं जो इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाये रहेंगी। और ऐसा लगता है कि सहायक उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में हमारी भारतीय कम्पनियों ने इन विदेशी कम्पनियों से समझौते कर रखे हैं। सरकार को इन समझौतों की खब छानबीन करनी चाहिए और यदि इन समझौतों में कोई ऐसी बात मिले जो हमारे सहायक उद्योगों में बाधक हो तो जिन कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों से सम्बन्ध है उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे देश के मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हो।

अतः मेरा यह कहना है कि आर्थिक नीति के सम्बन्ध में सरकार ने जो घोषणा की थी उस का उचित प्रकार से पालन किया जाय। हम चाहते हैं कि यह उद्योग एकाधिकार वाले पूंजीपतियों के चंगुल में न रहे जिन का विदेशी पूंजीपतियों से सम्बन्ध है। हम चाहते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हो।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या स्वचालित उद्योग के लिये कोई योजना बना गई है और यदि ऐसा है तो उस के विकास के लिये सरकार क्या कर रही है?

ये उद्योग सब निजी हैं और उन की व्यवस्था बड़ी खराब है। मजदूरों की संख्या

कम है, दफ्तर के लोगों की अधिक। इस कारण यहां इन स्वचालितों का मूल्य भी अधिक रहता है। इन उद्योगों की किन्हीं विदेशी कम्पनियों से सांठ गांठ है और उद्योग केवल उन्हीं डिजाइनों की मशीनें आदि बनाते हैं जिन के लिये इन्हें अनुमति मिलती है, मोटरें आदि ये उद्योग विदेशी कम्पनियों की अनुमति बिना नहीं बना सकते। अतः इन को कोई भी स्वतन्त्रता नहीं है।

हमारी यातायात सुविधायें बढ़ाना आवश्यक है। हमारे यहां गाड़ियों का मूल्य भी अधिक है और उन का किराया भी अधिक है। इसी कारण इस प्रकार के यातायात का स्तर हमारे यहां इतना निम्न है। अतः जब तक इन सेवाओं को चलाने वालों को सुविधायें न दी जायेंगी, इन में विकास हो सकना संभव नहीं।

देश की रक्षा के लिये सभी प्रकार की गाड़ियां चाहे वह मोटर कार हों या अन्य किसी प्रकार की, देश में बनी हुई ही क्रय की जानी चाहिए। इससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस उद्योग में लगी हुई निजी फर्मों की वास्तविक दशा जानने के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाय। उत्पादन लागत के अधिक होने के सारे ही कारण इस प्रकार ज्ञात हो जायेंगे। इस आयोग को पक्षपात रहित जांच करनी होगी तथा उत्पादन लागत व उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्रित करने होंगे तभी वास्तविकता का पता लग सकेगा अन्यथा नहीं।

मुख्य तथा सहायक उद्योगों का विकास एक साथ होना चाहिये। आज इस उद्योग की रक्षा तथा नागरिक सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से उन्नति की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री बंसल : इस सम्बन्ध में अमरीका में इस बात की बड़ी चर्चा है कि भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों तथा सुझावों पर उन कारखानों को सहायता देना किस प्रकार स्वीकार कर लिया जो निर्माण कार्य बराबर कर रहे हैं और कहते यह हैं कि उन के थोड़े ही दिन और शेष रह गये हैं।

मैं डा० कृष्णस्वामी के इस कथन से सहमत नहीं कि भारतीय उद्योगपति इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों को उखाड़ फेंकने की चेष्टा में रहे हैं इसी कारण वे असफल रहे और यह उद्योग भारत में पनप नहीं सका। उन्हों ने कहा कि स्वचालितों की मांग भारत में नहीं है अतः सरकार को चाहिये कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगों को अपने हाथ में ले ले। सरकार किस प्रकार मांग पैदा कर देगी ?

डा० कृष्णस्वमी : रक्षात्मक कार्यों के लिये।

श्री बंसल : क्या उन का तात्पर्य यह है कि इन का निर्माण लाभरहित लागत पर हो और क्या चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री में मोटरों का निर्माण हो सकता है ? अतः उन का कथन उचित नहीं है। अतः देश का हित इस में नहीं कि कुछ उद्योगों को बन्द कर दिया जाय और मोटर गाड़ियों का आयात किया जाय। डा० कृष्णमाचारी का यह विचार भी गलत है कि पूरे मोटरों को बनाने की अनुमति देने से पूर्व गौण तथा सहायक उद्योगों का विकास करना चाहिये। ऐसा उचित नहीं। जब मिस्टर फोर्ड मोटर कार बना रहे थे, तो उस देश में गौण तथा सहायक उद्योग थे ही नहीं। अतः पहले मोटरों का निर्माण हुआ और बाद को ये उद्योग पनपे।

श्री के० के० बसु : मैं विभिन्न निर्माणशालाओं में होने वाले वर्तमान उत्पादन का प्रतिशत, निर्माण की कुल लागत का आयात किये गये सामान का प्रतिशत मूल्य तथा विदेशियों का पेटेन्ट राइट्स का अनुपात जानना चाहता हूं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : पिछले वर्ष स्वचालित ग्राड़ियों का माध्य उत्पादन १६,७८८ था। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार वास्तव में कारीगरों की संख्या ६,३१३ थी। इस का अर्थ है कि एक कारीगर ने औसतन ३ या ४ स्वचालित गाड़ियों का निर्माण किया। क्या यह तथ्य नहीं है कि आप इस निर्माण को केवल एकत्रीकरण एवं पालिश करना ही कहते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सभापति जी मैं डा० कृष्णस्वामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने ऐसे समय जब सरकार की नीति स्पष्ट होने वाली है, इस विवाद को उठाया है और आदर्श मोटर उद्योग का ढांचा भी दर्शाया है। परन्तु श्री बंसल ने उन पर जो आपत्ति उठाई है उस से मैं सहमत नहीं हूं। डा० कृष्ण स्वामी और श्री एच० एन० मुकर्जी की शिकायतें ये हैं कि हम दी गई आशाओं की पूर्ति नहीं कर सके हैं। हमें इस उद्योग की प्रगति को भी देखना चाहिए। हम मानते हैं कि प्रगति ठीक दिशा में नहीं हुई, तो भी इस की जांच प्रशुल्क आयोग करेगा। कुछ मित्र एक दूसरा आयोग नियुक्त करने के लिये कहते हैं। परन्तु एक आयोग के साथ दूसरे आयोग को नियुक्त करना उचित नहीं होगा। जर्मनी से इस उद्योग के एक विशेषज्ञ ने भी सहायता दी है, और हमें विश्वास है कि प्रशुल्क आयोग को उत्तम से उत्तम परामर्श मिला है। डा० कृष्णस्वामी ने आयोग के वक्तव्य पर आपत्ति की है। परन्तु कई बार वकील लोग अपने मतलब की बात को पकड़ कर प्रसंग को छोड़ देते हैं।

सभापति महोदय : ऐसा केवल वकीलों के साथ ही नहीं होता।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : उस को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उद्धरण पैरा ११, उपपैरा (ग) से है। आयोग कहता है :

> "मोटरों को कम खर्चे पर बनाने के लियेआवश्यक न्यूनतम सामग्री के बारे में हमारे सामने विवादास्पद साक्ष्य रखे गये थे।"

आगे कहा है कि—

> "उन में से एक यह है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये ३०,००० के लगभग सामग्री की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि थोड़ी सामग्री के साथ भारत में उचित मूल्य पर मोटरें बनाना संभव है यदि अर्वीन उद्योगों का ठीक ठीक लाभ उठाया जाय।"

प्रशुल्क आयोग के सामने भी ये बातें इसी प्रकार से रखी गईं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और जब कि जर्मनी में गली मुहल्ले में भी छोटे कारखाने होते हैं। बात यह है कि हमें देखना है कि उत्पादन और मांग कितनी है। यदि मांग कम है तो उत्पादन भी कम करना होगा, जिस पर खर्चा कम नहीं लगेगा।

डा० कृष्णस्वामी ने सुझाव रखा कि सामरिक दृष्टिकोण से आवश्यक मांग और उपभोग की मांग को दो श्रेणियों में रक्खा जाय। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि रक्षा के अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताएं भी देश के लिये जरूरी हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को यह काम देना चाहते हैं जो आवश्यक सज्जा के साथ यह काम करने को उद्यत हैं। और यदि वे ऐसा नहीं करते, तो हम दूसरे साधनों से सामरिक मांग को पूरा करेंगे।

दूसरी बात उन्होंने कारों के बारे में कही।

हम ने इस काम को वहां से शुरू किया है जहां प्रशुल्क आयोग ने इसे छोड़ा था। हम ने पांच पुर्जे बनाने वाली कम्पनियों से कहा है कि

वे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। हम ने इस के लिये एक समिति भी निश्चित की है कि वह देखे कि कौन सा कारखाना सहायक आवश्यकताओं की चीज़ों को नहीं बना सकता। मैं माननीय सदस्यों से इस विषय में सुझाव मांगता हूं क्योंकि हमें इस का पूर्ण ज्ञान नहीं है। प्रत्येक सदस्य के सुझावों का स्वागत किया जायगा।

श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि विदेशों में यह चीज़ बन रही है और वह चीज़ बन रही है। यह ठीक है मैं भी इस बात को मानता हूं। मुझे भी खेद है कि इंगलैंड की अपेक्षा हमारे यहां टायर महंगे बिकते हैं। परन्तु इस में एक बात यह है कि रूस ने भी पहले विदेशों से काम करना सीखा और उस के बाद अपने देश में सब चीज़ें तैयार कीं। विदेश की सहायता प्रारम्भ में अवश्य चाहिए, यदि उद्योग को चलाना हो। रूस नें मिस्टर फोर्ड से वे औजार लिये जिन्हें उस ने अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु ऐसा करना पड़ता है। विदेशी टेकनिकल सहायता को लेना पाप नहीं है। मैं श्री मुकर्जी से कहता हूं कि हम उस स्थिति में हैं जिस में रूस १९१७ में था न कि १९२७ में। हमें भी उसी अवस्था से अपने देश का निर्माण करना है। हम विदेशी सहायता के बिना यह काम नहीं कर सकेंगे। परन्तु मैं श्री मुकर्जी से इस बात में सहमत हूं कि हमें बिल्कुल दूसरों के सहायता के भरोसे पर ही बंध कर नहीं रहना चाहिए। हम अपने प्रयत्न से भी इस उद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन के साथ दौड़ लगाना नहीं चाहते, और यह बात श्री हीरेन मुकर्जी को भी मालूम है। और हम यह भी ध्यान रखेंगे कि हम इस दिशा में बाधित भी न रहें।

उन्होंने एक बात हिन्दुस्तान कारों के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क की बाबत कही। संभवत: उन को यह पता नहीं कि माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने एक विधेयक रखा है, जो यदि पारित हो गया, तो निर्यात किये गये सामान पर आयात शुल्क के सम्बन्ध में हमें रिबेट दिला सकेगा, और इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो किसी विशिष्ट वस्तु के बनाने के लिये आयात शुल्क दिया जाता है। आप मुझ से सहमत होंगे कि स्थानीय पुर्जे बनाने वालों को बाहर भेजने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। मेरा अनुमान है कि पांच छः वर्षों में ही इस देश की बनी हुई कारों की विदेश में मांग हो जायगी।

श्री गुरुपादस्वामी विषय से कुछ दूर जा रहे थे। श्री रेड्डी सब कामों को तुरन्त ही करना चाहते हैं और मैं उन को क्रमानुसार करना चाहता हूं।

श्री बंसल विवादास्पद बातों में पड़ गये, जब कि वे वाद विवाद पर कुछ मूल बातें बतला सकते थे। मैं सरकार की नीति की आलोचना की कदर करता हूं। यदि उन्हें सरकार की नीति में कुछ त्रुटि दिखाई देती है, तो वे आलोचना कर सकते थे।

श्री वी० पी० नायर सांख्यिकी के विद्यार्थी हैं। अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में कई प्रकार की सूचना पूछी जाती है। मैं वैसी सूचना नहीं दे सकता। इस समय मैं श्री बसु और श्री वी० पी० नायर को आंकड़े नहीं बतला सकता। श्री बसु ने भी एक गलती की है। वे पूछना चाहते थे कि इन यूनिटों में कितने प्रतिशत उत्पादन-क्षमता का उपयोग किया जाता है। उन्होंने पूछा है कि उत्पादन-क्षमता कितनी है? उत्पादन-क्षमता सब भागों के उत्पादन के आधार पर नहीं होती। यह तो केवल फैक्टरी के क्षेत्र पर अवलम्बित है। जब तक हम निर्माण के अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच पाते हम इस बात को नहीं माप सकते। जहां तक विभिन्न फैक्टरियों के आयात का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि श्री बसु को रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। यह विभिन्न कारखानों के

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

ढांचों और असेम्बली प्लाट के साथ भी सम्बन्धित है। मुझे बतलाया गया है कि कार के लिये आवश्यक ३० से ४० प्रतिशत पुर्जे अपने देश में बनाये जाते हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य के छः महीनों में और भी प्रगति होगी। दूसरे कारखाने भी इन्जन बनाने के लिये महायंत्र स्थापित करने वाले हैं। हम उन से उन का कार्यक्रम पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बजट सत्र में मैं मोटर उद्योग के सम्बन्ध में ठीक ठीक स्थिति बतला सकूंगा। परन्तु इस समय बताना बड़ा कठिन है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति का सामान्य वक्तव्य यह है कि प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट को माना जाय, और वह कुछ बदल दी जाय। हम ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति बनाई है, जो समय समय की प्रगति से सम्बन्धित हैं। वह समिति इन फैक्टरियों का निरीक्षण करेगी और प्रगति की दर की जांच करेगी। मैं कुछ दिनों के बाद इस के सम्बन्ध में और अच्छी जानकारी दे सकूंगा।

मैं अब सड़क यातायात के विकास को लेता हूं। डा० कृष्णस्वामी ने राज्य-करारोपण और मोटरों की भारी लागत को सड़क यातायात के विकास में बाधक बतलाया है। जैसे प्रगति हो रही है और भविष्य में जैसी प्रगति होने की आशा और संभावना है, उस के अनुसार मैं कह सकता हूं कि आगामी दस वर्षों के बाद प्रति वर्ष ८०,००० से लेकर १ लाख तक मोटर गाड़ियों की मांग हो जायगी। इस से बनाने में भी कम लागत लगेगी। इस के विकास के लिये हमें राज्यों की सहायता भी चाहिए।

राज्य करारोपण निस्सन्देह भारी है, और केन्द्रीय सरकार प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिये राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कर कम किया जाय। हम अपने शुल्कों को भी कम करने का विचार कर रहे हैं जिस के परिणामस्वरूप मोटरों की लागत कम हो जायगी और उन का संचालन व्यय भी कम हो जायगा। पैट्रोल की कीमत का भी विचार करना होगा। पैट्रोल पर केन्द्रीय और राज्य के करारोपण काफ़ी हैं और वह लागत की तुलना में पर्याप्त भारी हैं। हम इन मामलों का निर्णय करना चाहते हैं। हम इन बातों के लिये राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। मोटर उद्योग के बारे में अपनी नीति निर्धारित करने में हम डा० कृष्णस्वामी और श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा सुझाये गये मार्गों को ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय : सदन की बैठक अब स्थगित होती है। दोपहर के पश्चात् ४ बजे फिर होगी।

इस के बाद सदन की बैठक ४ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

सम्पदा शुल्क बिधेयक क्रमागत जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सम्पदा-शुल्क विधेयक की चर्चा जारी रखेगा, जिस का खण्ड १९ निपटाया जा चुका है।

नया खंड १९-क (नियम बनाने की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १३ में

पंक्ति ४८ के बाद, निविष्ट करिए :

"१९–क—नियंत्रित समवायों के सम्बन्ध में साधारणत: नियम बनाने की शक्ति—

(१) बोर्ड निम्न उद्देश्य से नियम बना सकेगा:—

(क) व्यवस्थापनों या प्रवर्तनों की, जिसे धारा १७ के अर्थ में नियंत्रित समवायों को किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा, श्रेणी विहित करना;

(ख) इन नियंत्रित समवायों से मृत व्यक्ति को प्रोद्भूत लाभस्वरूप माने जाने वाले विषयों का, उन की राशि निश्चित करने के स्वरूप का और उस समय का, जब उन को प्रोद्भूत होता माना जाएगा, विहित करना;

(ग) उस स्वरूप को विहित करना, जिस में किसी ऐसे समवाय की शुद्ध आय और परिसंपतों का मूल्य निश्चित किया जाएगा;

(घ) उस स्वरूप को विहित करना, जिस में किसी ऐसे समवाय की लेखा–वर्ष जोड़ी जाएगी;

(ङ) उस स्वरूप को विहित करना, जिस में मृत व्यक्ति की मृत्यु पर रिक्त होने वाले किसी ऐसे समवाय के अंशों और ऋण-पत्रों का संपदा शुल्क के प्रयोजन से मूल्यांकन किया जाएगा ;

च) मृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे समवाय को हस्तांतरित संपत्ति के मूल्य का निर्देश करके उपरि सीमा का उपबन्ध करना तथा ऐसी स्थिति में दुहरे आरोपण को रोकना, जहां अन्यथा ऐसे समवाय के परिसंपतों (या उन के कुछ भाग) तथा किसी ऐसे समवाय में मृत व्यक्ति के अंशों और ऋण-पत्रों दोनों ही के सम्बन्ध में शुल्क देय होगी;

(छ) उन दशाओं को विहित करना जिन के अधीन, और उन सीमाओं को विहित करना जहां तक ऐसे किसी समवाय के नाम पर किए गए सौदों को पूर्ण विचार वाले सौदों की दृष्टि से निर्व्याज समझा जाएगा; तथा

(ज) साधारणत: किसी ऐसे समवाय की साधनिका द्वारा संपदा शुल्क बचाने पर रोक लगाने के प्रयोजन से।

(२) इस धारा के आधीन बनाये गये सभी नियम उन के अंतिम प्रकाशन की तिथि से कम से कम १५ दिन पहले लोक-सभा के समक्ष रख दिए जाएंगे ।"

मैं इतना ही कहूंगा कि इस में नियम बनाने सम्बन्धी मूल उपखंड को उद्धृत किया गया है (जिस का धारा १७ के अधीन निरसन कर दिया गया था) । उपखंड (च) को भी ले लिया गया है । यह इंगलैंड के १९४० के अधिनियम की धारा ५१ का १९४४ के अधिनियम की धारा ३८ के अधीन संशोधित रूप में निर्देश करता है । इस का संबंध केवल धारा १७ से ही नहीं है । सारांशत: यह केवल आलेखन सम्बन्धी परिवर्तन है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संशोधन पर मत लिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड १९–क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २०—(बिदेशी संपत्ति)

श्री के० के० बसु : मैं, प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १४ पंक्ति १६ में, इस धा

[श्री के० के० वसु]

के उद्देश्य (purposes of this Section) के बाद निविष्ट करिए :

"परन्तु भारत के बाहर संघटित समवाय या संघ की भारत स्थित परिसंपत् इस अधिनियम के प्रयोजन से भारत सीमा क्षेत्र में स्थित मानी जाएगी ।"

बहुत से ऐसे समवाय हैं, जिन की इंगलैंड में संगठित होने पर भी पूरी परिसंपत् भारत में ही है । प्रस्तुत धारा २० के अधीन इसे चल संपत्ति माना जाएगा और भले ही इंगलैंड में उन का नाम मात्र का कार्यालय हो उन पर शुल्क न ली जा सकेगी । अतः मैं चाहता हूं कि उन की सारी परिसंपत् यहां होने पर उन पर शुल्क ली जाए । उन की अंश या स्कंध रूपी परिसंपतों को भारत सीमान्तर्गत परिसंपत् माना जाए । यह संशोधन न मानने पर हम इन समवायों से राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से आवश्यक यह शुल्क न ले सकेंगे । इन परिसंपतों के विवरणों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं । आशा है, सरकार यह संशोधन मान लेगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : भारत में संचालित विदेशी समवायों के अंशों के स्थल का निश्चय एतदर्थ बनने वाले नियमों के अनुसार किया जाएगा । सामान्यतः किसी समवाय के अंशों का स्थल वह देश होता है, जहां वह समवाय पंजीबद्ध होता है । फिर भी कुछ परिस्थितियों में जब समवाय की प्रमाणीकृत पूंजी भारत में रहती है, विदेशी समवायों तक के अंशों का स्थल भारत होगा और उन अंशों पर शुल्क लगेगा । पर उन समवायों के सम्बन्ध में, जो अपने लाभ का ५० प्रति शत से अधिक भारत में अर्जित करती हैं, खंड ८० (१) में उपबन्ध किया जा चुका है । अतः मेरी समझ में हम ने इस के लिए उपबन्ध कर लिया है ।

दूसरा संशोधन श्री नायर का है । पर उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः हमारा विचार है कि प्रशासनीय दृष्टि से यह कार्य योग्य न होगा । यदि किसी आस्ट्रेलियावासी के भारत-स्थित एक ब्रिटिश फर्म में अंश हैं, तो उस आस्ट्रेलियावासी की मृत्यु पर शुल्क वसूल करने का कोई साधन ही नहीं है । जब समवाय की परिसंपत् भारत में हो, तभी वसूली संभव है और वह भी समवाय के द्वारा ही । और उस का हम ने खंड ८० (१) में उपबन्ध किया है ।

श्री एस० एस० मोरे : उपखंड (१) (क) के अधीन विदेशस्थ अचल संपत्ति को नहीं लिया गया है । मान लो, किसी भूतपूर्व देशी नरेश की कहीं विदेश में कुछ संपत्ति है, तो क्या उस की मृत्यु पर उसे नहीं गिना जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि से शासित है । ऐसी किसी संपत्ति को नहीं छेड़ा जाता ।

श्री सी० डी० देशमुख: हां, श्रीमान् ।

श्री एस० एस० मोरे : खंड (ख) द्वारा कुछ परिस्थितियों में चल-संपत्ति को भी छोड़ा गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : अधिवास के विषय में वही कसौटी है ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खंड २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खण्ड २०-क

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १४ में पंक्ति १६ के बाद निविष्ट करिये :

२०-क (१) किसी शरणार्थी द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति सम्बन्धी दावों पर सम्पदा शुल्क नहीं ली जायेगी ।

(२) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अपने बसने के लिये भारत में आकर अर्जित की गई सम्पत्ति पर इस अधिनियम के आरंभ के १० वर्ष बाद तक सम्पदा शुल्क न लगेगी ।'

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय तिवारी का भी यही संशोधन है । श्री शर्मा यदि समझते हों कि उनका संशोधन स्वतः स्पष्ट है, तो न बोलें ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं कुछ शब्द कहूंगा ।

धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते ।
नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्ये प्रशासति ॥

सिद्धान्ततः मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि हम इस विधेयक के विरोधी हैं । मृत्यु के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कर किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिये, इस सिद्धान्त का हमने पहले प्रतिपादन किया है । राज्य को प्रजा के द्वारा कर की प्राप्ति होनी चाहिये, इस सिद्धान्त के विरुद्ध हम नहीं हैं, किन्तु उस के बहाने से जहां प्रजा को विशेष लाभ भी न होने वाला हो, राजा के कोष में भी अधिक सम्पत्ति न आने वाली हो, जैसे कि हम इतने पिछले सारे नियमों से देख चुके हैं इसलिये हम इसका विरोध करते हैं । हम को पता लगता है कि इस विधेयक का सीधा तात्पर्य हिन्दू ला को खराब करना, उस को मिटाना है । तदनन्तर भारतवर्ष की सभ्यता के अनुकूल दान प्रणाली का जैसे सर्वनाश किया गया है गिफ्ट्स के अन्दर, वह भी हम ने देखा है । आतुरकालिक दानों को भी इसी तरह से नष्ट किया गया है । 'गृहीत इव केशेषु मृत्यना धर्ममाचरेत् इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम समय में जो दान होना चाहिये, वह भी आप की सैक्युलर स्टेट ने स्वाहा कर दिया ।

इस सम्बन्ध मे में शासक वर्ग से, शासक बेंचों से, केवल यही निवेदन करूंगा कि उत्पीड़ित रिफ्यूजी आप जिन को कहते हैं, आप लोग उन के कारण ही यहां आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं । उन के बलिदान से ही आप ने भारतवर्ष का विभाजन स्वीकार किया और तभी यहां आप के राज्य की स्थापना हुई है । उन के क्लेम्स किसी अंश में हम फ़ौरन प्रापर्टी के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन की जितनी सम्पत्ति है वह दूसरे देश में है, परराष्ट्र में स्थापित है । एतावतः भी हम ने बीसवीं धारा के साथ साथ एक और धारा जोड़ने के लिये निवेदन किया है । आप ने एक पूरा का पूरा विभाग इस के लिये खोल रखा है । नित्य निरन्तर आप की बातचीत पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ होती है । निश्चय कुछ नहीं है कि आप कुछ देने वाले हैं या नहीं । किन्तु उन लोगों का, जिन की आप की ओर दृष्टि पड़ी हुई है कि सम्भवतः आप उन के भाग्य का कुछ निर्णय करेंगे, उस के ऊपर आप की इस डैथ ड्यूटी, ऐस्टेट ड्यूटी का टैक्स नहीं होना चाहिये, यह मेरा पहला निवेदन ।

इसी के साथ साथ हमारे प्रधान मंत्री का बार बार कहना है, यह घोषणा की गयी है कि हम उत्पीड़ितों का यहां पुनर्वास करेंगे, उन को यहां स्थापित करेंगे । मेरे दूसरे भाग में यह भी निवेदन किया गया है कि उत्पीड़ितों द्वारा अपने पुनः संस्थापन के लिये

[श्री नन्द लाल शर्मा]

जो सम्पत्ति यहां भारत वर्ष में खरीदी गई है उन के ऊपर डैथ ड्यूटीज़ का किसी प्रकार का लगान नहीं होना चाहिये । दोनों ही परिस्थितियों में यह टैक्स नहीं लगना चाहिये । एक परिस्थिति में तो उन का क्लेम है । वह क्लेम जब कभी मिलने वाला हो, यदि उसके मिलने से पूर्व क्लेम करने वाला व्यक्ति मर गया और उस के क्लेम की जो कुछ भी रक़म उस के आगे के प्रजावर्ग की मिलने वाली हो, उस के ऊपर एस्टेट ड्यूटी का टैक्स नहीं होना चाहिये । दूसरे यदि आप अपनी प्रतिज्ञा सच्ची रखते हैं कि आप उन का पुनः संस्थापन करना चाहते हैं और आप उन की सहायता करना चाहते हैं, उन के कष्ट में किसी प्रकार सहानुभूति रखते हैं तो कम से कम जो सम्पत्ति उन्होंने भारवर्ष में खरीदी है, अपने पुनः संस्थापन के लिये, उस के ऊपर कम से कम प्रथम दस वर्ष तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिये । यह मेरा दूसरा निवेदन है । मैं विश्वास करता हूं कि संसद् इस बात को स्वीकार करेगी ।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता हूं । शासन प्रजा से कर आदान करता है, जैसे कि दिनकर समुद्र से, फिर पर्जन्य रूप में लोक कल्याण के लिये देश के वास्ते कई बार देने के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सहस्रगुणमुत्सृष्टु-मादत्ते हि रसं रवि : ।

Shri Nand Lal Sharma : In the fashion of king ven.

श्री सी० डी० देशमुख : यह आप क्या अंग्रेज़ी की बात करते हैं ? पीड़ितों के पुनः संस्थापन के लिये तो शासन पर्याप्त व्यय कर चुका है और कर रहा है

खंड २१

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'(१) पृष्ठ १४ की पंक्ति २४ में शब्द "five" ["पांच"] के स्थान पर शब्द "two" ["दो"] रखा जाये ।

(२) पंक्ति २७ से ले कर ३३ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"Provided that in the case of property held by the deceased as sole trustee for another person under a disposition made by himself, the period shall be five years"

["परन्तु उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो कि मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति ने अपने एक इच्छा-पत्र के अन्तर्गत दूसरे व्यक्ति के अकेले प्रन्यासी के रूप में अपने पास रखी हो, यह कालावधि पांच वर्ष होगी ।"]

इसके अतिरिक्त श्री जो० डी० सोमानी तथा श्री यू० एम त्रिवेदी ने भी अपने संशोधन पेश किये हैं ।

श्री सी० सी० शाह तथा पंडित सी० एन० मालवीय ने अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस खंड में रखे गये संविहित उपबन्ध को खंड ९ तथा १० में दी गई कालावधि के समतुल्य बनाने के लिये निरन्तर रूप से मांग की जा रही है जिससे कि न्यास के अन्तर्गत दिये गये दानों के बीच इस आधार पर कोई भेद भाव न हो कि मालिक स्वयं प्रन्यासी हो अथवा

नहीं । इस खंड का संशोधन करने में प्रवर समिति का विचार यह था कि जहां मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति अपने इच्छा-पत्र के अनुसार अकेला प्रन्यासी हो, उसे न्यास की सम्पत्ति अपनी मृत्यु से पांच वर्ष पूर्व उस न्यास से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को हस्तांतरित करनी चाहिये, जिस से कि इस सौदे के सद्भावों को अधिक सुनिश्चित आधार पर रखा जा सके । परन्तु वर्त्तमान रूप में खण्ड की शब्द रचना के अन्तर्गत पांच वर्ष की कालावधि ऐसे न्यासों पर भी लागू होगी जहां कि मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति अपने इच्छा-पत्र के अनुसार किसी न्यास का सहप्रन्यासी होगा इसी त्रुटि को दूर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान खंड का परन्तुक हटाया जायगा क्योंकि इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य का कोई प्रन्यासी कैसे उस न्यास की सम्पत्ति लाभाधिकारियों को हस्तांतरित करेगा । खंड २१ कभी भी सार्वजनिक धर्माथ न्यासों पर लागू होने के लिये नहीं बनाया गया है तथा ब्रिटेन के कानून में कोई तत्स्थानीय उपबन्ध भी नहीं है ।

फिर 'स्पष्टीकरण' को हटाया जा रहा है क्योंकि हमे ऐसा लगता है कि यह दुर्विचारित है । खंड २१ में 'लाभार्थ कब्जे' का विचार निहित है, सक्रिय कब्ज़े का नहीं । इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रन्यासी को छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति को कब्ज़ा लेना चाहिये । हम समझते हैं कि स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री प्रवर समिति के सदस्य थे, उस समय उन्होंने कोई विमतिपत्र नहीं दिया । इस समय वह कैसे ' अकेले प्रन्यासी ' तथा ' सह-प्रन्यासी ' में भेद रखने के लिये यह संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री राघवाचारी : माननीय मंत्री को याद होगा कि इस पर काफ़ी वादविवाद हुआ है तथा ' स्पष्टीकरण ' केवल इसलिये निविष्ट किया गया था कि यह बात साफ़ हो जाये कि ' कब्ज़े ' से यहां मतलब ' सक्रिय कब्ज़े ' से है । तथा जहां तक नाबालिगों का सम्बन्ध है, उनकी ओर से कोई और व्यक्ति कब्ज़ा ले सकता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : ' स्पष्टीकरण ' के बिना इस संशोधन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ' स्पष्टीकरण' हटा दिया जाय तो उस नाबालिग का क्या बने जो कब्ज़ा नहीं ले सकता है । इस का आशय नाबालिगों को भी जो कि वैधिक रूप से कब्ज़ा नहीं ले सकते हैं, फ़ायदा पहुंचाना है । यदि स्पष्टीकरण हटाया जाये तो नाबालिग सम्पत्ति का कब्ज़ा नहीं ले सकता है । ' स्पष्टीकरण ' को हटाना मेरे विचार में उचित नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : नाबालिगों के हितों से सम्बन्धित अन्य मामलों में जैसा हुआ करता है वैसे यहां भी होगा । नाबालिग के हितों का प्रतिनिधित्व उसका वैधिक प्रतिनिधि अथवा अभिभावक करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि जब कोई ' स्पष्टीकरण ' दिया गया हो और आप उसे हटाते हैं तो उसका निर्वचन ऐसे भी किया जा सकता है कि इस कानून में नाबालिगों के मामले नहीं आ जाते हैं । नहीं तो सामान्य कानून लागू होगा !

श्री सी० डी० देशमुख : आज दस वर्ष बाद इस कानून का कैसे निर्वाचन होगा, यह कोई नहीं कह सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री नाबालिगों को इस लाभ से वंचित नहीं रखना चाहते है। परन्तु क्या इस 'स्पष्टीकरण' में केवल यही एक मामला आ जाता है? अथवा क्या मंत्री जी को इस पर केवल इसीलिये आपत्ति है कि इस खंड का क्षेत्र विस्तृत है तथा यह इसलिये आवश्यक नहीं? मान लीजिये कि इसका क्षेत्र विस्तृत हो तो इसे ऐसे रहने देने में कोई आपत्ति नहीं।

श्री पाटस्कर : यदि इस स्पष्टीकरण को हटाया गया तो कोई भी यह कह सकता है कि इसे केवल इसलिये हटाया गया कि नाबालिगों को यह लाभ पहुंचाना अपेक्षित नहीं था तथा इसीलिये इसे विधान मंडल ने हटा दिया है।

श्री सी० सी० शाह : 'स्पष्टीकरण' को यहां रखने से उल्टे कठिनाईयां पैदा होंगी क्योंकि इस खंड में "कब्ज़ा तथा उपभोग आदि" के जो शब्द रखे गये हैं उन का अर्थ केवल 'लाभार्थ कब्ज़ा' से लिया जायगा न कि 'सक्रिय कब्ज़ा' से। इस तरह से लाभ उठाने वाला चाहे बालिग हो अथवा नाबालिग वास्तविक कब्ज़ा तो प्रन्यासी के हाथ में ही रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में 'सक्रिय कब्ज़े' की बात भी आ जाती है।

श्री सी० सी० शाह : यह खंड इङ्गलैंड की संविधि से लिया गया है। इङ्गलैंड में न्यायालयों ने इस की यह व्याख्या की है कि इसका अर्थ 'वास्तविक' कब्ज़ा नहीं अपितु 'लाभार्थ' कब्ज़ा है। यदि यह व्याख्या सही है तो 'स्पष्टीकरण' यहां बिल्कुल असंगत है क्योंकि फिर तो बालिग नाबालिग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नाबालिग को भुगतान करने की बात किसी व्यक्ति को भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं करती है। प्रसंविदा विधि के अनुसार नाबालिग शोधन-पत्र नहीं दे सकता है।

श्री सी० सी० शाह : जहां तक फ़ायद उठाने का सम्बन्ध है, प्रत्येक न्यास पत्र में उस व्यक्ति का उपबन्ध रखा जाता है जो कि नाबालिग की ओर से आय प्राप्त कर सकेगा। यदि न्यास-पत्र में इसका कोई उपबन्ध नहीं हो, तो प्रन्यासी का यह कर्तव्य है कि वह उस आय को नाबालिग के फ़ायदे के लिये प्रयोग में लाए। किसी भी दशा में नाबालिग को यह आय नहीं अदा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : और यदि उस नाबालिग का कोई अभिभावक होगा?

श्री सी० सी० शाह : अभिभावक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक तथा दूसरा वैधिक। यदि अभिभावक प्राकृतिक हो तो प्रन्यासी उसे आय दे कर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। और यदि वैदिक हो तो वह शोधन पत्र दे सकता है। यदि वैधिक अभिभावक नियुक्त नहीं किया गया हो तो प्रन्यासी ही नाबालिग का अभिभावक बन जाता है। उसका फिर यह कर्तव्य है कि वह न्यास पत्र के निर्देश में वह आय नाबालिग के फ़ायदे पर लगाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रन्यासी अभिभावक की जगह नहीं ले सकता है। 'स्पष्टीकरण' रखने में आप को क्या आपत्ति है?

श्री सी० सी० शाह : मान लीजिये कि इस 'स्पष्टीकरण' को यहां रखा भी गया तो क्या विचार यह है कि बालिग लाभाधिकारियों को वास्तविक कब्ज़ा सौंपा जाये? कब्ज़ा तो सदैव प्रन्यासी के हाथ में ही रहेगा, लाभाधिकारी को केवल अपने जीवन में इस से आय प्राप्त होती रहेगी। केवल न्यास-

पत्र के अन्तर्गत न्यास की समाप्ति हो सकती है। इस तरह से बालिग नाबालिग का कोई प्रश्न ही नहीं।

जहां तक कब्जे का सम्बन्ध है, बालिग तथा नाबालिग में कोई भेद नहीं।

जहां तक लाभ उठाने का सम्बन्ध है बालिग तो यह आय स्वयं ले सकता है। किन्तु नाबालिग के सम्बन्ध में यह आय उसके अभिभावक के हाथ दी जा सकती है और यदि अभिभावक न हो तो प्रन्यासी नाबालिग के फ़ायदे पर यह लगा सकता है, सभी न्यासों में ऐसा ही होता है। 'स्पष्टीकरण' को यहां रखने से उस से कहीं अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी जोकि इसे हटाने से उत्पन्न होंगी।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक धर्मार्थ कार्यों तथा प्रन्यास के मामले में कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर्त्ता न होगा। मैं एक उदाहरण रखता हूं। मान लीजिये मैं एक स्कूल खोलता हूं जो कि परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य होगा। मैं इस स्कूल का न्यासधारी बन कर और उसके लिये नियम बनाकर उसमें अपने बेटों तथा भाइयों को पदों पर नियुक्त करता हूं। इससे मुझे या मेरे सम्बन्धियों को लाभ होगा। ऐसे मामले में इन बातों को रोकने का उपाय क्या होगा? मैं समझता हूं कि इस में वह खंड लागू नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह परन्तुक भी रखा जा सकता है, जबकि इसे एक और परन्तुक के रूप में रख दिया जाये।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : हम सम्पदा शुल्क विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और इस में विवाद ग्रस्त कानूनी बातें सन्निहित हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जटिल मामले की चर्चा के समय माननीय विधि मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही अनुभव कर रहा था। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की चर्चा के दौरान में माननीय विधि मंत्री उपस्थित रहें। यद्यपि इस विधेयक को चलाने का उत्तरदायित्व विधि मंत्री पर है किन्तु इससे सम्बन्धित कानूनी मामलों पर सदस्यों के विभिन्न मत हो सकते हैं और इस सम्बन्ध में विधि मंत्री को हमारा पथ प्रदर्शन करना चाहिये। मुझे खेद है कि जब ऐसे विवादग्रस्त मामलों पर चर्चा हो रही है तो विधि मंत्री अनुपस्थित हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : चूंकि राज्य परिषद् की बैठक हो रही है और वह उस सदन के नेता हैं अतः उन्हें वहां भी उपस्थित रहना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि जब यहां ऐसे कानूनी प्रश्न उठें तो सदन के नेता विधि मंत्री से यहां उपस्थित रहने के लिये कहेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : दोपहर के बाद की बैठक में, जब कि राज्य परिषद् की बैठक नहीं होती, ऐसा किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधि मंत्री के रूप में उन की सहायता की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिये।

श्री राघावाचारी: जो कानून द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं उसके मामले में क्या होगा? ऐसा विचार किया गया था कि लाभाधिकरी के अधिकार में ही सम्पत्ति हो और जो व्यक्ति कानूनी तौर से ऐसा नहीं कर सकता उसके मामले में उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति वैसा कर सकता है। यदि विचार यह है कि इससे अभिप्राय वास्तविक

[श्री राघवाचारी]

अधिकार से नहीं है तो "अधिकार" शब्द हटाया जा सकता है। वित्त मंत्री का विचार भी यह बताया जाता है कि वास्तविक अधिकार वाली बात पर ज़ोर न दिया जाय। अतः व्याख्या से यह बात स्पष्ट हो जायेगी और इसे हटाकर और गड़बड़ी न पैदा की जाय।

श्री ए० पी० नाथवानी : मेरा कहना यह है कि इस व्याख्या को रखने से और गड़बड़ी पैदा होगी। सार्वजनिक धर्मार्थ सम्पत्ति के पक्ष में जो परन्तुक है उसे रखना आवश्यक है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आपकी बात से यह अभिप्राय निकलता है कि सम्पत्ति पर वास्तविक अधिकार होना चाहिये और इसके साथ यह भी आप कहते हैं कि इस मामले में मृत व्यक्ति को शामिल न किया जाय। तो यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ?

श्री एन० पी० नाथवानी : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। यही शब्द खंड २१ में रखे गये हैं। उसमें यह दिया हुआ है कि यह आवश्यक नहीं कि मूल दान ग्रहीता को सम्पत्ति स्वयं अपने अधिकार में रखनी चाहिये। यदि लाभाधिकारी के लिये यह सम्पत्ति प्रन्यास द्वारा रखी जाती है तो भी यह शर्त पूरी हो जाती है। यदि आप व्याख्या को रखते हैं तो आपको खण्ड १० में दी हुई व्याख्या के अनुसार इसे रखना पड़ेगा, जैसा कि करना आवश्यक नहीं। अभिप्राय वास्तविक अधिकार से है। यदि न्यासधारी लाभाधिकारी व्यक्ति के लाभ के लिये उस सम्पत्ति को अपने पास रखता है तो खण्ड ९, १० तथा २१ की दृष्टि से इस सम्पत्ति पर लाभाधिकारी का अधिकार है। अतः इस व्याख्या को हटाना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ९ और १० का प्रन्यासी से क्या सम्बन्ध है ?

श्री एम० सी० शाह : इसमें मृत-व्यक्ति न्यासधारी है और उसके लिये लाभाधिकारी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार सुरक्षित होते हैं। दूसरे मामले में मृत व्यक्ति न्यासधारी नहीं होता।

श्री सी० डी० देशमुख : इसी कारण से हमने खण्ड २१ में एक अपवाद रखने का विचार किया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २१ का सम्बन्ध विशेष रुप से प्रन्यासों से है। अतः खण्ड १० तथा २१ को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : किन्तु खण्ड २१ में वास्तविक अधिकार की बात तो सम्मिलित है ही उसमें लाभाधिकार के आधार पर प्राप्त अधिकार भी सम्मिलित है। इसे ऐसे सामान्य रूप में समझना चाहिये जिससे कि हम खण्ड २१ को प्रस्तुत कर सकें।

श्री राघवाचारी : खण्ड १० में दान कर्त्ता को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा गया किन्तु खण्ड २१ में उसे बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा सम्बन्ध तो "अधिकार तथा उपभोग" के अभिप्राय से है और इस सम्बन्ध में अभिप्राय वास्तविक अधिकार तथा लाभाधिकार के आधार पर प्राप्त होने वाला अधिकार हो सकता है किन्तु इस में अभिप्राय वही समझना चाहिये जो न्यायालय निश्चित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नथवानी की बात यह है कि यदि व्याख्या को रख लें तो इसका अभिप्राय यह है कि अधिकार तथा उपभोग का कोई रचनात्मक अर्थ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी धारणा है। एक मामले में अभिभावक उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लेता है और दूसरे मामले में कोई व्यक्ति इसको अपने सांकेतिक अधिकार में भी नहीं लेने वाला होता। अवयस्क के लिये उसका अभिभावक ही सम्पत्ति को सांकेतिक अधिकार में लेता है। इसलिये इस व्याख्या को रखना आवश्यक है।

श्री सी० डी० देशमुख : जब हम यह कहते हैं कि सम्पत्ति पर अधिकार तथा उपभोग लाभाधिकारी व्यक्ति ने कर लिया तो इसमें यह बात भी सम्मिलित होती हैं कि अवयस्क की सम्पत्ति को अभिभावक नें अपने अधिकार में ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। वित्त मंत्री ने यह बताया कि इस व्याख्या के बिना भी अवयस्क द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार लेने का अर्थ यह है कि अभिभावक के द्वारा उसका अधिकार लिया गया है। श्री नथवानी ने कहा कि इससे गड़बड़ी पैदा होगी। मेरा कहना है कि इस से गड़बड़ी तो पैदा नहीं होगी किन्तु यह अनावश्यक हो सकती है।

श्री एन० पी० नाथवानी : मैं यह कह रहा था कि इस में पांच वर्ष की व्यवस्था रखने का अभिप्राय यह है कि संविधा कर्त्ता की ओर से इस बात का सबूत होना चाहिये कि उस ने लाभाधिकारा के आधार पर प्राप्त होने वाले अधिकार तथा उपयोग को छोड़ दिया है। सार्वजनिक धर्मार्थ काम के लिये दी जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि खण्ड ९ के अन्तर्गत छ : महीने की अवधि की व्यवस्था की गई है। निजी प्रन्यासों का सार्वजनिक प्रन्यासों से मामला भिन्न रखा जा सकता है और निजी प्रन्यासों के मामले में यह अवधि बड़ी हो सकती है।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं श्री नथवानी की पहली बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने विधेयक के खण्ड १० की ओर ध्यान दिलाया। किन्तु इस सम्बन्ध में यहां अवयस्क के बारे में यह प्रश्न उठता है कि सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसका उपभोग अवयस्क द्वारा होना चाहिये अथवा यह अभिभावक द्वारा होना चाहिये ? अतः मेरा यह निवेदन है कि यदि हम समझें कि इस खण्ड में इस बात का उपबन्ध करना आवश्यक है कि अभिभावक द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसके उपभोग का अभिप्राय यह समझा जाये कि उस सम्पत्ति पर अवयस्क का अधिकार है तो अवयस्क के मामले में खंड १० में उसी व्यख्या को रखना आवश्यक है। मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस बात से सहमत हूं कि सामान्य कानून तो लागू होगा ही और अभिभावक द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार का अर्थ उस पर अवयस्क का अधिकार समझा जायेगा। किसी झगड़े की दशा में अवयस्क इसका और भी तरह से प्रतिकार कर सकता। है। मेरा विचार है कि यह खण्ड अनावश्यक है किन्तु यदि आप इसे इस में रखना चाहते हैं तो धारा १० में उसी प्रकार का एक खंड होना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : इस चर्चा को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि हमारा संशोधन दोनों प्रकार से ठीक है। हम समझते हैं कि ऐसे मामले ही नहीं होंगे जहां एसे मामलों के लिये निजी प्रन्यास की आवश्यकता पड़ेगी। हम यह भी मानते हैं कि इन मामलों में छै महीने की अवधि ठीक रहेगी और हमें इस पर अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस व्याख्या के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जब हम खण्ड १० तथा २१ में इन शब्दों की व्याख्या करेंगे तो सन्देह उत्पन्न होंगे और अच्छा यह है कि हम इस

[श्री सी० डी० देशमुख]

व्याख्या को न रखें और इस बात को न्यायालय पर छोड़ दें ।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये तथा स्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधनों के बारे में क्या विचार हैं ?

श्री तुलसीदास : माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि हम संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने का आग्रह नहीं करना चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवदी : मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन प्रस्तुत किया जाय । मैं ने अपने संशोधन में यह रखा है कि अवयस्क लाभाधिकारी तथा सार्वजनिक धर्मार्थ कार्यों के सम्बन्ध में अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । किन्तु माननीय वित्त मंत्री परन्तुक से सहमत नहीं हुए ।

अवयस्क तथा धर्मार्थ कार्यों, दोनों के लिये ही यह अवधि दो वर्ष है । मेरा सुझाव यह था कि धर्मार्थ कार्यों के सम्बन्ध में छै महीन की अवधि नहीं होनी चाहिये । खण्ड २१ के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री नें मेरी बात को नहीं माना है अतः मैं चाहता हू कि मेरा संशोधन प्रस्तुत किया जाय ।

श्री सी० सी० शाह : मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवदन है कि वह धर्मार्थ प्रन्यासों के मामलों पर विचार करें क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में अवधि ५ वर्ष से २ वर्ष कर दी है । खण्ड ९ के अन्तर्गत दान के लिये अवधि २ वर्ष है और धर्मार्थ कार्यों के लिये दान की अवधि ६ महीने है । यदि हम खण्ड २१ में इस परन्तुक को हटा दें तो धर्मार्थ कार्यों के लिये दान की अवधि दो वर्ष हो जायगी जो कि खण्ड ९ के विपरीत है । यदि मैं धर्मार्थ कार्य के लिये दान देता हूं और एक प्रन्यास बना कर उसमें न्यासधारी हो जाता हूं तो दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही इस प्रकार के प्रन्यास को शुल्क के मामले में छूट दी जा सकती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री का यह अभिप्राय नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यक्ति स्वयं न्यासधारी होगा और दूसरे मामले में सम्पत्ति के अधिकार के लिये किसी अन्य व्यक्ति को न्यासधारी बना सकता है तो इन दोनों मामलों में एक भिन्न नियम होना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : मान लीजिये कोई व्यक्ति दस लाख रुपये की सम्पत्ति का धर्मार्थ दान देता है और न्यासधारियों में से एक न्यासधारी वह भी होना चाहता है और उसके लिये अन्य चार व्यक्ति भी न्यासधारी हैं। किन्तु, क्योंकि वह भी एक न्यासधारी है, इसलिये उस में दो वर्ष की अवधि लागू होगी । यह धारा ९ के विपरीत होगा । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस पर विचार करें ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात जैसी है वैसी ही ठीक है । जब वह भी एक न्यास-धारी है तब अवधि २ वर्ष है; किसी अन्य प्रकार के प्रन्यास के लिय अवधि छै महीन है और यदि केवल वही न्यासधारी है तब यह अवधि ५ वर्ष है ।

श्री त्रिवेदी का संशोधन संख्या ५९ अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड २२ से २५ तक विधेयक के अंग बना लिये गये :

खंड २६—(सम्बन्धियों के पक्ष में निबटारा)

श्री एस० एस० मोरे तथा श्री तुलसीदास द्वारा क्रमशः संशोधन संख्या ४८६ तथा ४३५ प्रस्तुत किये गये।

श्री एच० एन० मोरे : पंडित नेहरू ने अपने भाषणों में अनेक बार कहा है कि जाति-वाद का अन्त किया जाये। और लोग भी ऐसा हो चाहते हैं। मगर विधान पारत हो जाने पर भी कोई उनका लाभ नहीं उठाता। अन्तर्जातीय विवाह होने से यह बुराई काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि वर्तमान विधेयक में उन लोगों को करारोपण के मामले में छट दी गई है जो अन्तर्जातीय विवाह करते हैं। और नहीं तो कम से कम धन की बचत के उद्देश्य से ही धनी व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करने लगेंगे।

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर) : मैं श्री मोरे के संशोधन का स्वागत करता हूं। यदि अन्तर्जातीय विवाह होने लगें तो हमारी समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है, इसलिये मैं तो यही चाहता हूं लोक सेवा आयोग भी केवल उन्हीं युवक युवतियों को अधिमान दे जो अन्तर्जातीय विवाह करने को तैयार हों। मैं तो यह भी चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को पांच एकड़ या इससे अधिक भूमि भी दी जाये।

श्री गाडगिल : यद्यपि मैं अपने माननीय मित्र श्री मोरे के संशोधन का स्वागत करता हूं किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि उसे स्वीकार कर लिया जाये। आर्थिक असमानता को दूर करने का यह भी एक तरीका हो सकता है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि लोक सेवा आयोग उन्हीं व्यक्तियों को अधिमान दे जो अन्तर्जातीय विवाह करते हैं। मैं तो यह भी चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार से विवाह करने वालों की आर्थिक सहायता भी करे।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं किसी वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता। फिर भी, श्री मोरे ने सुधार की भावना से प्रेरित होकर जो संशोधन रखा है वह इस खण्ड के क्षेत्र से बाहर है। इस खण्ड का उद्देश्य केवल यह है कि कुछ सम्बन्धियों को दिये गया उपहार उचित समझा जायें; इसे करारोपण से बचने का तरीका न समझा जाये। अतएव ऐसी परिस्थितियों में अन्तर्जातीय या विजातीय विवाह का प्रश्न उठाना बिल्कुल असंगत है। इसीलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मोरे का सशोधन संख्या ४८६ अस्वीकृत हुआ।

श्री तुलसीदास : मेरा संशोधन संख्या ४३५ खण्ड २६ के उपखण्ड (३) को हटा देने का है। इस धारा में "अधिनियमित कल्पना" दी हुई है।

अत : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त साम्राज्य अधिनियम की धारा ६२ के उपबन्ध जो इतने क्लिष्ट हैं, हमारे अधि-नियमों में नहीं आने चाहियें। उससे बड़ी विषम स्थिति हो जायगी। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उपखण्ड (३) को हटा दें।

श्री सी० डी० देशमुख : हमने लाड रेडक्लिफ़ के पर्यवेक्षणों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह खण्ड रहना चाहिये। श्री तुलसीदास के लिये तात्कालिक उत्तर यह है कि इन दोषों के रहते हुए भी, राज्य सभा तथा न्यायालय एक सिद्धान्त बना सके हैं जो अधिनियमित कल्पना कहलाती है और

[श्री सी० डी० देशमुख]

वही इस खण्ड का आधार है। यह सत्य है कि इस मामले में निर्णय करदाताओं के पक्ष में ही था किन्तु हमारे लिये संगत यही है कि न्यायालयों ने इस विधि को लागू किया, यानी इसकी विवेचना की।

मैं बताना चाहूंगा कि खण्ड २६ उस दशा में शुल्क देने से बचने के उपाय को रोकने के लिये बना है जहां सम्पत्ति एक सम्बन्धी को हस्तांतरित कर दी गई है या वार्षिकी के विचार से मृतक द्वारा लिये गये ऋण के लिये है अथवा वह ब्याज जो उसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो जायेगा जो उसके दक्ष में दिया गया था। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति क अपनी एक इमारत अपने सम्बन्धी ब को हस्तांतरित कर सकता है और ऐसा प्रबन्ध कर देता है कि ब उसको जीवन भर के लिये वार्षिकी देता है। इस खण्ड के अनुसार मृतक द्वारा यह जो हस्तांतरण किया है वह एक सम्बन्धी के पक्ष में है—और वह खण्ड यह न हो कर खण्ड के अन्तर्गत ही दूसरा खण्ड है जो ऐसे पूर्ण प्रतिफल के लिये नहीं है जो धन के रूप में ऐसे रूप में हो जिसका मूल्य धन के रूप में आंका जा सके इस प्रकार दी हुई वार्षिकी प्रतिफल नहीं समझी जायगी और वह हस्ततरण दान समझा जायगा। सम्पत्ति का ऐसा हस्तांतरण सम्बन्धी के पक्ष में सीधे सीधे भले ही न हो, किन्तु नियंत्रित कम्पनी के माध्यम द्वारा हो सकता है और इसीलिये उपखण्ड (३) इस प्रकार शुल्क बचाने की सम्भावना को दूर करने के लिये जोड़ा गया है।

ऐसे मामले में इस उपखण्ड को लागू करते समय, जहां अधिनियमित कल्पना जारी की जा चुकी है, कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या कम्पनी ने अपने पास सदस्यों के लिये न्यासधारी की सम्पत्ति रोक रखी है या नहीं? यदि ऐसा है—और विशद रूप से कम्पनी अपने अंशों अथवा ऋण-पत्रों को उतनी स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं निपटा सकेगा जितनी स्वतन्त्रतापूर्वक एक साधारण कम्पनी कर सकती है और ऐसी ही अवस्था में अधिनियमित कल्पना लागू होती है। और यद्यपि यह हस्तांतरण ऐसी नियंत्रित कम्पनी द्वारा किया गया था तो भी यह उसी प्रकार समझा जायगा जैसे कि सीधे एक सम्बन्धी द्वारा किया गया समझा जाता है।

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि खण्ड की भाषा क्लिष्ट है। किन्तु शुल्क बचाने के उपाय, जैसा कि मैं पहले एक बार और भी बता चुका हूं, उतने ही क्लिष्ट हैं। और शुल्क बचाने वालों द्वारा चतुरता पूर्ण बहुत से उपाय काम में लाये जाते हैं। १९४० की धारा के अनुसार तथा १९५० में इसको पुनः संशोधित कर, संयुक्त साम्राज्य इन चतुरतापूर्ण उपायों को पकड़ने की आशा करता है। यह स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सका है कि शुल्क बचाने वालों के सारे उपाय विफल हो चुके हैं अथवा नहीं। यह हो सकता है कि कुछ ही समय में विधि की भाषा और भी क्लिष्ट कर दी जाय। कुछ भी हो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि उचित मामलों में न्यायालयों ने इस धारा को लागू करने में सर्वथा समर्थ पाया है और इसी कारण हमने इसको यहां सुरक्षित रखना उचित समझा है।

श्रीमान् मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ १६ में १५ से १७ तक पंक्तियां हटा दी जायें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

खण्ड २६ विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २७-२९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक सोमावार के सवा आठ बजे म० पू० तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ७ सितम्बर, १९५३ क सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।